खण्ड-419, अंक-3
मंगलवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1919
(22 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
गोरखपुर जनपद में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	1–2
प्रश्नोत्तर (जारी)	3–4
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की घटना में मृतक एवं घायल परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग पर शासन की घोषणा	4–6
प्रश्नोत्तर	6–82
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य के वितरण व्यवस्था की सूचना	82
वित्तीय वर्ष 1997-98 का आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (जारी) ...	83
पूर्व परम्परानुसार समय पर वर्ष 1997-98 का आय-व्ययक प्रस्तुत न किये जाने पर आपत्ति (निरस्त)	83
वित्तीय वर्ष 1997-98 का आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	83–103
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	101
औराई (भदोही) क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
गोकुल जनपद मथुरा के समस्त नालों की अविलम्ब सफाई किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103–104
प्रदेश के पूर्वांचल जनपदों को बाढ़ से बचाने एवं विगत वर्ष के बाढ़ राहत की धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104-105
उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी हजारों प्रशिक्षुओं को नौकरी न दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बलिया में जनस्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त सेवा के अभाव में उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
चन्दौली के टाण्डा से हरधनपुर एवं धानापुर से खड़ान मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
संसदीय परिपाटी का उल्लंघन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत, अध्यादेश का प्रख्यापन एवं श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	106-120

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के तीन अधिवेशन और कम से कम 90 दिन की बैठक होने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न	120-123
नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर के संलग्नक में लोक निर्माण मंत्री के हस्ताक्षर न होने विषयक औचित्य का प्रश्न	123
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995 (सदन के पटल पर रखी गयी)	123
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित) ...	123-124
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित)	124
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	124-144
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	144-145
नत्थियां	146-154

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर,	पडरौना
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	रामदेव आचार्य, श्री	बाराबंकी
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
पप्पू भइया	गोरखपुर	* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा		

---

* माननीय सदस्य ने अभी शपथ नहीं लिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

गोरखपुर जनपद में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारा है । आप लोग कृपा करके अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें ।

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, गोरखपुर में गीडा के लिये ली गयी जमीन से सम्बन्धित तथा 23 जून की घटना पर कल सदन में चर्चा हुई थी । मुझसे कल ही भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने अलग से वार्ता की थी । गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के लिये जब मैं वहां गयी थी तब भी हमारे विधायकों ने इस समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था तब भी इन सभी ने मुझसे किसानों की समस्या के समाधान करने के लिये एक उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था ।

मान्यवर, यह समस्या आज की नहीं बल्कि पुरानी है और 1991 से भूमि अर्जन की कार्यवाही की गयी थी । पूर्व में विभिन्न दलों की सरकारें रही हैं तथा राष्ट्रपति शासन भी, लेकिन कभी भी इस मामले को इस प्रकार नहीं उठाया गया । आज हमारी सरकार के सामने इस विषय को इस रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ? इसका आप स्वयं विचार करें । हमारी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के हित में हमने अनेकों कदम उठाये हैं ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट व श्री पारसनाथ यादव जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य को पूरा आने दो । कृपा करके आप लोग बैठ जायं ।

सुश्री मायावती–

हम किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसानों का अहित हो । इसको ध्यान में रखते हुए मुआवजे की वसूली हमने रोक दी है । मुआवजे के विवाद का हल न्यायालय में विचाराधीन है इसे हम तत्काल सुलझाने का प्रयास करेंगे । यह भी हम प्रयास करेंगे कि इस समस्या का हल न्यायालय के बाहर ढूंढा जा सके । किसानों के हित को देखते हुए गोरखपुर में तथा कल यहां पर भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के अनुरोध पर तथा माननीय सदन की भावनाओं को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच भी अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा करायी जायेगी । मुझे उम्मीद है कि वहां के किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान शीघ्र ही सम्भव हो सकेगा ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें । माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी नेता सदन ने गीडा के प्रकरण पर अपनी व्यवस्था दी तो मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से यह पूछना चाहता हूं कि जब गीडा का प्रकरण इसके करीब एक महीने पहले उठा तब वह किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील थीं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है । आपकी बात मान ली गयी है और यह प्रकरण समाप्त हो गया है । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इन्होंने मजबूरी में यह व्यवस्था दी है । हमें स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं और स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं देता हूं । आप सदन को चलने दें । माननीय नेता सदन ने कह दिया है कि सारे प्रकरण की जांच करा ली जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

नहीं मान्यवर, पहले यह स्पष्टीकरण का उत्तर दें । इसके पहले इन्होंने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । (व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र की मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

डंग साहब आप बैठें । मैं नत्थी (क) का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–। ले रहा हूं ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रश्नोत्तर

(माननीय मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने तथा श्री पारसनाथ यादव के खड़े होने पर व्यवधान)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की गम्भीर आवास समस्या के समाधान हेतु शहरी आवास नीति की जानकारी

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में आवास की गम्भीर समस्या को देखते हुए सरकार कोई नई आवास नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में शहरी आवास नीति जारी की गयी थी जिसके मुख्य उद्देश्य/कार्यक्रम निम्न हैं :––

(1) शासकीय अभिकरणों की सुविधा प्रदायक भूमिका

(2) शासकीय अभिकरणों की कार्य शैली में सुधार ।

(3) निजी क्षेत्र की भूमिका ।

(4) नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण ।

शहरी आवास नीति 1995 हेतु निर्धारित रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गयी जिसके अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर तक के भवन/भूखंडों के मानचित्र को पास करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है तथा समाज के अत्यन्त कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रतिदिन रु० 5/-, 10/- तथा रु० 15/- का भुगतान कर आवास उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पारसनाथ यादव जी आप बैठ जायें । आपकी सूचना नियम–56 में आ गयी है । जब नियम 56 लिया जायेगा, उस समय आपको भी सुन लिया जायेगा । आप कृपया बैठ जायें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, इनका स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं आया है । पहले उसका उत्तर दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

मैंने प्रश्न ले लिये हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो आवास नीति बनायी गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

नोट :–उ० प्र० विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत, अल्पसूचित तारां० प्र० संख्या–1 के उपरान्त सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगामी कितने दिनों के अन्दर सरकार गरीब और कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध करा देगी ?

(व्यवधान)

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, आवास नीति की आश्रय योजना में 1590 भवन आवंटित किये गये हैं, जिनमें 450 भवनों पर कब्जा दे दिया गया है और जुलाई के अन्त तक 17 हजार भवनों के निर्माण का लक्ष्य है और एक लाख भवन देने की सरकार का लक्ष्य है ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लें ।

(व्यवधान)

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें आया है कि....

(विपक्ष के बहुत से सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्रीमती गौरी देवी, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री सतीश शर्मा आदि कई माननीय सदस्य लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आदि के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की घटना में मृतक एवं घायल परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने मुआवजा देने की बात कही थी जो लोग मृतक आश्रित हैं उनको मुआवजा देने की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी उसकी जानकारी दिलवा दूंगा ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् अभी सदन अव्यवस्थित था । इसमें एक मुख्य समस्या जो थी उसी को लेकर सारा सदन अव्यवस्थित रहा । वह प्रश्न यह था कि माननीय नेता सदन ने सदन में यह कहा कि गीडा प्रकरण पर भा०ज०पा० और ब०स०पा० विधायकों के अनुरोध पर, जबकि यह प्रश्न सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष के लोगों ने उठाया था, यह पूरे सदन की भावना थी, तो इस सम्पूर्ण सदन की भावना को देखते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की भावना का आदर करते हुए मृतक सत्य नारायण के आश्रितों को रु० 5 लाख का मुआवजा दें और जो लोग घायल हुए हैं उन घयलों को भी सहायता दें ।

इसके साथ ही यह भी घोषणा होनी चाहिए कि अभी जो मैंने स्पष्टीकरण मांगा था वह मिलना चाहिए कि एक महीना व्यतीत हो रहा है इस घटना को हुए, आज तक इस संवेदनशील सरकार ने जो किसानों की बड़ी हमदर्द बनती है, किसानों की मृत्यु और किसानों के घायल होने पर कौन सी सहायता सरकार की तरफ से दी गयी है इस पर भी व्यवस्था आनी चाहिए ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक अनुरोध था, सभी दलों के सदस्यों ने, नेता समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दलों के लोगों ने एक स्वर से इसको उठाया था, इसमें एक बात रह गयी थी कि जो मृतक के आश्रित हैं जिसके बारे में माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय अमर मणि और अन्य लोगों ने कहा था उस पर सरकार सदाशयता पूर्वक विचार करे और जो मृतक आश्रित हैं उनको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय । यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है इससे किसी दल को न बांधें, अगर यह राजनीतिक था तो कहना चाहिये था । अगर यह सदन के रूप में आ जाय तो किसी को आपत्ति नहीं होगी ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की भावनाओं को देखते हुए इस बात को कहना चाहती थीं, जो मृतक सत्य नारायण जी हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा देने के बारे में घोषणा करना चाहती थीं। चूंकि व्यवधान उत्पन्न हो गया, इसलिये वह कह नहीं पायीं । इस बात को उसी समय उन्होंने कहने का मन बनाया था और निर्णय लिया कि मृतक के जो आश्रित हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जायेगा और जो लोग घायल हैं उनके बारे में रिपोर्ट मंगाकर उसकी बाबत भी हम कार्यवाही करायेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

| × × × |

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

एक सदस्य–

सुनायी नहीं पड़ा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा है ?

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–| × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

सदन की भावनाओं को देखते हुए जो घायल लोग हैं उसके बारे में पूरी रिपोर्ट मंगाकर उस पर कार्यवाही करायेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

कार्यवाही में जो भा०ज०पा० और ब०स०पा की बात आयी है उसको निकलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

जो घायल लोग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको जो मुआवजे की बात कही है वह सब सदन के सत्र की समाप्ति के पहले ही बता दीजियेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हम सदन के आखिरी दिन उसके बारे में बता देंगे ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

श्रीमन्, इसमें अभी पहले जो कहा गया था कि बी० जे०पी० और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने जिस बात को गम्भीरता से लिया है उसमें मान्यवर, इस सम्पूर्ण सदन की बात आनी चाहिए। सम्पूर्ण सदन की यह भावना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे इस तरह से बता देता हूं कि सदन के सभी राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए यह बात है । अब यह ठीक है । व्यवस्था की दृष्टि से हम उठते हैं । 12.18 मिनट पर हम फिर एकत्रित होंगे ।

(इसके बाद 12 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 18 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

कुशीनगर, सारनाथ एवं श्रावस्ती में पर्यटन सुविधाओं हेतु शासकीय योजना की जानकारी

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध तीर्थ के पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाये जाने के लिये कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती आदि बौद्ध तीर्थों के लिये बुद्ध सरकिट फेज II के बारे में कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

बौद्ध तीर्थ यात्रियों को बौद्ध परिपथ (कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती) में पर्यटन अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये रु० 740 करोड़ की योजना (बौद्ध परिपथ द्वितीय फेज) भारत सरकार को ओ० ई० सी० एफ० (जापान) से सहायता प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी है । भारत सरकार की सहमति तथा वाह्य सहायता प्राप्त होने के उपरान्त ही इसे लागू किया जा सकेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[नियम 28(20) के अन्तर्गत होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का निर्धारण

*2–श्री जगदम्बिका पाल तथा डा०-सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कुछ घंटे निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार प्रदेश में चल रही हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में सायंकाल 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक विद्युत कटौती न किये जाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां । वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 10 घंटे निर्धारित किये गये हैं ।

इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाता है कि सायं 06 बजे से प्रातः 06 बजे तक विद्युत कटौती न की जाय परन्तु विषम परिस्थितियों में, जब विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक हो जाती है, तो प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा हेतु कटौती करना आवश्यक हो जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में प्रशासनिक अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

*3–श्री राजधारी, श्री राम नक्षत्र तथा श्री नारायण रामदास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में प्रशासनिक अधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण द्वारा अनिश्चितता के माहौल एवं प्रशासन के राजनीतीकरण को समाप्त करने के लिये उ० प्र० सरकार कोई स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश हित में वह नीति कब से प्रभावी होगी ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण अनिश्चितता एवं प्रशासन के राजनीतीकरण का कोई माहौल नहीं है । अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण नीति पूर्व से विद्यमान है ।

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु स्थानान्तरण नीति दिनांक 15 अप्रैल, 1997 को निर्गत की जा चुकी है ।

[मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद अल्मोड़ा के सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षा अध्यापकों के बकाये पेंशन के भुगतान की कार्यवाही

*1–श्री नारायण रामदास–

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों को विगत 6 महीने से पेंशनका भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और इनका

भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जनपद अल्मोड़ा के सेवानिवृत्त परिषदीय अध्यापकों की मई, 1997 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है । माह जून, 97 की पेंशन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की नीति एवं अधिकतम आयु-सीमा

*2–श्री बिन्दू लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रवर अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में वर्ष 1989 तक राज्य कर्मचारियों को आयु सीमा में प्रदान की जा रही छूट समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इससे राज्य कर्मचारियों को राज्य सेवाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने में प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? यदि हां तो सरकार अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सेवाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1989 तक प्रवर अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में केवल खंड विकास अधिकारी पद के लिए उ० प्र० राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी थी । अब उ० प्र० ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 द्वारा उ० प्र० राज्य कर्मचारियों को उपरांकित पद के लिए अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गयी है । प्रवर अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में अन्य पदों हेतु राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गयी थी । अतः राज्य कर्मचारियों को आयु सीमा में प्रदान की जा रही छूट समाप्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

यदि राज्य की सरकारी सेवाओं में अधिक आयु के लोग आयेंगे तो उन्हें प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने में असुविधा होगी । इसके अतिरिक्त सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1991 में राज्य की समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी गयी है । उक्त अधिकतम आयु सीमा में और कोई छूट प्रदान करने का औचित्य नहीं है ।

जनपद जौनपुर अंतर्गत मड़ियाहूं के अवशिष्ट ग्रामों को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

*3–श्री पारसनाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के कितने ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त पिछड़े हुए क्षेत्र के शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में एल० टी० मेन्स से विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों की संख्या 240 है ।

जी हां ।

शासन की नीति के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा ग्रामों को चयनित किये जाने पर एवं वांछित धन की उपलब्धता होने पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव होगा । अतः विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने में समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद की पेयजल समस्या के समाधान हेतु की गयी व्यवस्था

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर परिषद् फिरोजाबाद की 4 लाख आबादी को पीने के लिये प्रति दिन 80 एम० एल० डी० पानी की आवश्यकता है जबकि जलकल विभाग अपने कार्यरत–9–10 नलकूपों से केवल 10 एम० एल० डी० पानी ही दे पाता है ? यदि हां, तो प्रतिदिन की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार नगर की पेयजल व्यवस्था को सुचारु और सुगम बनाने हेतु 300 हैण्डपम्प तथा 10 गहरे छिद्रण के नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्तमान में फिरोजाबाद नगर की जन संख्या लगभग 3.50 लाख है । जिसके लिये नगर को 52.5 एम० एल० डी० जल की आवश्यकता है । वर्तमान में फिरोजाबाद नगर में 20 नलकूपों तथा 521 चालू इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों से लगभग 16 एम० एल० डी० पेयजल उपलब्ध हो रहा है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण 300 हैण्डपम्प व 10 गहरे छिद्रण के नलकूप लगाने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । 20 हैण्ड पम्प वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित किये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

*5–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जल संस्थान, वाराणसी द्वारा वर्ष 1996-97 में नगर की सुचारु जलापूर्ति हेतु शासन को प्रेषित योजना की स्वीकृति की मांग

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी नगर में व्याप्त अत्यधिक पेय जलापूर्ति संकट के समाधान हेतु वाराणसी जल संस्थान तथा जल निगम द्वारा कोई योजना स्वीकृति हेतु सरकार को वर्ष 1996-97 में भेजी गयी है ? क्या पेय जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता की शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त योजना हेतु वांछित धन सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । बल्कि 234.00 लाख रु० की मांग का विवरण जल संस्थान, वाराणसी द्वारा भेजा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्तानुसार ।

हाई वोल्टेज ट्रान्सफार्मर्स का प्लेटफार्म पर स्थापन किये जाने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की मांग

*7–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि स्थापन सुविधा की दृष्टि से अब हाई वोल्टेज ट्रान्सफार्मर्स को पोल्स पर न लगाकर जमीन पर वैसे ही या कम ऊंचाई का प्लेटफार्म बनाकर लगाया जा रहा है जिससे प्रदेश भर में जगह-जगह मनुष्यों एवं पशुओं की करेन्ट लगने से मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर उनकी राय से ट्रान्सफार्मर्स लगाये जाने के संबंध में व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

हाई वोल्टेज ट्रान्सफार्मर्स को पोल्स पर लगाये जाने के साथ-साथ स्थापना सुविधा की दृष्टि से अब प्लिन्थ या प्लेटफार्म बनाकर भी लगाया जाता है, जिसके लिये इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के अनुसार उसके चारों ओर से फेन्सिंग अथवा अन्य किसी तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिये, जिससे कोई अनाधिकृत व्यक्ति अथवा पशु विद्युत लाइन एवं उपकरणों के पास न पहुंच सके । यह व्यवस्था न होने की अवस्था में विद्युत दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है ।

समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 में सुरक्षा के समुचित प्राविधान हैं, जिसके अनुपालन हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को पुनः निर्देशित कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री राम नक्षत्र–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

*9–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

। दूसरे बुध में ता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रदेश में पानी की समस्या के समाधान हेतु मीठे पानी की महायोजना तैयार किये जाने की मांग

*10–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिये मीठे पानी की महायोजना तैयार करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो जहरीले रसायनों एवं उर्वरकों के दुरुपयोग तथा प्राकृतिक जल स्रोतों की लगातार कमी से बढ़ते हुए खारे पानी की समस्या के हल के लिये प्रस्तावित महायोजना को कार्यरूप देने हेतु कुछ प्रगति हुई है ? यदि हां, तो भूवैज्ञानिकों ने क्या रिपोर्ट दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार प्रदेश के 4.426 ग्रामों में पेयजल के खारे होने की समस्या है ।

भूवैज्ञानिकों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 36 जनपदों में 4.426 ग्राम प्रभावित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के मार्च माह में वित्त विभाग द्वारा आवास विभाग को स्वीकृत राशि तथा उसे पी० एल० ए० में जमा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*11.-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, जय प्रकाश निषाद–

क्या आवास मंत्री यह बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के मार्च माह में वित्त विभाग द्वारा कितनी धनराशि की स्वीकृति उनके विभाग को प्रदान की गयी ? उन्हें किन-किन कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना था ? क्या धनराशि पी० एल ए० में भी जमा की गयी ? यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रमों पर व्यय न किये जाने के क्या कारण रहे इन धनराशियों को पी०एल०ए० में जमा किए जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1996-97 के मार्च माह में वित्त विभाग द्वारा रुपया 5,933.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई ।

1. समाज के विभिन्न आय वर्गो के व्यक्तियों की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा भूमि अध्याप्ति एवं विकास के कार्यक्रम ।

2. प्रदेश में नवगठित विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास ।

4. नगरीय सीमा में स्थित पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

5. केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित संगठित विकास योजना ।

सभी स्वीकृतियां इस शर्त के साथ जारी की गई थीं कि स्वीकृत धनराशि पी० एल० ए० में रखी जायेगी तथा निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आहरित की जा सकेगी ।

संगठित विकास योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है । योजनान्तर्गत केन्द्र से अनुदान की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 96-97 के अन्त में वित्त विभाग द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गई कि स्वीकृत राशि पी० एल० ए० में डाली जायेगी और संबंधित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार योजना का पृथक "रिवालविंग फण्ड" स्थापित कर लेने के उपरान्त उसमें हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

शेष योजनाओं की स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ संबंधित अभिकरणों के पी० एल० ए० में जमा की गयी कि संबंधित अभिकरण आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर उसे व्यय कर सकते हैं ।

उक्त प्रतिबन्ध का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12-कुंवर रेवती रमण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1994 की परीक्षा के पश्चात् सन्निरीक्षा हेतु छात्रों की संख्या एवं शुल्क की धनराशि

*13-श्री तेजभान सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० को वर्ष 1994 (अप्रैल) की परीक्षा परिणामों के पश्चात् कितने छात्रों ने संवीक्षा के लिये प्रपत्र भरा था ? क्या शिक्षा परिषद् ने संवीक्षा का कार्य किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? छात्रों द्वारा संवीक्षा के लिये कुल कितनी धनराशि जमा की गयी ? जमा धनराशि का क्या हुआ ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)-

हाईस्कूल के 61,095 तथा इण्टरमीडिएट के 35,088 परीक्षार्थियों ने सन्निरीक्षा हेतु आवेदन किया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन्निरीक्षा हेतु कुल रु० 29,60,324 की धनराशि जमा हुई थी ।

धनराशि राजकीय कोष में जमा हुई ।

*14-श्री रंगनाथ मिश्र-

[तीसरे गुरु में ता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15-श्री राम औतार मिश्रा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् सदस्य (उत्पादन) के विरुद्ध जांच विषयक परिवाद एवं उसका विवरण

*16-श्री बाबू राम-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तत्कालीन सदस्य (उत्पादन) के विरुद्ध 31-8-95 तक कुल कितनी आर्थिक/प्रशासनिक जांचें लम्बित थीं ? उनका विवरण क्या है ? कितने मामलों पर प्रशासनिक निर्णयों को लेकर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 के पैरा 103 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ? इस संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 31-12-93 एवं 13-8-96 जो अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 300 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है ?

सुश्री मायावती–

तत्कालीन सदस्य (उत्पादन) के विरुद्ध 31-8-95 तक उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कुल 7 परिवाद जांच हेतु लम्बित थे ।

संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

शून्य ।

अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित पत्र दिनांक 31-12-96 परिषद् में प्राप्त हुआ था । उपरोक्त पत्र दिनांक 31-12-93 में इंगित आरोपों की जांच तत्कालीन सदस्य (उत्पादन) से करायी गयी थी जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उपरोक्त पत्र दिनांक 13-8-96 शासन में प्राप्त हुआ था लेकिन उक्त पत्र में संदर्भित संलग्न शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । मा० विधायक से संलग्न शिकायती-पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया है ।

कतिपय आरोपों के संबंध में विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच प्रचलित है । अतः घोटाले की वास्तविक धनराशि अथवा अन्यथा के विषय में कुछ इंगित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद आगरा में पेयजल हेतु जल स्तर ऊंचा उठाये जाने विषयक कथित योजना

*17–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है ? क्या सरकार आगरा जनपद में पीने के पानी को ध्यान में रखते हुए जल स्तर ऊंचा उठाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब से लागू करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

पूरे प्रदेश में भूगर्भीय जल की स्थिति समान नहीं है । कतिपय स्थानों पर भूगर्भ जल स्तर अवश्य गिर रहा है ।

ऐसी कोई योजना नगर विकास विभाग द्वारा बनाई जानी प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के कथित विघटन का निर्णय

*18–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या उसके अनुरूप राज्य विद्युत परिषद् के तीन हिस्से उत्पादन, वितरण एवं ट्रांसमिशन अलग-अलग कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूप रेखा क्या होगी तथा इस पर कब तक अमल कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोकुल मथुरा में बन्द पड़ी 30 पेयजल योजनाओं को अविलम्ब चालू किये जाने की मांग

*19–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि गोकुल, मथुरा में लगभग 30 पेयजल योजनायें हैं और वे सभी बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप गोकुल मथुरा में पेयजल की भारी किल्लत है ? क्या

सरकार बन्द पेयजल योजनाओं को तुरन्त चालू कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, 30 योजनाओं में से 16 योजनायें आंशिक रूप से चालू हैं, शेष बन्द हैं ।

पाइप पेयजल योजनाओं से पेयजल उपलब्ध न होने वाले क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल सुलभ कराया जा रहा है ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

लोक निर्माण विभाग में रोड गैंग में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों के स्थायीकरण की मांग

*20–श्री भारत सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में रोड गैंग में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को स्थायी बनाने की प्रक्रिया क्या है ? क्या अस्थायी श्रमिकों को स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रक्रिया विचाराधीन है ।

जी, हां ।

यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, सेक्टर–एच के सीवर/गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था की जानकारी

1–श्री बच्चा पाठक–

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच की सीवर लाईन/जल निकासी की दुर्व्यवस्था के संबंध में श्री अमर पाल सिंह, सदस्य, लोक सभा मेरठ का पत्र माह अगस्त, 1996 में तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी विधायक का पत्र अक्टूबर, नवम्बर, 1996 में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सीवर लाईन व गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच के सीवर/गन्दे पानी की निकासी हेतु 1.5 एच० पी० के दो डीजल पम्प स्थापित किये गये थे । इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये 60 एच० पी० का एक विद्युत चालित पम्प दिनांक 14-7-97 को स्थापित कर चालू कर दिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना सेक्टर एच में टेलीफोन हेतु केबिल के लिए खोदी गयी सड़क की मरम्मत की मांग

2–श्री बच्चा पाठक–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एच में भवन संख्या डी–1/182 से डी–1/188/एच के सामने टेलीफोन विभाग द्वारा टेलीफोन केबिल डालने हेतु खोदी गयी सड़क की मरम्मत कराने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक, लखनऊ का कोई पत्र माह नवम्बर, 1996 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर बी के समीप स्थित भूखण्ड पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

3–श्री बच्चा पाठक–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी (व्यवसायिक केन्द्र) के दक्षिण दिशा की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क है तथा उक्त केन्द्र के पश्चिम दिशा में कानपुर रोड स्थित है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों सड़कों के मध्य एक पुराने खण्डहर पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उक्त खंडहर का अवैध कब्जा हटा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

दोनों सड़कों के मध्य स्थित संदर्भित भूमि के संबंध में अर्जन के विरुद्ध भू-स्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर यह स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि याचीगण के कब्जे से कोई दखल न दिया जाय । फलस्वरूप, उक्त भवन/भूमि पर भू-स्वामी का ही कब्जा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

4–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[पहले बुध में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर इटवा मार्ग पर स्थित भुसेहलवा सेतु भारी वाहनों को चालू करने की मांग

5–श्री बिन्दु लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर इटवा मार्ग पर भुसेहलवा सेतु पर पिछले दस वर्षों में कितना पैसा मरम्मत पर खर्च किया गया ? क्या लाखों रुपये मरम्मत पर खर्च करने के बाद भी लगभग दो वर्षों से सेतु पर आना-जाना बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार हर साल पैसा खर्च करके भुसेहलवा नाले पर लकड़ी के सेतु के स्थान पर नया पक्का सेतु बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत सेतु पर विगत 10 वर्षों में मरम्मत हेतु 12.60 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी है।

जी नहीं। विगत दो वर्षों में इस सेतु के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण भारी वाहनों के यातायात हेतु बन्द कर दिया गया था किन्तु विशेष मरम्मत के उपरान्त माह जून, 97 से सभी प्रकार के यातायात हेतु चालू कर दिया गया है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग

6–श्री बिन्दु लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा में कितने ऐसे प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल विद्यालय हैं, जिनमें छात्रों के मानक के आधार पर अध्यापक नहीं हैं ? क्या ऐसे विद्यालय भी हैं, जिनमें कोई अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो अध्यापकों की पूर्ति के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

विकास खण्ड गैसड़ी में 94 प्राइमरी विद्यालय एवं 11 जूनियर हाईस्कूल तथा विकास खण्ड पचपेड़वा में 83 प्राइमरी विद्यालय एवं 11 जूनियर हाईस्कूल में छात्रों को मानक के अनुसार अध्यापक नहीं हैं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां अध्यापक नहीं हैं।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। इसके पश्चात् ही मानक के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में समय से वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश

7–डा० वकार अहमद शाह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश, बहराइच के जनपद के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को समय से वेतन एवं अवशेषों के भुगतान से सम्बन्धित पत्र दिनांक 29-4-97 जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? मई, 1997 से अद्यतन विद्यालयवार एवं माहवार वेतन वितरण की तिथियां क्या हैं ? किन विद्यालयों में किस माह में वेतन भुगतान विलम्ब से किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? इस विलम्ब के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जनपद के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मासिक वेतन एवं अवशेष भुगतान समय से कराने के संबंध में समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 146 पर)

जिला बहराइच के बी० टी० सी० वेतन में कार्यरत शिक्षिकाओं के संबंध में श्री राज्यपाल को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

४–डा० वकार अहमद शाह तथा श्री राम तेज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश बहराइच का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बी० टी० सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओ के संबंध में श्री राज्यपाल को सम्बोधित पत्र संख्या–21/रा०शि०सं०/शासन/96-97 दिनांक 8-7-96 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर सचिव श्री राज्यपाल ने क्या आदेश दिये थे ? उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में तिथिवार एवं बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? उसके क्या परिणाम रहे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

इस पर सचिव, श्री राज्यपाल ने यह आदेश दिये हैं कि "कृपया दिखलवाने का निदेश हुआ है ।"

शिक्षा निदेशक से कतिपय सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव दिनांक 14-5-97 को मांगा गया है । सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा–मनकापुर के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता विद्युत के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

*9–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण उपखण्ड मनकापुर के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-94 अधिशासी अभियन्ता वितरण खण्ड बलरामपुर, गोण्डा एवं पत्र संख्या अ–17280 दिनांक 13-5-97 विशेष सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच किस अधिकारी से किन तिथियों में करायी गयी ? उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त शिकायतों की जांच शासन के किसी अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र के झारो पुल का नियमानुसार दिये गये ठेके का विवरण

*10–श्री विजय सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी म्योरपुर मार्ग स्थित झारो पुल का ठेका इस वर्ष कितने रुपये में दिया गया ? इसी पुल का ठेका गत वर्ष कितने रुपये में किसको दिया गया था और नीलामी में कितनी पार्टियों ने भाग लिया ? क्या मंत्री को ज्ञात है कि झारो पुल से मात्र 15 कि० मी० दुद्धी विन्दमगंज मार्ग पर स्थित कनहर पुल की इसी वर्ष में नीलामी बोली अधिकतम 45 लाख रुपये की थी ? यदि हां, तो क्या झारो पुल का ठेका मनहर पुल के मुकाबले कम रुपये में दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस राजस्व हानि को देखते हुए झारो पुल का ठेका निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत झारो सेतु का ठेका चालू वित्तीय वर्ष 97-98 में रुपये 2,92,500 में दिया गया है । गत वर्ष 96-97 में इसी सेतु का ठेका रुपये 2,61,500 में श्री तुलसीदास जायसवाल, ठेकेदार को दिया गया था तथा नीलामी में 3 पार्टियों ने भाग लिया था, जबकि इस वर्ष 97-98 की नीलामी में 2 पार्टियों ने भाग लिया है ।

कनहर सेतु, दुद्धी विढमगंज मार्ग के कि०मी० 5 में स्थित है और इस पर काफी यातायात है, जबकि झारो सेतु दुद्धी–म्योरपुर लिंक मार्ग पर होने के कारण इस पर यातायात बहुत ही कम है, जिससे कनहर सेतु की अपेक्षा वसूली भी काफी कम है । चूंकि राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, अतः झारो सेतु का ठेका निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता । झारो सेतु की नीलामी नियमानुसार विज्ञप्ति कराने के बाद की गई है तथा ठेका उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत किया गया है ।

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभा/पंचायत में मानक के अनुसार प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

11-श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को हर ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर पर एक किलोमीटर की दूरी में प्राइमरी पाठशालायें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा (कम्पलसरी एजूकेशन) और सब को शिक्षा के सरकार के संकल्प के आधार पर क्या बेसिक शिक्षा के अधीन पाठशाला भवनों में विद्यालय स्थापित हैं ? क्या अब भी कुछ ग्राम पंचायतों में प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? हर गांव को स्कूल प्रदान करने में सरकार को कितना समय और लगेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

1.5 किलोमीटर की दूरी (पर्वतीय क्षेत्र हेतु एक किलोमीटर) तथा 300 की आबादी वाले असेवित ग्रामों में ही प्राथमिक विद्यालय खोलने का शासन द्वारा मानक निर्धारित किया गया है । इस मानक को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड हरिगटनगंज की ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम पंचायत रेवना में प्रगति कार्य की जानकारी

12-श्री मित्रसेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिगंटनगंज की ग्राम पंचायत रेवना ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत चयनित हुआ है ? यदि हां, तो क्या विद्युत पोल और विद्युतीकरण के अन्य सामान गांव को उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिगंटनगंज की ग्राम पंचायत रेवना का चयन वर्ष 1996-97 में विद्युतीकरण हेतु किया गया था। इस कार्य हेतु पी० सी० सी० पोल गांव में माह 3/97 में भेजे गये थे, जो समीप के गांव सिधौरा के वासियों द्वारा उठाकर गाड़ दिये गये। इस संबंध में दिनांक 26-3-97 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मिल्कीपुर थाने में प्रेषित की गयी है। विद्युतीकरण से संबंधित अन्य सामग्री उपलब्ध है।

टाउन एरिया बिल्थरा रोड, बलिया को उपलब्ध अनुदान एवं व्यय विवरण की जांच

13–श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995-96 एवं 96-97 में टाउन एरिया बिल्थरा रोड, बलिया को कितना धन शासन व जिले से अवमुक्त किया गया है ? कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त धन का दुरुपयोग टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा किया गया है ? क्या सरकार वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों की टी० ए० सी० जांच कराते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

बलिया जनपद के नगर पंचायत बेल्थरा रोड को शासन द्वारा सड़क अनुदान हेतु वर्ष 1995-96 में रु० 10.00 लाख, वर्ष 1996-97 में रु० 06.00 लाख तथा मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरण हेतु रु० 05.00 लाख अवमुक्त किया गया है।

खड़न्जा/नाली/मिट्टी के कराये जा रहे कार्यों पर रु० 9.27.119 एवं पिच के कार्य पर रु० 1.83.000 मात्र व्यय हुआ है। इस प्रकार कुल रु० 11.10.119 व्यय किया गया है।

जिला स्तर पर दुरुपयोग होने की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

जी नहीं।

बाल विकास परियोजना, सिदपुरा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच

14–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, महिला एवं बाल विकास को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-1-97 पर क्या बाल विकास परियोजना, सिदपुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

जी नहीं, प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 17-1-97 प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु इसी विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-1-97 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जनपद एटा के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड के गम्भीर आरोपों की सतर्कता अधिष्ठान से जांच

15-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद एटा के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड द्वारा मार्गों के निर्माण में गम्भीर आरोपों से संबंधित जांच कराने विषयक था, पर 7-6-90 को तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रेषित पत्र सं०-4419/वी० आई० पी०/90 के परिपेक्ष्य में जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री फूलचन्द्र मिश्र-

प्रश्नगत पत्र शासन में प्राप्त हुआ था जिस पर प्रमुख अभियन्ता को जांच के आदेश दे दिये गये थे किन्तु सतर्कता विभाग, उ० प्र० शासन के पत्र दिनांक 15-2-91 में दी गई सूचना के अनुसार अन्तर्ग्रस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, एटा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता अधिष्ठान के माध्यम से खुली जांच कराई जा रही थी। सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 21-1-97 के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के विरुद्ध अन्वेषण के आदेश सतर्कता अधिष्ठान को दे दिये गये हैं। सतर्कता जांच के प्रचलित रहते अन्य जांच कराया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रकरण में अन्य कोई जांच नहीं करायी जा रही है।

जांच परिणाम सतर्कता विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को सड़क निर्माण हेतु विश्व बैंक से प्राप्त धन की जांच

16 श्री राजाराम पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995-96 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को शहर की सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक से पांच करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे ? क्या इस धन को प्राधिकरण द्वारा निर्माण खण्ड 2, 5, 7 तथा 9 में वितरित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रति निर्माण इकाई में लाखों रुपये घोटाला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संबंधित अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

प्रश्नगत धन अभियंत्रण खण्ड 5, 6, 7 एवं वि०/यां० खण्ड में वितरित किया गया था।

गुणवत्ता संबंधी शिकायत है।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद् से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम के सचिव प्रशासन कार्यालय से वर्ष 1996 में कथित कम्प्यूटर चोरी का प्रकरण

17-श्री राजाराम पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के सचिव प्रशासन के कार्यालय कक्ष से वर्ष 1996 में (जब एम० डी० का पद रिक्त था) लाखों रुपये का कम्प्यूटर गायब हो जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है और इस हेतु विभाग द्वारा एफ० आई० आर० भी दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः किसी प्रकार की एफ० आई० आर० भी दर्ज नहीं कराई गयी ।

कोई घटना घटित न होने के कारण कोई व्यक्ति दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला साक्षरता समिति महराजगंज में मा० क्षेत्रीय विधायक का कार्यकारिणी समिति या पठन-पाठन सामग्री उप समिति में सदस्य न होना

18–श्री चन्द्र किशोर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जिला साक्षरता समिति, महराजगंज में जो पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति की गयी है, वह निरक्षरों की संख्या के अनुसार है ? क्या पठन-पाठन सामग्री आपूर्ति समिति में क्षेत्रीय विधायक की भी भागीदारी है ? यदि हां, तो जिला साक्षरता समिति महराजगंज में कोरग्रुप के माध्यम से कितनी समितियों में क्षेत्रीय विधायक की भागीदारी सुनिश्चित करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मा० क्षेत्रीय विधायक कार्यकारिणी समिति या पठन-पाठन सामग्री उप समिति के सदस्य नहीं हैं ।

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) के दिनांक 25 जुलाई, 95 द्वारा अवर/प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण आदेश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री सौलत अली–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–3051/बीस–ई-5-95-28/95. दिनांक 25 जुलाई, 1995 द्वारा सचिवालय के विभिन्न शाखाओं में दस वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत 136 प्रवर वर्ग सहायकों के और कार्यालय ज्ञाप सं–2947/बी–ई-28/95. दिनांक 25 जुलाई द्वारा 154 अवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक कितने प्रवर वर्ग तथा अवर वर्ग सहायकों ने स्थानान्तरण आदेशों का पालन नहीं किया और शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सचिवालय प्रशासन (अंधिष्ठान), अनुभाग–5 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–3051/बीस–ई-5-95-28/95. दिनांक 25 जुलाई, 1995 द्वारा स्थानान्तरित 109 प्रवर वर्ग सहायकों तथा कार्यालय-ज्ञाप सं–2947/बीस–ई-28/95. दिनांक 25 जुलाई 1995 द्वारा स्थानान्तरित 106 अवर वर्ग सहायकों ने शाखाओं द्वारा अवमुक्त न किये जाने के कारण नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया चूंकि यह शाखाओं द्वारा अवमुक्त नहीं किये गये, अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के ऊर्जीकरण में राज्य सरकार द्वारा विद्युत परिषद को आर्थिक सहायता

20–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये राज्य सरकार राज्य विद्युत परिषद् की सहायता करती है । यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद को ऋण के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिस पर 14.5% की दर से ब्याज देय होता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत गृहों के प्लांटलोड फैक्टर का विवरण

21–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के विद्युत घरों का प्लांट लोड फैक्टर क्या है और अखिल भारतीय प्लांट लोड क्या है ? एम० टी० पी० सी० का प्लांट लोड फैक्टर क्या है ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के तापीय विद्युत गृहों का वर्ष 1996-97 का प्लांट लोड फैक्टर 49.9 प्रतिशत है । वर्ष 97-98 में अप्रैल, 97 से जून, 97 तक पी० एल० एफ० 52.5 प्रतिशत है । अखिल भारतीय एवं एन०टी०पी०सी० का वर्ष 94-95 का पी० एल० एफ उपलब्ध है जोकि निम्नवत है :–

अखिल भारतीय	
(राज्य विद्युत परिषद)	55 प्रतिशत
एनटीपीसी	
(केन्द्रीय)	69.2 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश में ऊर्जीकृत ग्रामों की संख्या की जानकारी एवं शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की योजना

22–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने ग्रामों में अब तक विद्युतीकरण हो चुका है और शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में 12-07-1997 तक विद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति निम्नवत् है :–

(क) सी० इ० ए० की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या–87,875

(ख) एल०टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत हुए ग्रामों की संख्या–58,530

नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सभी अवशेष ग्रामों का एल०टी०मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत करना प्रस्तावित है जिसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपये व्यय आने की संभावना है । प्रस्तावित विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इस कार्य हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में तापीय एवं जल विद्युत इकाइयों की स्थापना के विवरण

23–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कब-कब तापीय एवं जल विद्युत इकाई की स्थापना की गयी है ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में तापीय एवं जल विद्युत इकाइयों की स्थापना निम्नवत् हुई है :–

क्रमं०	विद्युत गृह	अधिष्ठापित क्षमता (मै०वा०)	स्थापना वर्ष अवधि
	अ–जल विद्युत		
1	–भोला	2.700	1929-30 से 1938-39 तक
2	–पालरा	0.600	1929-30 से 1929–30 तक

3–सुमेरा	1.200	1931-32 से 1931-32 तक
4–सलावा	3.00	1936–37
5–चितौरा	3.00	1937-38
6–निरगाजनी	5.00	1937-38
7–मोहम्मदपु	9.300	1950-51 से 1953-54 तक
8–खटीमा	41.400	1954-55 से 1955-56 तक
9–पथरी	20.400	1955-56
10–रिहन्द	300.100	1961-62 से 1966-67 तक
11–माताटीला	30.00	1964-65 से 1965-66 तक
12–ढकरानी	33.75	1965-66 से 1969-70 तक
13–ढालीपुर	51.00	1965-66 से 1969-70 तक
14–ओबरा	99.00	1970-71 से 1971-72 तक
15–छिबरो	240.00	1974-75 से 1975-76 तक
16–कुलहल	30.00	1974-75 से 1977-78 तक
17–रामगंगा	198.00	1975-76 से 1976-77 तक
18–चिल्ला	144.00	1980-81
19–खोदरी	120.00	1983-84
20–मनेरीभाली प्रथम चरण	90.00	1984-85
21–खारा	72.00	1991-92
कुल योग ''अ'' जल विद्युत	494.35	

<u>ब–तापीय</u>		
1–हरदुआगंज	530.00	1962-63 से 1977-78 तक
2–पनकी	284.00	1967-68 से 1976-77 तक
3–ओबरा	155.00	1967-68 से 1981-82 तक
4–पारीछा	220.00	1983-84 से 1984-85 तक
5–आनपरा	1630.00	1985-86 से 1994-95 तक
6–टाण्डा	330.00	1987-88 से 1989-90 तक
कुल योग "ब" तापीय	4544.00	
स–लघु जल विद्युत	10.40	उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर माइक्रोहाइडिल की छोटी-छोटी इकाइयां विभिन्न वर्षों में स्थापित की गयी थीं जिनकी कुल क्षमता 10.40 मेगावाट है ।
कुल क्षमता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (अ+ब +स)	6048.75	

उ० प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता की जानकारी

24–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 6,048.75 मेगावाट है जिसमें 4,544.00 मेगावाट तापीय, 1,494.35 मेगावाट जलीय एवं 10.40 मेगावाट लघु जलीय (माइक्रो) इकाइयों से है ।

उ० प्र० सचिवालय में जूनियर ग्रेड क्लर्क के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति की नीति

25–श्री महराज सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 15 प्रतिशत प्रोन्नति के अन्तर्गत आदेश सं०–4916/20-ई-5-64/91, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रोन्नतियां किस पद पर दी गयीं ? क्या यह सही है कि जूनियर ग्रेड क्लर्क की प्रोन्नति अवर वर्ग

सहायक के पद पर न करके चंतुर्थ कर्मचारियों की प्रोन्नतियां अवर वर्ग सहायक के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? जूनियर ग्रेड क्लर्क की प्रोन्नतियों के क्या अवसर हैं ?

सुश्री मायावती–

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5 के कार्यालय–ज्ञाप सं०–4916/बीस–ई–5–64/91, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रोन्नति नहीं की गयी है, अपितु वर्ष 1992 में उ० प्र० सचिवालय में कार्यरत समूह ''घ'' के कर्मचारियों की अवर वर्ग सहायक संवर्ग में प्रोन्नति के संबंध में आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर केवल सफल 34 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी है ।

जी हां । जूनियर ग्रेड क्लर्क समूह ''ग'' का पद है । अतः जूनियर ग्रेड क्लर्क वर्ष 1992 में समूह ''घ'' के कर्मचारियों की अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा हेतु पात्र नहीं थे ।

सचिवालय में जूनियर ग्रेड क्लर्क के पद पर कार्यरत कर्मियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1942 के नियम–14 (2) व नियम–24 के अधीन विभागीय परीक्षा के माध्यम से अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

जनपद लखनऊ में तेलीबाग से खरिका रोड पर स्थित कुम्हार मण्डी से गोपालनगर मार्ग को लेविल कराकर खड़ंजा लगवाये जाने की मांग

26–श्री रामाधार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जिले में तेलीबाग से खरिका जाने वाले मार्ग पर कुम्हार मंडी से गोपालनगर का रास्ता जिसकी लम्बाई केवल 500 मीटर है, वर्षों से कच्चा पड़ा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क गन्दी नालियों के पानी से हमेशा भरी रहती है जिससे यहां के निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या जनता के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सरकार उक्त मार्ग को लेविल कराकर खड़ंजा लगवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

कच्ची नालियों से पानी की निकासी हो जाती है ।

नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले मार्गों को लेविल कराने एवं खड़ंजा आदि लगवाने का कार्य धन की उपलब्धता पर कार्य की वरीयता के क्रम में नगर निगम/कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरान्त कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती मीनाक्षी कौल प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री बी० पी० सिंह, प्रान्तीय महामंत्री रा० शिक्षक संघ उ० प्र० द्वारा शिक्षा मंत्री को कथित प्रेषित ज्ञापन

27–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्रीमती मीनाक्षी कौल, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री बी० पी० सिंह, प्रान्तीय महामंत्री, राजकीय शिक्षक संघ उ० प्र० के संयुक्त हस्तक्षरयुक्त एक ज्ञापन दिनांक 7 अप्रैल, 1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में कौन-कौन सें बिन्दु हैं ? उन बिन्दुओं पर किन तिथियों में क्या कार्यवाही की गयी है ? उसके क्या परिणाम रहे ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन शिक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1994 में लखनऊ स्थित रा० कालोनियों में ज्येष्ठता/प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन का विवरण

28–श्री जय नारायण तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने वर्ष 1994 में लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में कितने आवासों का आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर किया तथा कितने आवास विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता देते हुए किये गये ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1994 में (आवंटन वर्ष जुलाई, 1994 से जून, 1995 तक) लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर 8 (आठ) आवास आवंटित किये गये ।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर 586 आवास आवंटित किये गये हैं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1995 में लखनऊ स्थित रा० कालोनियों में ज्येष्ठता/प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन का विवरण

29–श्री जय नारायण तिवारी–

'क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने वर्ष 1995 में लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में कितने आवासों का आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर किया तथा कितने आवास विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता देते हुए आवंटित किये गये ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1995 (आवंटन वर्ष जुलाई, 1995 से जून, 1996 तक) लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर 30 आवास आवंटित किये गये ।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर 230 आवास आवंटित किये गये ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1996 में लखनऊ स्थित रा० कालोनियों में ज्येष्ठता/प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन का विवरण

30–श्री जय नारायण तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने वर्ष 1996 में लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में कितने आवासों का आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर किया तथा कितने आवास विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता देते हुए आवंटित किये गये ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1996 (आवंटन वर्ष जुलाई, 1996 से जून, 1997 तक) लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर 30 आवास आवंटित किये गये ।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर 425 आवास आवंटित किये गये ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1993 में लखनऊ स्थित रा० कालोनियों में ज्येष्ठता/प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन का विवरण

31–श्री जय नारायण तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने वर्ष 1993 में लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में कितने आवासों का आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर किया तथा कितने आवास विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता देते हुए आवंटित किये गये ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1993 (आवंटन वर्ष जुलाई, 1993 से जून, 1994 तक) लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर 25 आवासों का आवंटन किया गया ।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर 715 आवास आवंटित किये गये ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1992 में लखनऊ स्थित रा० कालोनियों में ज्येष्ठता/प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन का विवरण

32–श्री जय नारायण तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने वर्ष 1992 में लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में कितने आवासों का आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर किया तथा कितने आवास विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता देते हुए आवंटित किये गये ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1992 (आवंटन वर्ष जुलाई, 1992 से जून, 1993 तक) लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों में आवंटन पंजीकरण की ज्येष्ठता के आधार पर 56 आवास आवंटित किये गये ।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर 590 आवास आवंटित किये गये ।

जनपद गौतम बुद्ध नगर तहसील कनसना कस्बा दनकौर के पास मंझावली घाट–यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल के शीघ्र निर्माण की मांग

33–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर तहसील कनसना कस्बा दनकौर के पास मंझावली घाट यमुना नदी पर पुल प्रस्तावित है ? क्या इस पुल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री मा० नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था ? क्या पुल की माडल स्टडी भी रुड़की अनुसंधान द्वारा करा ली गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त पुल हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

इस सेतु की स्वीकृति दिनांक 17-1-89 को हुयी थी परन्तु दिनांक 30-5-92 को निरस्त कर दी गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

डी० ए० वी० डिग्री कालेज उरई के प्राचार्य की नियुक्ति की जानकारी

34–श्री सन्त राम सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० ए० वी० डिग्री कालेज, उरई के स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा उसके अनुपालन में चयन की प्रक्रिया पूरी करके प्राचार्य की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां ।

डी० ए० वी० (पी० जी०) कालेज उरई में प्राचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है, परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत कालेज के लिये समुचित विकल्प न दिये जाने के कारण अभी तक प्रश्नगत पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया जा सका है । वैकल्पिक व्यवस्था के लिये निदेशक, उच्च शिक्षा को आदेश दिये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35-36-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

(पहले बुध में अना० प्र० सं० 171-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद महराजगंज के लो० नि० वि० इकाई फरेन्दा घानी बृजमनगंज मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की भूमि के मुआवजे की मांग

37–श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद के लोक निर्माण विभाग इकाई फरेन्दा, घानी बृजमनगंज जो 12 किमी० लम्बा है, के निर्माण में अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों को बकाया मुआवजा सरकार कब तक दे देगी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत निर्माण कार्य में अधिगृहीत की गयी भूमि हेतु संबंधित किसानों को 5.00 लाख रुपये के प्रतिकर का भुगतान माह जुलाई, 97 में, कर दिया गया है । प्रकरण में शेष रुपये 3.23 लाख के प्रतिकर का भुगतान और किया जाना है, जिसके लिए आगणन स्वीकृति व धन की स्वीकृति शीघ्र की जायेगी ।

फतेहाबाद के शमशाबाद राजा खेड़ा मार्ग, जनपद आगरा में उटंगन नदी पर निर्मित सेतु की लागत एवं वसूले गये पथकर संबंधी पूर्ण विवरण

38–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद के शमशाबाद राजा खेड़ा मार्ग पर उटंगन नदी पर सेतु का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब और उसकी अनुमानित लागत क्या आयी थी तथा उस पर अब तक कितना पथकर वसूला गया है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, वर्ष 1967-68 में कुल रुपया 9.42 लाख की लागत से फतेहाबाद में शमशाबाद से राजा खेड़ा मार्ग पर उटंगन नदी पर पुल का निर्माण कराया गया था । माह फरवरी, 1964 से माह जून, 97 तक पथकर के रूप में रुपया 47,11,257.00 की वसूली की गयी है ।

जी नहीं ।

फतेहाबाद के शमशाबाद-इरादतनगर मार्ग, जनपद आगरा में खारी नदी पर निर्मित सेतु की लागत एवं वसूले गये पथकर सम्बन्धी पूर्ण विवरण

39–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में शमशाबाद से इरादतनगर मार्ग पर खारी नदी पर पुल निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब और उक्त पुल पर कितना धन खर्च किया गया ? उक्त पुल निर्मित हो जाने के बाद से अब तक पुल के पथकर के रूप में कितना धन वसूला गया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, वर्ष 1967-68 में कुल रुपया 9.42 लाख की लागत से फतेहाबाद शमशाबाद इरादतनगर मार्ग पर खारी नदी पर पुल का निर्माण कराया गया था । माह अगस्त, 1967 से वर्ष 1996-97 तक पथकर के रूप में रुपया 55,76,037.00 की वसूली की गयी है ।

जी नहीं ।

पुवायां, जनपद शाहजहांपुर कस्बा खुटार में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

40–श्री चेतराम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत कस्बा खुटार में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिला स्तर से उ० प्र० शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त इण्टर कालेज को कब तक कस्बा खुटार में खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड में एक थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना विषयक राज्य विद्युत परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे पत्र की जानकारी

41–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में 3,250 मेगावाट के एक थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने 1992 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार को भेजा था जिसके संदर्भ में संशोधित प्राक्कलन या प्रस्ताव उ० प्र० राज्य विद्युत से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी मूल्यांकन हेतु मांगा था परन्तु अभी तक उक्त योजना लम्बित है ? यदि हां, तो राज्य विद्युत परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार को अन्तिम बार भेजे गये पत्र में क्या अनुरोध किया गया है ?

सुश्री मायावती–

बलिया जनपद बिल्थरा रोड में 3,210 मे० वा० के एक तापीय पावर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव (कुल लागत रु० 982.20 करोड़) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार को भेजा था ।

तदन्तर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने माह जून, 1990 में उक्त तापीय परियोजना का संशोधित प्राक्कलन या प्रस्ताव उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से मांग था एवं उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 3,250 मे० वा० क्षमता के बिल्थरा रोड तापीय परियोजना का संशोधित रपट (कुल लागत रु० 2029.45 करोड़) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार को टैक्नो-इकनोमिक अनुमोदन हेतु अक्टूबर, 1992 में प्रेषित किया गया था । टेक्नो-इकनोमिक अनुमोदन के लिये रेल, कोयला, पानी व पर्यावरण इत्यादि क्लियेरेन्स की आवश्यकता होती है । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परियोजना के पर्यावरण क्लियेरेन्स के संबंध में अन्तिम बार सूचना पत्र सं० 391--टी, आई/1--21 दिनांक 15-2-94 द्वारा भेजी गयी थी ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद बलिया में मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त तथा अप्राप्त मान्यता विहीन विद्यालयों की संख्या एवं विवादित कमेटियों की जानकारी

42–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद बलिया में विकास खण्डवार कितने मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त उच्चतर विद्यालय तथा कितने मान्यता विहीन विद्यालय हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संस्थागत विद्यालयों में किन-किन विद्यालयों की कमेटियां विवाद में चल रही हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद बलिया में मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राइमरी पाठशाला विद्यालय की विकास खण्डवार सूची संलग्न है ।

5 विद्यालयों की कमेटियां विवादित हैं :–

1–आदर्श महाविद्यालय संकीर्तन नगर, बलिया ।

2–जूनियर हाईस्कूल सुल्तानपुर, बलिया ।

3–जूनियर हाईस्कूल, पाण्डेयपुर, बलिया ।

4–जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर, बलिया ।

5–हरिजन प्राइमरी पाठशाला कमतला, बलिया ।

बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के प्राचार्या का नियुक्ति विषयक अधियाचन विचाराधीन

43–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के प्राचार्या को सेवा निवृत्ति दिनांक 30 जून, 1995 के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्राचार्या के पद पर कोई नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह

---

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 14 पर ।)

सच है कि 19 सितम्बर, वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 1996 तक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, शिकोहाबाद द्वारा प्राचार्या के पद पर नियुक्ति हेतु निदेशालय (उ० शि०) उ० प्र० शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग, इलाहाबाद को कई बार अधियाचन प्रपत्र भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयन नहीं किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्राचार्या के पद पर चयन का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री राम औतार शाक्य–

। तीसरे सोम में अता० प्र० सं० 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में रिक्त तृतीय श्रेणी के पदों को भरने की कार्यवाही

45–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसको पूरा करने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि जानबूझ कर उक्त कालेज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है और अब तक उसके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

आशुलिपिक और पुस्तकालय लिपिक के एक-एक अर्थात् दो पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

उक्त दोनों रिक्त पदों को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरने हेतु दिनांक 15-7-1997 को साक्षात्कार हो चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पदों को भरे जाने की कार्यवाही

46–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में प्रार्थमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने पद सृजित हैं और वित्तीय वर्ष 1989-90 से अब तक जनपद में कितने नये विद्यालय खोले गये

और उनके विरुद्ध कितने पद सृजित किये गये ? क्या यह सच है कि जनपद में कुछ रिक्त पदों को भरने की वित्तीय अनुमति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो रिक्त पदों को अब तक न भरने के लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्राथमिक विद्यालयों हेतु 2084 पद एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 690 पद सृजित हैं ।

314 प्राथमिक एवं 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रश्नगत अवधि में खोले गये हैं । 45 पद प्रधानाध्यापक एवं 51 पद सहायक अध्यापक के सृजित किये गये हैं ।

प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है । उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही की जा रही है । इसके पश्चात् ही मानक के अनुसार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर में जीपों पर वर्ष 1992 से 1995 तक आवंटन एवं व्यय का विवरण

47–श्री राम सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि प्रान्तीय खण्ड सहारनपुर में जीपों पर वर्ष 1992-93, 93-94 एवं 94-95 पर कितना व्यय हुआ तथा इसमें कितना-कितना एलाटमेन्ट था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जीपों के उपरोक्त अवधि में कितनी-कितनी धनराशि यांत्रिक खण्ड तथा कितनी-कितनी सिविल द्वारा किस-किस एजेन्सी से कितने-कितने रुपये की मरम्मत करायी गयी ? क्या मरम्मत का विस्तृत आगणन बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस पर अनुदान से अधिक खर्च किया गया ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी कब तक निर्धारित की जायेगी ? क्या बाउचर सहित विस्तृत जानकारी मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर में जीपों पर वर्ष 1992-93, 93-94 एवं 94-95 पर निम्नानुसार आवंटन एवं व्यय किया गया था :–

वर्ष	आवंटन	व्यय
	रु०	रु०
1992-93	12,000.00	1,83,373.92
1993-94	86,000.00	1,14,227.15
1994-95	51,000.00	55,329.92

जीपों के उपरोक्त अवधि में यान्त्रिक खंड एवं सिविल खंड द्वारा विभिन्न एजेन्सियों से करायी गयी मरम्मत का विवरण संलग्न है । विशेष-मरम्मत के आगणन बनाये गये हैं । कार्य पर अनुदान से अधिक व्यय किया गया है । मुख्य अभियन्ता, मेरठ को जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश दिये गये हैं ।

जी नहीं, क्योंकि वाउचर वृहद् संख्या में अंग्रेजी भाषा में हैं जिनका अल्प समय में हिन्दी अनुवाद कराना संम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' पीछे पृष्ठ 148–150 पर)

श्री रवीन्द्र मोहन ऐरन, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की तैनाती अवधि एवं लम्बित शिकायतों की जांच

48–श्री राम सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रवीन्द्र मोहन ऐरन, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता पद से लेकर अब तक किस-किस खण्ड में कितनी-कितनी अवधि तक कहां-कहां तैनात रहे ? इनके विरुद्ध उपरोक्त अवधि में किस-किस खंड में किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? कितने के विरुद्ध जांच पूर्ण हो चुकी है तथा कितनी लम्बित है ? लम्बित शिकायतों पर जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

(अ) श्री ऐरन की सहायक अभियन्ता से लेकर अब तक अवधिवार तैनातियों का विवरण निम्नवत् है :–

अवधि	तैनाती का स्थान
<u>सहा० अभि० के रूप में</u>	
1–दिनांक 11-1-65 से दिनांक 28-2-65	अस्थायी खंड–2, लो० नि० वि०, लखनऊ ।
2–दिनांक 01-3-65 से 08-9-68	एल० आर० पी० खंड, बहराइच ।
3–दिनांक 09-9-68 से दिनांक 31-10-69	प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०, फर्रुखाबाद ।
4–दिनांक 01-11-69 से दिनांक 04-8-72	सेतु परिकल्पना खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ ।
5–दिनांक 05-8-72 से दिनांक 31-12-74	अस्थायी खंड, लो० नि० वि०, गाजियाबाद ।
6–दिनांक 01-1-75 से दिनांक 18-7-75	अ० वि० नि० इ० (भवन), लो० नि० वि०, गाजियाबाद ।
7–दिनांक 19-7-75 से दिनांक 18-10-79	प्रा० खण्ड ,लो० नि० वि०, सहारनपुर ।
8–दिनांक 19-10-79 से दिनांक 31-5-80	अ० खंड, लो० नि० वि०, सहारनपुर ।
9–दिनांक 1-6-80 से दिनांक 31-7-81	अ० खंड, लो० नि० वि०, मेरठ ।
10–दिनांक 1-8-81 से दिनांक 25-3-82	अधी० अभि० प्रथम वृत्त, मेरठ से सम्बद्ध ।
11–दिनांक 14-7-83 से दिनांक 18-1-84	यू०पी०एस० आई०डी०सी० में प्रति नियुक्ति पर ।
<u>अधिशासी अभियन्ता के रूप में</u>	
12–दिनांक 19-1-84 से दिनांक 30-11-84	यू०पी०एस० आई०डी०सी० में प्रतिनियुक्ति पर ।

13–दिनांक 1-12-84 से दिनांक 31-3-85	अधि० अभि० (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभि० लो० नि० वि०, लखनऊ ।
14–दिनांक 1-4-85 से दिनांक 30-6-87	अ० खण्ड 3, लो० नि० वि०, फतेहगढ़ ।
15–दिनांक 1-7-87 से दिनांक 28-5-89	भवन खंड, लो० नि० वि०, गाजियाबाद ।
16–दिनांक 29-5-89 से दिनांक 6-7-92	राष्ट्रीय मार्ग खंड 2, लो० नि० वि०, इलाहाबाद ।
17–दिनांक 7-7-92 से दिनांक 4-9-95	प्रा० खंड, लो० नि० वि०, सहारनपुर ।
18–दिनांक 5-9-95 से दिनांक 11-10-95	निर्माण खंड, लो० नि० वि०, धामपुर ।
19–दिनांक 12-10-95 से दिनांक 26-1-96	निर्माण खण्ड–1, लो० नि० वि०, सुल्तानपुर ।
20–दिनांक 27-1-96 से अब तक	प्रा० खंड, लो० नि० वि०, बुलन्दशहर ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री ऐरन के विरुद्ध, उनके प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०, सहारनपुर के अधि० अभि० के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उनके पत्रों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं :–

1–श्री सुशील कुमार, सहा० अभि० द्वारा प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 24-10-96 ।

2–श्री चमन लाल "चमन", महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 20-3-93 ।

3–डा० राम सिंह वर्मा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (ई), सहारनपुर का पत्र दिनांक 17-4-93 तथा दिनांक 1-7-93 ।

4–श्री सुन्दरलाल दीक्षित, मा० विधायक, हैदरगढ़, बाराबंकी का पत्र दिनांक 27-5-94 ।

5–श्रीमती शिमला सैनी, उपाध्यक्ष, महिला सभा, समाजवादी पार्टी (एम), सहारनपुर का पत्र दिनांक 19-5-94 तथा इसके साथ संलग्नक के रूप में प्राप्त श्री आफताव अली खान, कैलाशपुर, सहारनपुर का पत्र ।

6–डा० राम सिंह वर्मा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (ई), सहारनपुर का पत्र दिनांक 14-11-94 ।

उपर्युक्त शिकायती-पत्रों के अतकनीकी बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य अभि० पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ एवं तकनीकी विन्दुओं पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो० नि० वि० से जांच के आदेश दिये गये । अतकनीकी बिन्दुओं पर जांच अभी पूर्ण नहीं हो पायी है, जबकि तकनीकी बिन्दुओं पर जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ।

स्व० श्री बाबू राम, प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला कुर्मिनखेड़ा, ग्राम–वंशीपारा, हरदोई की पत्नी को वर्ष 1977 से अब तक बकाया पेंशन भुगतान की मांग

49–श्री राम पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री बाबू राम, प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कुर्मिनखेड़ा, ग्राम–वंशीपारा, ब्लाक कोंथावां, जनपद हरदोई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती बिटाना को वर्ष 1976 तक की पेंशन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1977 से अब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शेष पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

वर्ष 1977 से देय अवधि 6-9-81 तक की पेंशन का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है । दिनांक 7-9-81 से अध्यावधि लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत इन्हें नियमानुसार पारिवारिक पेंशन देय न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है ।

ब्लाक कोथावां, तह० सण्डीला, जनपद हरदोई के ग्राम सभा कल्यानमल में विद्युतीकरण

50-श्री राम पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 10 वर्ष पूर्व ब्लाक कोथावां, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के ग्राम सभा कल्यानमल में बिजली के खम्भे गाड़े गये थे ? यदि हां, तो क्या वहां ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हैं ? उक्त ग्राम सभा अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बावजूद भी विद्युतीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ? वहां कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ब्लाक कोथावां जनपद हरदोई के ग्राम कल्यानमल में बिजली के खम्भे गाड़ कर एवं तार आदि खींच कर दिनांक 31-3-78 को विद्युतीकृत किया गया था । किन्तु अन्तराल में लाइन के तार एवं अन्य सामग्री चोरी होने के कारण वर्तमान में इस ग्राम की विद्युत आपूर्ति बाधित है ।

जी हां ।

उक्त ग्राम को पूर्व में ही विद्युतीकृत कर दिये जाने के कारण उसका अम्बेदकर ग्राम योजना में पुनः विद्युतीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चोरी गये लाइन के तार एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर ग्राम कल्यानमल को लगभग चार माह में पुनः विद्युत आपूर्ति कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

मुहल्ला आलोक नगर, अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ में स्थित कथित पार्क की सफाई

51-श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुहल्ला आलोक नगर, अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ में श्री परवन लाल के घर के सामने बड़े पार्क में वहां के निवासियों द्वारा कूड़ा फेंका जाता है जिससे बीमारी फैलने का भय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क से कूड़े की सफाई करवाकर उक्त पार्क का पुनरुद्धार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत स्थल पार्क नहीं है । मोहल्ला आलोक नगर का भूविन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है । उक्त स्थल पर स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़ा डाला जाता है इससे किसी बीमारी के फैलने की आशंका नहीं है क्योंकि नियमित कूड़ा हटाने की व्यवस्था की गई है । सफाई नियमित रूप से करने की व्यवस्था है । चूंकि उक्त स्थल पार्क नहीं है, अतः पुनरुद्धार का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उक्त स्थल पार्क नहीं है ।

ग्राम सभा इस्माइलगंज, परगना तहसील व जनपद लखनऊ के किसानों की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि का विवरण

52–श्री कौशल किशोर–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित आतारांकित प्रश्न संख्या 79 के संदर्भ में क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत ग्राम की कुल 13.58 एकड़ भूमि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या परिषद् की प्रचलित दरों के अनुसार उक्त भूमि के अधिग्रहण के समय उसकी कीमत 9 लाख 66 हजार तीन सौ पैंतीस रुपये थी ? क्या उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम सभा को किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस ग्राम की भीषण पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इस धनराशि और इस पर आज तक आयद हुए ब्याज से प्रश्नगत ग्राम के लिये एक ओवर हेड टैंक की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा–38 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय की भूमि बिना प्रतिकर दिए नोटिस के आधार पर पुनर्ग्रहीत की जा सकती है ।

उपरोक्त धारा–38 के प्राविधान के अन्तर्गत ही यदि परिषद् योजना विकसित करने के उपरान्त पुनः स्थानीय निकाय को ऐसी भूमि हस्तान्तरित कर देती है तो परिषद् को भूमि मूल्य भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है ।

53–श्री कौशल किशोर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नई बस्ती मशकगंज, लखनऊ की नजूल भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण हटाने की मांग

54–श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 95 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–49 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न में सूचित मशकगंज वार्ड, लखनऊ के अन्तर्गत भवन सं०–192/16 के मालिक द्वारा नजूल भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को विभाग द्वारा नष्ट किये जाने के उपरान्त पुनः अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किये जाने के संबंध में श्री बैजनाथ रावत, पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 7-8-95 व 29-2-96 नगर निगम, लखनऊ व लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

संदर्भित भवन तथा उसके सामने गली का निरीक्षण कराया गया है । अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति विषयक-प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 95 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूचित कार्यवाही की जानकारी संबंधी पत्रांक 488/पी–1/94-23, दिनांक 19-2-94 में दिये तथ्यों की जांच हेतु प्रश्न में उल्लिखित श्री बैजनाथ रावत, विधायक के पत्र दिनांक 7-3-94 मुख्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री का पत्रांक 1556 दिनांक 16-3-94 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मार्च, 94 में प्रेषित उपरोक्त पत्रों में इंगित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के गठन संबंधी कार्यालय ज्ञाप सं०–2310 पी–1/91-23-209 पी/85 पर इसे अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम हस्ताक्षर तथा इसके जारी होने का दिनांक अंकित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? परीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम तथा परीक्षण प्रारम्भ व समाप्त होने तथा शासन को इस परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि क्या है ? क्या शासन इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आवश्यकता न होने से निर्गत नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन स्तर पर परीक्षण किया गया । पत्रावलियों में किये गये परीक्षण के उद्धरण सदन के पटल पर रखा जाना समीचीन नहीं है । परीक्षण के परिणामों से पूर्व में ही संबंधित विधायक को अवगत कराया जा चुका है ।

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, कन्या जू०हा० स्कूल खड्डा, देवरिया/पडरौना के सम्पूर्ण देयों के भुगतान की मांग

56–श्री विश्वनाथ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री राम अधार विश्वकर्मा प्रधानाध्यापिका, कन्या जूनियर हाईस्कूल खड्डा, देवरिया/पडरौना का सेवाकाल 30-6-96 को समाप्त होने के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके बकाये जैसे पी०एफ०/एल०आई०सी० एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

सामूहिक जीवन बीमा को छोड़कर शेष पी०एफ० और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है । सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, इलाहाबाद को दिनांक 11-12-1996 को भेजा जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी०एस० शाखा–यूनिट 26 के नोटर ड्राफ्टर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

57–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी०एस० शाखा के यूनिट 26 में कार्यरत जूनियर नोटर ड्राफ्टर (श्री बी० एन० यादव) यूनिट–26 का कार्यालय भी अपनी एक संबंधी (जल निगम कर्मी) के निजी भवन में स्थापित कराकर सम्बन्धी को प्रतिवर्ष हजारों रुपये का लाभ एवं जल निगम को नियम विरुद्ध हजारों रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है ? क्या

सरकार दोनों प्रकरणों की जांच कराकर कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

31-12-1997 तक जांच पूर्ण करा ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम हुलवाना, ब्लाक नन्दगांव, तहसील छाता, जनपद मथुरा का विद्युतीकरण

58–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुलवाना, तहसील छाता, जिला मथुरा का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । ग्राम हुलवाना, ब्लाक नन्द गांव, तहसील छाता, जिला मथुरा का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 में करा दिया गया था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्माइलपुर, भरतरी व टप्पल अधूरे विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

59–श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीरपुरा–भरतरी एवं टप्पल विद्युत उपकेन्द्रों का अधूरा निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

(I) वीरपुरा नाम से कोई विद्युत उपकेन्द्र नहीं है । बल्कि इस्माइलपुर नाम से एक 33 के०वी० उपकेन्द्र है, जो ऊर्जीकृत है । लेकिन सिविल कार्य धनाभाव के कारण अधूरे पड़े हैं जिन्हें धन के उपलब्ध होने पर पूर्ण कराया जाना सम्भव हो पायेगा ।

(II) 33 के०वी० उपकेन्द्र भरतरी के अधूरे निर्माण कार्यों को माह अगस्त 1997 में शुरू कराके वर्ष 1997-98 में पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है ।

(III) 33 के०वी० उपकेन्द्र टप्पल के अधूरे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा वर्ष 1997-98 में पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधि० अभियन्ता, यातायात अध्ययन एवं सर्वेक्षण खण्ड, लो० नि० वि०, लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

60–श्री राम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभि०, यातायात अध्ययन एवं सर्वेक्षण खण्ड लो० नि० वि०, लखनऊ का पत्रांक 2410/पी० एफ० दिनांक 24-10-96 अधि० अभि० द्वारा की गयी अनियमितता के बारे में प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या

आरोप थे ? क्या उस पर तकनीकी कोष्ट द्वारा जांच की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कब जांच पूर्ण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

(I) चिलकाना–दुमझेडा मार्ग के सुरक्षात्मक कार्यों के पुनर्निर्माण में की गयी अनियमितता ।

(II) सरसावा शुगर फैक्ट्री के डिपाजिट कार्य में अनियमितता ।

(III) अम्बाला–सहारनपुर–मसूरी मार्ग के कि०मी० 124 से 126 के चौड़ीकरण के कार्य में की गयी अनियमितता ।

जी नहीं ।

प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर–हरिद्वार वृत्त, 32 वां वृत्त, लो० नि० वि० सहारनपुर से जांच कराई जा रही है ।

जनपद खीरी अन्तर्गत आयेल नगर पंचायत में निर्माण कार्य हेतु टेण्डर में की गयी कथित अनियमितताएं

61–श्री राम पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी के अन्तर्गत आयेल नगर पंचायत में मार्च, 1997 में लगभग $5\frac{1}{2}$ लाख रु० की लागत से निर्माण कार्य हेतु बिना नगर पंचायत समिति में प्रस्ताव पास कराये टेण्डर आमंत्रित किये गये ? क्या यह सही है कि टेण्डर आमंत्रित करने से पहले कोई नोटिस विज्ञापन, मुस्तहरी नगरपालिका व जिला परिषद् जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगायी गयी ? क्या यह भी सही है कि अधि० अधि० अध्यक्ष ने प्रमुख समाचार पत्रों के स्थान पर मात्र स्थानीय दैनिक एफ्रो एशियाई सन्देश में निविदा प्रकाशित करवाई ? क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिये दोषी व्यक्ति को दण्डित कराने की कृपा करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

टेण्डर नोटिस दिनांक 14-3-97 को जारी की गयी थी, जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, खीरी को तथा संबंधित जनपद की नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों को तथा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खीरी को प्रेषित की गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डायमंड डेरी, लखनऊ आवास योजना में पार्क विकसित किये जाने की मांग

62–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डायमंड डेरी, लखनऊ आवास योजना पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो चुकी है ? क्या उक्त योजना में कोई पार्क भी विकसित किया जाना है ? यदि हां, तो उसे कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा डायमंड डेरी योजना लखनऊ विकसित करके इसकी जन सेवायें यथा सड़क, सीवर, नालियां, पार्क आदि के रख-रखाव हेतु दिनांक 15-7-81 को नगर निगम लखनऊ को हस्तान्तरित की जा चुकी है । तद्नुसार इस योजना की सेवाओं का रख-रखाव अब नगर निगम, लखनऊ द्वारा ही किया जा रहा है ।

परिषद् द्वारा इस योजना में अब कोई पार्क विकसित नहीं किया जाना है ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता एवं सचिवालय भत्ता दिये जाने की मांग

63–श्री बाबू राम, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 40 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्ड क्या है ? क्या प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से वाहन भत्ते के संबंध में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 87-88 में वर्ष वार कन्वेन्स चार्ज के रूप में परिषदीय सचिवालय कर्मचारियों द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया था ?

सुश्री मायावती–

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्डों का विवरण उनके कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-6-78, पत्र दिनांक 8–9–83, 14–2–89 एवं 4-10-90 में निहित हैं, जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं । † प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से वाहन भत्ते के सम्बन्ध में कोई पत्र उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है तथापि उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–227/पी०आर०सी०/चौ०–1–90–12 उ० वे०रि०/88, दिनांक 30 मार्च, 1991 प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है । वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1987-88 में वर्षवार कन्वेन्स चार्ज के रूप में परिषदीय सचिवालय कर्मचारियों द्वारा किया गया व्यय निम्नवत् है :–

1984–85	रु० 56505.69
1985–86	रु० 56295.15
1987–88	रु० 2861.00

डा० राजीव कुमार चतुर्वेदी व डा० दीपक साहनी की समस्त उपाधियों की जानकारी

64–श्री बाबू राम, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री विद्या सागर गुप्त तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 96 के उत्तर के क्रम में ऊर्जा मंत्री दिनांक 29-9-78 को जारी नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विज्ञापन डी० एल० 1916 में प्रशासकीय निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों के संशोधन हेतु कोई सूचना तत्कालीन सचिव द्वारा जारी की गयी थी ? क्या मंत्री जी डा० राजीव कुमार चतुर्वेदी व डा० दीपक साहनी की समस्त उपाधियों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी (प्रतियां सदन के पटल पर रखी गयी) ।

सुश्री मायावती–

सन्दर्भित नियुक्ति पत्र संख्या 5033–जीई–2/एसईबी/78, दिनांक 29-9-78 की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है †

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रशासनिक निर्णय की जानकारी अभ्यर्थियों को देना आवश्यक नहीं था ।

विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों में कोई संशोधन नहीं किया गया था ।

डा० राजीव कुमार चतुर्वेदी की एम० बी० बी० एस० एवं एम० एस० तथा डा० दीपक साहनी की एम० बी० बी० एस० की उपाधि की छाया प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महिला चिकित्साधिकारी की नियमों के अनुसार नियुक्ति एवं परिषद् मुख्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण

65–श्री बाबू राम, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महिल चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता निर्धारण में की गई धांधली से संबंधित कुं० मानवेन्द्र सिंह, पूर्व एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 2–9–96 जो कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष उ० प्र०राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह पूर्व एम० एल० सी० के संदर्भित पत्र दिनांक 2–9–96 द्वार चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्तियों एवं चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितताओं के संबंध में इंगित किया गया है तथा डा० श्रीमती नलिनी टण्डन एवं अन्य चिकित्साधिकारियों के चिकित्साधिकारी पद पर चयन एवं वरिष्ठता निर्धारण करने के संबंध में संदर्भित नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दिनांक 17–8–95 का उल्लेख किया गया है । उक्त पत्र/नियम 63 के अन्तर्गत सूचना में पूछी गई सूचना पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि डा० श्रीमती नलिनी टण्डन की वरिष्ठता परिषदीय विनियमों के अनुसार ही निर्धारित की गई है ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 2-9–96 में यह भी सूचित किया गया है कि परिषद् में महा निदेशक (चिकित्सा) का एक पद सृजित करके डा० आर० के० चतुर्वेदी को प्रोन्नत करके लखनऊ में तैनात किया गया है । इस संबंध में सूचित करना है कि परिषद् में महानिदेशक (चिकित्सा) का कोई पद सृजित नहीं किया गया है । डा० आर० के० चतुर्वेदी जो ओबरा परियोजना में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थे, का परिषदीय कार्यहित में स्थानान्तरण परिषद मुख्यालय लखनऊ में मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर ही किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्र दिनांक 2–9–96 में यह भी इंगित किया गया है कि पदों के सृजन में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है । इस संबंध में पदों विशेष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है अतः उनके सृजन में अनियमितता का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी । (सदन के पटल पर रख दी गई हैं) ।

लखनऊ जनपद में स्थित 33/11 के वी० विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग ओवर हालिंग आयल आदि विषयक स्टेशनवार तथा वर्षवार विवरण

66–श्री बाबूराम, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित 33/11 के० वी० सब स्टेशन पर किस-किस क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थित है ? पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग एवं ओवर हालिंग में कुल कितना धन सब-स्टेशनवार व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रांसफार्मर आयल की किस मात्रा में प्रत्येक सब स्टेशन पर वर्षवार खपत है ? यह किस दर से तथा किस कम्पनी से क्रय किया जाता है ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ जनपद में स्थित 33/11 के वी० विद्युत उपकेन्द्रों का क्षमतावार विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

पिछले तीन वर्षों में डालीगंज 33/11 के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र पर स्थापित 10 एम०बी०ए० ट्रांसफार्मर के अलावा अन्य उपकेन्द्रों के ट्रांसफार्मर की मरम्मत एवं ओवरहालिंग पर नाम मात्र का व्यय किया गया है । डालीगंज विद्युत उपकेन्द्र के 10 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर फरवरी, 1996 में रु० 1.00 लाख का व्यय किया गया है ।

प्रत्येक 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र पर ट्रांसफार्मर आयल की वार्षिक खपत संलग्न* तालिका में दर्शायी गई है ।

ट्रांसफार्मर आयल रू० 22.425 प्रति लीटर की दर से मेसर्स एलिन आयल कार्पोरेशन, मेरठ, मेसर्स एपार लिमिटेड मुंबई एवं मेसर्स सविता केमिकल्स, मुंबई से क्रय किया जाता है ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत एल० एम० पी० 7 के स्थान पर सामान्य उपभोक्ता को कनेक्शन परिवर्तन विषयक पूर्व एम० एल० सी० कुं० मानवेन्द्र सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

67–श्री बाबूराम, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० वि० परिषद् के अन्तर्गत एल० एम० पी० 7 के स्थान पर सामान्य उपभोक्ता को कनेक्शन परिवर्तन के संबंध में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर कितने समय में विद्युत् वितरण खण्डों द्वारा नाम परिवर्तित कर बिल भेज दिया जाता है ? क्या इस संबंध में कु० मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 27-11-95 जोकि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दर एल० एम० वी–7 (जो 3-1-97 से पूर्व राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु लागू थी) से सामान्य उपभोक्ता के कनेक्शन में परिवर्तन के संबंध में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर सामान्यतः दो सप्ताह का समय पर्याप्त है । तथापि विद्युत् वितरण खण्डों द्वारा नाम परिवर्तन कर कम्प्यूटर द्वारा कम्प्यूटर से डाटा फीड कर एवं बिल निर्गत होने में लगभग 2 माह का समय लग जाता है ।

जी हां ।

उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण कार्यवाही लम्बित हैं ।

---

* (देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ संख्या 151–152 पर)

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत वितरण खण्ड उन्नाव के उपखण्ड-तृतीय के कार्यालय में वर्ष 1996 में वेतन धनराशि के गबन विषयक अद्यतन स्थिति की जानकारी

68–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के उपपखण्ड अधिकारी तृतीय कार्यालय में वर्ष 1996 में वेतन की कुल कितनी धनराशि का चेक किसके द्वारा कैश कराया गया ? क्या वेतन की धनराशि का गबन कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? क्या वेतन की धनराशि का गबन कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? क्या यह सत्य है कि संबंधित कर्मचारी को श्री वी० के० शुक्ला, अधीक्षण अभियन्ता ने दिनांक 5-12-96 को बहाल कर दिया ? यदि हां,तो किस आधार पर ? प्रश्नगत मामले में अद्यतन स्थिति क्या है और धन की वसूली किस प्रकार की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव के उपखण्ड अधिकारी तृतीय के कार्यालय में वर्ष 1996 में कुल रु० 53932.80 की धनराशि दो चेकों के माध्यम से चेक संख्या–आर० जे० एफ०–836948 दिनांक 13-3-96 (रुपये 640.00) एवं चेक संख्या आर० जे० एफ० 836956 दिनांक 15-3-96 (रु० 53292-80) श्री संत प्रसाद श्रीवास्तव, दैनिक श्रेणी लिपिक (द्वितीय) द्वारा कैश कराई गई थी ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

आरोपी श्री सन्त प्रसाद श्रीवास्तव से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने के 6 (छः) माह के उपरान्त परिषदीय पत्र संख्या–43–जीई/एसईबी–111–14 जी०एम/74, दिनांक 9 जनवरी, 1978 के प्राविधान के आधार पर ।

प्रश्नगत मामले में जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में लिये गये निर्णय के अनुसार मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद, मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर) में परिषदीय आदेश संख्या 245 दिनांक 28-1-94 के अनुपालन विषयक जानकारी की मांग

69–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या उर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) में किन-किन स्थानों से परिषदीय आदेश संख्या 245 दिनांक 28-1-94 के अनुपालन में अनुबंधित भार पर प्रतिभूति के रूप में 1/97 से मई, 1997 तक कुल कितनी धनराशि उपभोक्ताओं से जमा कराई गई ? क्या इसे उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के लखनऊ के खाते में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी परिषदीय आदेश दिनांक 28-1-94 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खण्ड मण्डल, मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्यानुसार पदनाम परिवर्तित करने एवं उस पद के बराबर वेतनमान दिये जाने की मांग

70--श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री बाबू राम तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री जी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त टिप्पणी/संस्तुतियों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रस्ताव किस स्तर पर स्वीकृत किया गया था तथा उसे अस्वीकृत करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम क्या थे ?

सुश्री मायावती–

परिषद् के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से निम्नांकित पत्रों द्वारा संस्तुतियां प्राप्त हुयी थीं, जिनकी छाया प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं :–

1–पत्र सं० 1767/भ० प्र०/अनु०–3/ अ० ता० पत्र दिनांक 20–8-91

2–पत्र सं० 6283–पी०टी०पीएस/मप्र/एसई/मु०एम–1 दिनांक 29-8-91

3–पत्र सं० 3236–मु०अ० (सिविल)/20बी–1 दिनांक 25-9-91

4–पत्र सं० 4488–म० प्र० (अ)/14बी–16 विविध दिनांक 30-11-91

5–पत्र सं० 846/ज० वि०प०/124अ–28 मोनेटरिंग 5-12-91

6–पत्र सं० 5235/सीई(कंजेड)/पी०ओ० दिनांक 16-12-91

7–पत्र सं० 4282–मु० अ० (सिविल) 20/बी–1 दिनांक 7-1-92

8–पत्र सं० 112/18एलसी दिनांक 7-1-92

9–पत्र सं०–147–मुक्षे० अ० आ/कया०अ० दिनांक 14-1-92

10–पत्र सं० 732–विसेआ/विविध–22/यूनियन दिनांक 5-2-92

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्ताव परिषद् स्तर पर सचिव द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया था तथा उसे अस्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम श्री अरुण कुमार वशिष्ठ, तत्कालीन सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् था ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय वर्ग सेवा विनियमावली संबंधी मा० उच्च न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं तथा हानि वसूली विषयक जानकारी की मांग

71–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् परिचालकीय वर्ग सेवा विनियमावली एवं मीटर रीडर/एस०एस० ओ० के कार्य परिवर्तन संबंधी मई, 1994 से 3 मार्च, 1997 तक मा० उच्च न्यायालय में कुल कितनी याचिकायें लम्बित हैं और परिषद् के इस मद में कितने करोड़ रुपये व्यय हुये हैं ? क्या इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ ने परिषद् को सुझाव दिया था ? यदि हां, तो क्या परिषद् को हुई हानि की वसूली अधिकारियों से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् परिचालकीय वर्ग सेवा विनियमावली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 91 याचिकायें तथा लखनऊ खण्ड पीठ में 30 याचिकायें लम्बित थीं । इन

याचिकाओं की पैरवी परिषदीय नीति के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है । वित्तीय भार की स्थिति क्षेत्रीय अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोकायुक्त कार्यालय कबीर मार्ग तथा डायमण्ड डेरी, लखनऊ की दोनों पटरियों पर अनधिकृत अतिक्रमण हटाने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकायुक्त कार्यालय–कबीर मार्ग तथा डायमंड डेरी लखनऊ की दोनों पटरियों पर वहां के निवासियों ने स्टैण्ड का निर्माण करा लिया है जिन पर वे अपने वाहन खड़े करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फुटपाथ पर बने उक्त अतिक्रमण को हटाकर एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

फुटपाथ पर बने उक्त अतिक्रमण को दिनांक 16-7-97 को हटवा दिया गया है । अतिक्रमणकर्ताओं का सामान स्थल से उठवाकर इन्वेन्ट्री नं०–88/70 में अंकित कर नगर निगम के स्टोर में जमा करा दिया गया है । इस प्रकार अब स्थल पर अनधिकृत कब्जा नहीं है ।

अतिक्रमणकर्ताओं का सामान स्थल से उठवाकर स्टोर में जमा करवा दिया गया है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर विकास संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण विरोधी अभियान की रूपरेखा की जानकारी तथा घोसियों को अन्यत्र बसाने की योजना

73–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर विकास संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ नगर में चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की रूपरेखा क्या है ? क्या मंत्री जी शहर में बसने वाले घोसियों तथा अन्य जानवरों को पालने वाले व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शहर से बाहर किये जाने की कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है । नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिये विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं लोक निर्माण आदि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया ।

शहर में बसने वाले घोसियों तथा अन्य जानवरों को पालने वाले व्यक्तियों को शहर से बाहर बसाने की योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है ।

अभी योजना प्रस्ताव स्तर पर है ।

उ० प्र० विकास प्राधिकरण में विद्युत/यांत्रिक सहायक/अवर अभियन्ता पद की संख्या की जानकारी तथा रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

74–श्री समर पाल सिंह–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विकास प्राधिकरण में विद्युत/यांत्रिक के कितने सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? उनकी संख्या अलग-अलग क्या है ? वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायगी ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत विद्युत/यांत्रिक के 25 सहायक अभियन्ता तथा 16 अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक कार्यरत हैं ।

वर्तमान समय में अवर अभियन्ता के कुल 21 पद थे, जिनके सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग को विशेष चयन हेतु प्रेषित किया जा चुका है । चूंकि चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है । अतः परिणाम प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी ।

75–श्री समर पाल सिंह–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

75–क–श्री समर पाल सिंह–

।विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निछदूरा एवं फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण व मरम्मत हेतु प्राविधानित राशि के विवरण की मांग

76–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निछदूरा तथा विकास खण्ड, फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालयों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ? इनमें से दोनों विकास खण्ड में पृथक-पृथक भवनहीन तथा क्षतिग्रस्त भवन वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ? क्या वित्तीय वर्ष 1997-98 में इन दोनों विकास खण्ड में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण व मरम्त हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो दोनों विकास खण्डों में प्राविधानित राशि का पृथक-पृथक विवरण क्या हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

<u>विकास खण्ड निछदूरा में</u>

कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	100
भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	01
जर्जर विद्यालयों की संख्या–	05

<u>विकास खण्ड फतेहपुर में</u>

कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	127
भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	01
जर्जर प्राथमिक स्कूल भवनों की संख्या–	07

जर्जर/भवनहीन विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत संबंधित जनपद द्वारा प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति एकमुश्त शासन द्वारा संबंधित जनपद को प्रदान की जाती है । अनुमोदित जिला योजना प्राप्त हो गयी है । योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत की जायेगी मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत के लिये शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध करायी जा चुकी है । शिक्षा निदेशालय द्वारा धनराशि आवंटित की जा रही है । विकास खण्डवार विभाजन जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन एवं स्टेट्स निर्धारण विषयक जानकारी

77–श्री राम पाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम सोमवार दिनांक 12-8-91 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित एवं स्टेट्स निर्धारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-2-1992 में वित्त विभाग व नियुक्ति/कार्मिक विभाग के परामर्श से क्या निर्णय लिया गया है ? पदनाम परिवर्तन में क्या विधिक व वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? सरकार ने निर्माण सचिव शाखा में किस अधिकारी के समकक्ष/समतुल्य मुख्य प्राविधिक परीक्षक का स्तर निर्धारित किया है ? क्या तदनुसार आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोष्ठ के अधिकारियों को इरला चेक अनुभाग से वेतन व यात्रा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करायी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

कोष्ठ के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है । क्योंकि इनका पदनाम कोष्ठ के नाम के अनुरूप है ।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक का लोक निर्माण सचिव शाखा में कोई स्तर निर्धारित नहीं हैं । क्योंकि कोष्ठ सचिवालय से भिन्न संगठन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोष्ठ के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को इरला चेक अनुभाग से वेतन भुगतान की व्यवस्था की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, गोमती नगर आवासीय योजना में आबंटित भूमि को भूस्वामियों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने की मांग

78–श्री राम पाल वर्मा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–31 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत विभव खण्ड की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने क्या कोई निर्णय/जजमेंट दिया है ? लखनऊ विकास प्राधिकरण कब तक भू-खण्डों की रजिस्ट्री प्रत्येक आवंटी के पक्ष में करवा देगा ? विकास कार्य किस तिथि से प्रारम्भ हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विकास कार्य में क्या संवैधानिक अड़चन हो रही है ? भूखण्ड सं०–4/8 विभव खण्ड के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में क्या-क्या स्थित है ?

श्री लालजी टण्डन–

सिविल अपील सं० 1843/86, 1844/86 एवं 1854/86 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी, 1989 को पारित निर्णय का प्रभाव इस भूमि की अध्याप्ति पर पड़ा था क्योंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 तथा 6/17 की विज्ञप्तियां एक ही तिथि में प्रकाशित किये जाने को अवैध ठहराया गया था । परन्तु दिनांक 27-2-91 को अधिनियम की धारा–17 में संशोधन कर इस श्रेणी की कतिपय विज्ञप्तियों को वैध बनाया गया ।

किसानों द्वारा मुआवजे की दरों में वृद्धि की मांग को लेकर अवरोध उत्पन्न कर देने के कारण विकास कार्य वर्तमान में रुका हुआ है । ऐसी स्थिति में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री करने की समय

सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है । किसानों द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देने के कारण विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

संशोधित ले आउट प्लान के अनुसार विभव खण्ड में भू-खण्ड सं० 4/80 उपलब्ध नहीं है ।

कटेहरी बाजार, जनपद अम्बेडकर नगर को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

79-श्री राकेश धर त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी बाजार को टाउन एरिया (नगर पंचायत) बनाने संबंधी शासकीय पत्र जिला अधिकारी ने 15 मार्च, 1996 को सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार कटेहरी बाजार को कब तक नगर पंचायत का दर्जा देने जा रही है ?

श्री लाल जी टंडन-

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 एवं 10/96 में पारेषण तथा वितरण इकाइयों में हुई अनियमितताओं की सी०बी०आई० जांच विषयक प्रश्नकर्त्ता एवं श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा सांसद के पत्र पर कृत-कार्यवाही की जानकारी

80-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 एवं 10/96 में पारेषण तथा वितरण इकाइयों में कितने मिलियन यूनिट की भिन्नता थी ? क्या यह सही है कि लाइन लासेज निकालने के बाद भी विद्युत चोरी की जा रही है ? क्या इस संबंध में मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-3-97 पर जो कि मा० प्रधान मंत्री/मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित था और जिसमें सी० बी० आई० जांच की मांग की गयी थी, कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पारेषण तथा वितरण इकाइयों में वर्ष 1995-96 तथा 10/96 में क्रमशः 724 एम०यू० तथा 620 एम०यू० की भिन्नता थी ।

प्रति वर्ष माह अप्रैल से मार्च तक कुल ऊर्जा प्राप्ति तथा उपभोक्ता परिसर पर ऊर्जा खपत में अन्तर ही लाइन हानियों में दर्शाया जाता है ।

प्राप्त नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० वि० परिषदान्तर्गत जनपद देवरिया में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में ट्रांसफार्मर विषयक अद्यतन पूर्ण विवरण की मांग

81-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत देवरिया जनपद में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कुल कितने ट्रांसफार्मर जले ? उनकी क्षमता क्या थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद कितनी अवधि में ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते हैं ? क्या यह सत्य है कि ट्रांसफार्मर का रख-रखाव एवं आयल बदलने का कार्य नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रांसफार्मर किस कम्पनी से खरीदा गया तथा रिपेयरिंग करने वाली फर्म का क्या नाम है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत जनपद देवरिया में वर्ष 1995-96 में 482 अदद एवं वर्ष 1996-97 में 540 अदद ट्रांसफार्मर जले जिनकी क्षमता का विवरण सूची में संलग्न है ।

सामान्यतः एक माह के अन्दर जले ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते हैं ।

जी नहीं ।

ट्रांसफार्मर ई०एम०आई० इलेक्ट्रा, जी०ई०सी० मारसन आदि फर्मों के क्रय किये गये है । मरम्मत का कार्य मै० सुभाष ट्रेडर, गोरखपुर तथा मै० मारुति उद्योग आदि विभिन्न फर्मों द्वारा कराया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' पीछे पृष्ठ 153 पर)

रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद देवरिया में पंचलड़ी एवं पकड़ी बाजार में पूर्वांचल निधि के तहत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की मांग

82–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचलड़ी एवं पकड़ी बाजार में पूर्वांचल निधि के तहत विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने की घोषणा द्वारा वर्ष 1995 एवं 1996 में की गयी थी ? यदि हां, तो उसके लिये कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी ? क्या मंत्री जी भी बतायेंगे कि सब स्टेशन निर्माण हेतु धन का कब तक आवंटन किया जायेगा तथा निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचलड़ी में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु शासन द्वारा घोषणा की गयी थी । किन्तु पकड़ी बाजार में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने हेतु कोई घोषणा नहीं की गयी थी ।

केवल पंचलड़ी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु लगभग 1.5 एकड़ भूमि ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पास करके विद्युत परिषद् को मिल गयी है परन्तु पकड़ी बाजार में अभी कोई भूमि प्रस्तावित नहीं है ।

पंचलड़ी 33/11 के०वी० लाइन एवं उपकेन्द्र बनाने हेतु जिलाधिकारी देवरिया को रु० 1,08,20,210.00 का आंकलन दिनांक 19-11-90 को दिया गया है । अभी कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को जिलाधिकारी द्वारा धन उपलब्ध कराने पर कार्य यथाशीघ्र पूरा कर दिया जायेगा ।

लखनऊ नगर निगम में माह 11/95 से 3/97 के मध्य सेमी हाई मास्ट सोडियम फिटिंग्स के क्रय में हुई अनियमितता के सन्दर्भ में श्री विनोद कृष्ण सिंघल सभासद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम में माह 11/95 से 3/97 के मध्य कुल कितने सेमी हाई मास्ट सोडियम फिटिंग्स लगाये गये ? उनकी दरें क्या थी तथा किस कम्पनी से खरीदे गये ? क्या यह सत्य है कि सोडियम फिटिंग्स का परिवर्तित रूप दिखाकर लाखों रुपये के घपले किये गये है ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद के अपने पत्र दिनांक 30-1-1997 जो कि नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम में माह 11/95 से 3/97 तक कुल 20 संख्या में सेमी हाई मास्ट सोडियम फिटिंग्स की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया गया ।

इनको रु०.28,500/- प्रति नग की दर से मेसर्स केशलेक इण्डिया लि० द्वारा लगायी गयी ।

जी नहीं ।

जी हां ।

चूंकि उपरोक्त की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य सर्व निम्न निविदादाता द्वारा कराया गया है । अत नगर निगम द्वारा इस पर कार्यवाही की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् मुख्य अभियन्ता (लवेसा) लखनऊ में वेतन रजिस्टर गायब किये जाने की जांच विषयक पूर्व विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

४४–श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लवेसा) लखनऊ के अधीन कार्यरत कैशियर द्वारा सितम्बर, 1979 से जुलाई, 1981 का कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन रजिस्टर गायब कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या यह रजिस्टर मार्च, 1997 तक प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो 10 लाख के ऊपर के गबन की रिकवरी कैसे की गयी ? क्या इस संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को संबोधित था, दि० 21-8-96 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । उक्त रजिस्टर गायब ही नहीं हुआ था ।

विशेष सम्प्रेक्षा के आधार पर लेसू में तैनात स्व० श्री जगदीश बिहारी, कैशियर द्वारा (उनकी मृत्यु दिनांक 24-9-91 के पश्चात) रु० 8,46,563.14 के धन का गबन किये जाने का मामला उजागर हुआ । इस धनराशि का अग्रिम प्रकीर्ण उनके विरुद्ध डाला गया ।

इस संबंध में मैसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, लखनऊ के समक्ष उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया दावा दीर्घकाल से अनिर्णीत है । परिषद् के सहायक विधि अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विधिक राय के अनुसार मृतक के पावनों अथवा सम्पत्ति से अग्रिम प्रकीर्ण की वसूली नहीं की जा सकती है ।

जी हां ।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच परिषद् की जांच समिति/विशेष सम्प्रेक्षा द्वारा कराये जाने के उपरान्त लेसू/टाण्डा तापीय परियोजना के 24 अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से 23 के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दी जा चुकी है ।

जनपद बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग

४५–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के पद कब से रिक्त पड़े हैं ? उन पदों को विभाग द्वारा अब तक भरे न जाने का क्या कारण है ? उक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया का पद दिनांक 31-3-96 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद दिनांक 19-11-96 एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी का पद दिनांक 30-6-97 को रिक्त हुआ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया का पद स्थानान्तरण द्वारा भरा जा चुका है । जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी का पद आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है । चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त पद को भरा जाना संभव हो सकेगा ।

जनपद महराजगंज में निचलौल पर घटिया पेन्टिंग कराने की जांच की मांग

86-श्री चन्द्र किशोर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग महराजगंज सदर के विकास खण्ड महराजगंज में निचलौल पर घटिया पेन्टिंग का कार्य कराये जाने संबंधी शिकायती-पत्र पर प्रश्नकर्ता का पत्र सं०-23428४ दिनांक 7-5-97 जांच के लिये प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के क्रम में किस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० को भेजा गया और उन्होंने निदेशक, रिसर्च, डेवलमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, लो० नि० वि०, लखनऊ को जांच करने के निर्देश अपने पत्र संख्या-815 कैम्प सी०ई०सी/97, दिनांक 23-5-97 द्वारा दिये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में स्थित देवदह एवं राम ग्राम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की जानकारी

87-श्री चन्द्र किशोर-

क्या पर्यटन मंत्री को ज्ञात है कि महराजगंज जनपद में भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के दो प्रमुख नगर देवदह एवं रामग्राम है जिनका प्रमाण खुदाई एवं पुरातात्विक आधार पर हो चुका है ? क्या सरकार ने भगवान बुद्ध की ननिहाल देवदह एवं रामग्राम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं । महराजगंज जनपद में स्थित देवदह एवं रामग्राम को पुरातात्विक विभाग द्वारा प्रमाणिक रूप से भगवान बुद्ध से सम्बद्ध स्थल स्वीकार नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के नगर पंचायत आनन्द नगर को नगरपालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने की मांग

88-श्री विनोद मणि-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के नगर पंचायत, आनन्द नगर को नगरपालिका का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव वर्ष 1991-92 से शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या सरकार नगर पंचायत, आनन्द नगर को नगरपालिका परिषद् का दर्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जनपद महराजगंज की नगर पंचायत, आनन्द नगर को नगरपालिका बनाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1991 के अनुसार जनसंख्या निर्धारित मानक से कम है ।

जनपद गोण्डा में तुलसीपुर-फरेन्दा मार्ग पर स्थित नकटी नाला सेतु को पथकर से मुक्त करने की मांग

89-श्री बिन्दु लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में तुलसीपुर फरेन्दा मार्ग पर स्थित नकटी नाला पर बनने वाले पुल पर लागत मूल्य से अधिक धन वसूल हो गया है ? यदि हां, तो क्या

उस पर टोल टैक्स लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वसूला गया अधिक धन उसी मार्ग के भांभर नाला पर समायोजित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

पथकर से मुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

33/11 के० वी० सब स्टेशन तुलसीपुर जनपद गोण्डा में फीडर लाइनमैन व कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण

90–श्री बिन्दु लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर जनपद गोण्डा में सब स्टेशन पर कितने फीडर कार्यरत हैं ? उन पर कितने लाईन मैन एवं अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है ? क्या कर्मचारियों के अभाव के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या जितने कर्मचारियों की कमी है उसे पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

33/11 के० वी० तुलसीपुर उपकेन्द्र जनपद गोण्डा में आठ 11 के० वी० आउटगोइंग फीडर कार्यरत हैं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उक्त उपकेन्द्र पर निम्नलिखित लाइनमैनों एवं अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता एवं उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पद	कर्मचारियों की आवश्यकता	कर्मचारियों की वास्त० उपलब्धता
1	लाईनमैन	3	5
2	पेट्रोलमैन/मजदूर	5	12
3	एस०एस०ओ०	4	4
4	पार्ट टाइम स्वीपर	1	

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पिपराघाट पुल जनपद गोण्डा को शीघ्र निर्मित किये जाने की मांग

91–श्री बिन्दु लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तुलसीपुर उपरांवा मार्ग पर जनपद गोण्डा में पिपराघाट का पुल 1985 या 1986 में स्वीकृत हुआ था ? क्या उस पर धन भी आवंटित हो चुका था ? यदि हां, तो अब तक उस पुल पर काम शुरू न होने का क्या कारण है ? क्या उक्त पुल जो गोण्डा जनपद के पिछड़े क्षेत्र को अयोध्या से जोड़ता है, बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । सेतु की स्वीकृति वर्ष 1986-87 में निर्गत की गई थी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

स्व० श्रीमती जानकी तिवारी सहायक अध्यापिका, प्राइमरी विद्यालय घटना खेड़ा, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के सम्पूर्ण बकाये देयों के शीघ्र भुगतान की मांग

92–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी विद्यालय घटना खेड़ा क्षेत्र हल्द्वानी नैनीताल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती जानकी तिवारी का स्वर्गवास दिनांक 17-7-86 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके जीवन बीमा, जी० पी० एफ०, बोनस एवं पेंशन आदि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के

विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं स्व० श्रीमती जानकी निवारी के उक्त देयों का भुगतान उनके आश्रितों को शीघ्र करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने के कारण प्रश्नगत देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका है । उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार तत्काल भुगतान करा दिया जायेगा ?

उ० प्र० जल निगम मुख्यालय के अन्तर्गत वरिष्ठ आलेखक–प्रालेखकों को वित्तीय नियम 22 बी का लाभ दिये जाने की मांग

93–श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम मुख्यालय में शासनादेश सं०–जी–2. 1244/दस-302-78 दिनांक 24-6-78 में निहित वित्तीय नियम 22 बी के अन्तर्गत वरिष्ठ आलेखक प्रालेखकों को उनके कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर वेतन 82 व 83 में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि कतिपय वरिष्ठ आलेखकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त कतिपय कर्मचारियों को 22 बी का लाभ न देने का औचित्य क्या है ? उसके लिये कौन दोषी है ? संबंधित कर्मचारियों को कब तक लाभ दिला दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 154 पर)

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के सहायक अध्यापक श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव के बाध्य प्रतीक्षाकाल का वेतन भुगतान की मांग

94–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच को दिनांक 12-10-91 से 10-2-92 तक के वेतन भुगतान संबंधी शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० ने एक अ० शा० पत्रांक अ० शि० नि० मा०/503/96-97 दिनांक 5 फरवरी, 97 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र के बिन्दु क्या हैं ? इस पर किन तिथियों में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सत्य है कि शासन ने उक्त पत्र के संदर्भ में निदेशालय से कुछ पृच्छा की है ? यदि हां, तो किन बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है ? इन बिन्दुओं पर निदेशालय ने किस ने किस तिथि का क्या उत्तर दिया है ? इसमें विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या शिक्षकों को प्रश्नगत अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के सहायक अध्यापक–श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव के दिनांक 12-10-1991 से 10-2-1992 तक की अवधि के बाध्य प्रतीक्षाकाल के संबंध में निर्णय लेने हेतु शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० का पत्र दिनांक 5-2-1997 प्राप्त हुआ है ।

इस पर शासन द्वारा दिनांक 10-4-97 को संयुक्त शिक्षा निदेशक को आख्या, श्री श्रीवास्तव के स्थानान्तरण की तिथि, निदेशालय के पूर्व पत्रों में अंकित तथ्यों के विरोधाभास तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति आदि की सूचना मांगी गयी जिसके प्रत्युत्तर में निदेशालय का पत्र दिनांक 1-7-97 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सभी लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग

95--श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक एवं बालिका) के शिक्षकों के दक्षतारोक पारण, चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति, एल० टी० में संविलीनीकरण, गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि के विलुप्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन आदि प्रकरण जनपद, मण्डल एवं निदेशालय/शासन स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो किन शिक्षकों के कौन से प्रकरण किस स्तर पर कब से लम्बित हैं और क्यों ? इनके निस्तारण में क्या कठिनाई है ? क्या शासन इन सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह--

जनपद स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है । मण्डल निदेशालय तथा शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

96 श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सगड़ी जनपद आजमगढ़ के उत्तरांचल स्थित बंधा व घाघरा नदी के मध्य स्थित ग्रामों के ऊर्जीकरण की मांग

97 श्री राम प्यारे--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सगड़ी आजमगढ़ के उत्तरांचल में स्थित बंधा व घाघरा नदी के बीच के गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में शासन को जनप्रतिनिधियों का कोई पत्र दि० 12-3-97 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो विद्युतीकरण के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

सुश्री मायावती--

जी हां ।

श्री राम प्यारे, विधायक विधान सभा क्षेत्र-सगड़ी, आजमगढ़ का अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है । पत्र में संदर्भित सभी 20 ग्रामों का सर्वे करवाया गया है । उनके विद्युतीकरण पर लगभग रू० 108 लाख व्यय होना अनुमानित है । शासन की नीति के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा ग्रामों को चयनित किये जाने पर एवं वांछित धन की उपलब्धता होने पर विद्युतीकरण कराया जाना संभव होगा । अतः विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने में समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के बंधा के बीच छोटी सरयू नदी पर लो० नि० वि० द्वारा कथित सेतु-निर्माण का प्रस्ताव

98 श्री राम प्यारे--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सगड़ी आजमगढ़ के ग्राम अजगरा मगर्वी अजगरा मशर्की व बांका बुद्धनपट्टी में घाघरा नदी के बंधा के बीच छोटी सरजू नदी पर कोई पुल बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार कब तक निर्माण कार्य करायेगी ?

श्री कलराज मिश्र--

लोक निर्माण विभाग में पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक विद्यालय नवादा क्षेत्र पंचायत रानीपुर जनपद मऊ के भवन निर्माण की मांग

99–श्री राम प्यारे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला नवादा क्षेत्र पंचायत रानीपुर मऊ के भवन निर्माण हेतु वर्ष 95-96 व 96-97 में कितना धन स्वीकृत किया गया था तथा कितने धन का उपयोग अब तक किया गया है ? शेष भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा तथा भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्राथमिक विद्यालय नवादा क्षेत्र पंचायत रानीपुर मऊ के भवन निर्माण हेतु वर्ष 95-96 व 96-97 में कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ था ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग उ० प्र० में सड़क दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की जानकारी

100–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के मुख्य राज्य मार्गों की हालत अत्यन्त क्षतिग्रस्त व संकरा होने के कारण सैकड़ों दुर्घटनायें रोजाना होती रहती हैं ? क्या इन दुर्घटनाओं के शिकार व पीड़ित को कोई प्रतिपूर्ति दी जाती है ? क्या इन मार्गों के व्यापक सुधार, जिनके जगह-जगह पर टेलीफोन, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पुलिस व्यवस्था व पर्याप्त रोड साईड साईन ठीक करना व सड़कों के डबलीकरण की कोई बड़ी योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । लोक निर्माण विभाग में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है और न ही क्षतिपूर्ति का प्रकरण विभाग से संबंधित ही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही एवं जौनपुर में शेष ग्रामों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराये जाने की मांग

101–श्री पारस नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद भदोही व जनपद जौनपुर में विद्युतीकरण (ग्रामीण) का ग्राफ ज्यादा दिखाया गया है ? जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रामों में विद्युतीकरण नाम मात्र का ही हुआ है ? क्या सरकार दोनों जनपदों में शेष गांवों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण जिला अधिकारी द्वारा चयनित किये जाने पर धन की उपलब्धता पर किया जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया अन्तर्गत बिल्थरा रोड, ग्राम पंचायत में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों के जांच की मांग

102 श्री पारस नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत बिल्थरा रोड ग्राम पंचायत में चेयरमैन द्वारा पुरानी सड़कों व खड़न्जों व नालियों को उजाड़ कर उसी ईंट से नया निर्माण दिखाकर पेमेन्ट कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार चेयरमैन के कार्यकाल 95-96, 96-97 में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों की टी० एण्ड सी० जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

अभी किसी कार्य का अंतिम भुगतान नहीं किया गया है ।

शासन स्तर पर इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जिला स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य विकास अधिकारी बलिया द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण तृतीय खण्ड बलिया को जांच हेतु आदेशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोमती नगर में लगभग साढ़े सात एकड़ भूमि का अम्बेडकर उद्यान अतिथि गृह हेतु हस्तान्तरण की जानकारी

103 श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर स्थित अम्बेडकर उद्यान से सटे प्राधिकरण की लगभग साढ़े सात एकड़ व्यवसायिक/मनोरंजनात्मक प्रयोग की भूमि को अम्बेडकर उद्यान अतिथि गृह के लिए हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसका कोई प्रतिकर प्राधिकरण को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

डा० अम्बेडकर उद्यान से मिली हुई 7.40 एकड़ (वाणिज्यिक/हरित पट्टी की) भूमि डा० अम्बेडकर अतिथि गृह के लिए दिनांक 5 अप्रैल, 1977 को निर्माण एजेन्सी को हस्तान्तरित की गई है ।

जी नहीं ।

अम्बेडकर उद्यान तथा डा० अम्बेडकर अतिथि गृह परियोजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं हैं, जिसके केवल निर्माण के लिये शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

उ० प्र० प्राधिकरण केन्द्रित सेवा नियमावली, 1996 (पंचम संशोधन) द्वारा अनुसचिव स्तर की पदोन्नतियों की जानकारी

104 श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी एवं श्री राम प्यारे–

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० प्राधिकरण केन्द्रित सेवा नियमावली, 1996 (पंचम संशोधन) प्रख्यापित की गई है ? क्या उक्त नियमावली में प्रशासनिक सेवा के अनुसचिवों की पदोन्नतियां बाधित कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त त्रुटिपूर्ण नियमावली में संशोधन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । संदर्भित सेवा नियमावली 1996 (पंचम संशोधन) द्वारा अनुसचिव की पदोन्नति को बाधित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पूर्ववर्ती नियमावली में भी ऐसी पदोन्नति की व्यवस्था नहीं थी ।

यथा आवश्यकता समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा के 80 प्रतिशत ग्रामों में हुये ऊर्जीकरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

105 श्री अरविन्द सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महोबा के 80 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण फर्जी मात्र कागज पर दिखाया गया है जबकि गांवों में खम्भे भी नहीं खड़े किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री माया वती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोमती नगर, लखनऊ में स्पोर्ट स्टेडियम के निर्माण में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

106 श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के गोमती नगर में स्पोर्ट स्टेडियम के निर्माण में उ० प्र० के जल निगम के कार्मशियल विंग की यूनिट-20 के एक पर्यवेक्षण प्रबन्धक द्वारा लाखों रुपये हड़पने तथा निश्चित निर्माण कार्य समयावधि में पूरा न होने का मामला शासन के संज्ञान में वर्ष 1996 में आया है और इस प्रकरण में संबंधित महाप्रबन्धक की संलिप्तता भी जाहिर हुई ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रारम्भिक जांच में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाई गई । जल निगम के तकनीकी गुणवत्ता प्रकोष्ठ से जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् हेतु मण्डी भवन के निर्माण में धांधली की जानकारी

107 श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी भवन के निर्माण में राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित भवन में सरकारी भवन निर्माण नियमावली से अलग हटकर लगभग 25 कार्यालय कक्ष के निर्माण को न करके करोड़ों रुपया हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के लिए किसान मंडी भवन का निर्माण निविदा कार्य के रूप में उनके द्वारा अनुमोदित मानचित्रों के आधार पर किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर० बी० एस० माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

108–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम संभवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–134 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात की जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा० मंत्री जी ने दिनांक 23-8-94 को प्रश्नकर्ता के पत्र पर प्रमुख सचिव, मा० शिक्षा को अविलम्ब

कार्यवाही का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नेपाल सिंह–

जी हां, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी (2) एवं 16 डी (3) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109–श्री तेजभान सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

विद्युत परिषद् सचिवालय में एवं फील्ड में कार्यरत आर० जी० सी० कर्मिकों के वेतन निर्धारण में समानता की मांग

110–श्री विद्या सागर गुप्त श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया श्री बाबू राम तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–03 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फील्ड के आर० जी० सी० का कार्य एवं दायित्व परिषदीय सचिवालय में कार्यरत जूनियर असिस्टेन्ट से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार लिपिकीय कार्य करने वाले दोनों कर्मियों के वेतन निर्धारण में भिन्नता समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

आर० जी० सी० पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मात्र इण्टरमीडिएट है जबकि जूनियर असिस्टेन्ट पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का स्नातक होना अनिवार्य है इसीलिये दोनो श्रेणी के कार्मिकों के वेतनमान भिन्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111–श्री वेदराम–

(दूसरे क्रम में अता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

112–श्री राम औतार शाक्य–

(चौथे बुध में अता० प्र० सं० 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के मृतक अध्यापकों के नाम से कथित फर्जी वेतन भुगतान की जानकारी

113–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में 15 से 20 वर्षों से ऐसे बहुत से अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् में थे जो मर चुके हैं और उनके नाम से फर्जी वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे लाखों रुपये के फर्जी भुगतान को बन्द करायेगी ? और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण के विरुद्ध मृतक आश्रितों की सामान्य नियुक्तियां

114-श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चतुर्थ श्रेणी के पद वर्तमान समय में रिक्त है ? क्या आरक्षित वर्गों का कोटा पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे को पूरा न करके सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर ली गई है ? यदि हां, तो क्यों और उसका दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

परिषदीय चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पदों को मृतक आश्रितों तथा नियत वेतन में कार्यरत कर्मियों द्वारा समायोजन से भरे जाने की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में ऐसी बहुत सी मृतक आश्रित के नाम पर नियुक्तियां कर ली गई जो मृतक आश्रित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनपद में ऐसे भी प्रकरण हैं जिसमें एक मृतक आश्रित के स्थान पर दो-दो मृतक आश्रितों की नियुक्तियां कर ली गई हैं और बराबर वेतन पा रहे हैं ? क्या ऐसी गलत नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतम बुद्ध नगर अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा की विद्युत व्यवस्था का सरकारीकरण करने एवं किसानों को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

116–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा का 3 वर्ष पूर्व निजी रूप में विद्युतीकरण करने के आदेश सरकार ने दिया था ? जिसके कारण किसानों एवं जनता को भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः अपने हाथ में लेकर किसानों को 18 घण्टे बिजली की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में खड़न्जा से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य की मांग

117–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-3-97 पर जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा में खड़न्जा से लेकर लेपन स्तर तक 20 वर्ष से पड़े हुए अधूरे कार्यों के कार्य स्वीकृति किये गये ? यदि हां, तो कब तक निर्माण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद–फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर, प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में सेतु निर्माण की मांग

118–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की अवधि में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-3-97 पर फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा अन्तर्गत फतेहाबाद क्षेत्र के जन सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा से लेपन स्तर तक के कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

119–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद में कुल कितने कि० मी० जन सम्पर्क मार्ग है, जिन पर खड़न्जा स्तर तक कार्य हो चुका है ? क्या उनको लेपन स्तर तक कार्य पूरा कराये जाने हेतु राज्य स्तर से धन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधीन दिनांक 1-4-97 को 33.80 कि० मी० लम्बाई के खड़न्जा स्तर तक के मार्ग है ।

कार्य की आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में बी० टी० सी० प्रशिक्षणार्थी न उपलब्ध होने पर, बेरोजगार बी० एड० प्रशिक्षणधारियों को नियुक्त किये जाने की मांग

120–श्री राम औतार मिश्रा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त भारत के प्राथमिक विद्यालयों में बी० एड० प्रशिक्षणधारियों की नियुक्तियां की जाती हैं और यही नीति अनेक राज्यों में भी

लागू हैं जबकि उ० प्र० वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में बी० एड० प्रशिक्षण धारियों की नियुक्तियां मान्य नहीं हैं ? क्या मा० शिक्षा मंत्री जी प्रदेश के जनपद स्तर पर बी० टी० सी० प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्तियों के उपरान्त बी० टी० सी० प्रशिक्षणधारी उपलब्ध न होने की स्थिति में शेष पदों पर बेरोजगार बी० एड० प्रशिक्षणधारियों की नियुक्तियां करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से भरे जाने की व्यवस्था है । इसके अनुसार बेसिक अध्यापक प्रमाण-पत्र (बी० टी० सी०), हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण-पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण-पत्र, अध्यापक प्रमाण-पत्र या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता वर्तमान में निर्धारित है । उत्तराखण्ड के जनपदों में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए बी० एड० एल० टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गयी है ।

सम्प्रति प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में भारी मात्रा में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अतः परिषदीय विद्यालयों में बी० एड० प्रशिक्षण योग्यताधारी अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० लखनऊ द्वारा नियमावली, के अनुसार आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन की मांग

121–श्री राम औतार मिश्रा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, लोक नि० वि० लखनऊ ने शासनादेश सं० 1092/23-4-94 दिनांक 5-12-94 द्वारा आशुलिपिकों का एकल संवर्ग बना दिये हैं और शासनादेश सं० 11268/23-4-94 दिनांक 5-12-94 द्वारा चार वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये ? यदि हा, तो प्रमुख अभियन्ता लो० नि० वि० लखनऊ ने सचिव वित्त के अ० शा० प० सं०–1-1311-दस-8 एम–92, दिनांक 16-7-93 के संलग्नक 11 के बिन्दु 1 के अनुसार शासन द्वारा निर्गत ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के बिन्दु 6 के पैरा 2 के अनुसार ज्येष्ठता सूची अब तक प्रकाशित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र–

वांछित ज्येष्ठता सूची शासन द्वारा निर्गत नियमावली, 1991 के पैरा–2 (1) के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है ।

उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, हायर सेकेन्डरी स्कूल विद्युत नगर, अम्बेडकर नगर द्वारा की गयी अनियमितताओं की विभागीय जांच

122–श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, हायर सेकेन्डरी स्कूल विद्युतनगर, अम्बेडकर नगर के द्वारा धन के गबन संबंधी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 13-8-96 जो कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं की विभागीय जांच की जा रही है ।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अर्न्तगत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का गठन तथा सचिव कार्यालय को परिषद् सचिवालय घोषित किये जाने की जानकारी

123–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तृतीय शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव एवं मुख्य अभियन्ता सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति परिषद् द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 15 एवं 5 में "सचिव" के कार्यालय को परिषदीय सचिवालय कहे जाने का प्राविधान नहीं है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषद् कार्यालय कहां है ? क्या परिषदीय कार्यालय एवं सचिव कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते अलग-अलग हो सकते हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा–5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का गठन किया गया है, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी "सचिव" के कार्यालय को परिषद् सचिवालय कहा जाता है ।

परिषद् सचिवालय का कार्यालय, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ में अवस्थित है ।

जी नहीं । परिषदीय सचिवालय कार्यालय एवं सचिव कार्यालय अलग-अलग न होकर एक ही हैं अतः उसमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कोई भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों के वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता

124–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण की क्या नीति अपनाई गयी है ? क्या यह सत्य है कि वरिष्ठता निर्धारण में अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० सी० श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक, कुं० मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 5-1-93, 28-4-94 जोकि क्रमशः अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु उ० प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेडिकल आफिसर्स सर्विस रेगुलेशन्स 1994 के विनियम 24 में प्राविधान किये गये हैं जिनका हिन्दी अनुवाद निम्नवत् है :–

विनियम–24"ज्येष्ठता"

(1) सेवा के किसी भी संवर्ग में अधिकारियों की किसी पद पर नियुक्ति की दशा में ज्येष्ठता, इन विनियमों के अधीन उस पद पर उनकी नियुक्ति के आदेशों के दिनांक अनुसार निर्धारित की जायेगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि इन विनियमों के अधीन किसी एक चयन में चयनित व्यक्तियों की ज्येष्ठता, संबंधित चयन सूची जो इन विनियमों के अधीन बनाई गयी हो, में उनके नामों के क्रम अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

(2) एक चयन के आधार पर चयनित व नियुक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा जो किसी पश्चातवर्ती चयन के आधार पर नियुक्त किया गया हो ।

(3) जहां किसी चयन विशेष में कोई अधिकारी स्थायीकरण या पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया जाता है और चयन समिति की कार्यवाही में यह उल्लिखित है कि उसे किसी प्रतिकूल प्रविष्टि, किसी जांच या उसके विरुद्ध किसी लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते उसके नाम को अवक्रमित किया गया था अन्यथा उसे स्थायीकरण या पदोन्नति के लिये योग्य समझा जाता और ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन अन्ततोगत्वा या तो उसके पक्ष में निर्णीत होता है या उसके पक्ष में समाप्त हो जाता है तो उसकी ज्येष्ठता का निर्धारण उसी प्रकार होगा जैसे कि उस चयन विशेष में स्थायीकरण या पदोन्नति के लिये योग्य पाये जाने की दशा में होता ।

जी नहीं । अधिकारियों द्वारा वरिष्ठता निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मा० नरेन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० सी०,

मा० रवीन्द्र प्रताप मल्ल,विधायक,

मा० कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का संदर्भित पत्र दिनांक 5-1-93 राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न में उल्लिखित माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल का पत्र दिनांक 28-4-94 शासन में प्राप्त हुआ है, परन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस त्रुटि के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी । कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र शासन में नहीं प्राप्त हुआ है ।

उ० प्र० रा० विद्युत परिषद के अन्तर्गत भूमि-विक्रय में कथित अनियमितताओं पर कृत कार्यवाही

125–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में खाली एवं अप्रयोज्य भूमि को बेचे जाने के संबंध में श्री नन्द लाल जायसवाल प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 14-12-95 एवं श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री वासुदेव सिंह, कुं० मानवेन्द्र सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र जो कि क्रमशः अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय भूमि को बेचने में भारी घोटाला किया गया है ?

सुश्री मायावती–

श्री नन्द लाल जायसवाल का पत्र दिनांक 14-12-95 परिषद में प्राप्त हुआ था ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री वासुदेव सिंह, श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र परिषद में प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नन्द लाल जायसवाल के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(I) अवैध कब्जों के सम्बन्ध में :–

परिषद् भूमि की सुरक्षा हेतु परिषद भूमि की बाउन्ड्रीवाल/फेसिंग बनवाने के संबंध में परिषददेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

(2) परिषदीय अप्रयोज्य भूमि को परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को नगद भुगतान के उपरान्त आवंटित किये जाने के संबंध में :–

परिषद की अप्रयोज्य भूमि के विक्रय हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने के लिए परिषद् द्वारा फर्म में ही (सितम्बर, 1995) निर्गत किया जा चुका है और जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(3) अप्रयोज्य भूमि को कौड़ियों के मूल्य बेचने के सम्बन्ध में :–

अप्रयोज्य भूमियों का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद् ने संबंधित मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगोसियेशन समिति का गठन कर दिया है जिसके द्वारा हर प्रकार से जांच करके अप्रोज्य भूमि के विक्रय किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । अतः परिषद् की भूमियों को कौड़ियों के भाव बेचे जाने का आरोप निराधार है ।

जी नहीं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन सचिवालय के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी की मांग

126–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–7 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिकारियों के नवसृजित 50 पदों का अनुमोदन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया तथा उनमें से कितने अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन का प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय सचिवालय को जो विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता दिया जा रहा है उसका अनुमोदन परिषद् स्तर पर कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उसकी वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ०प्र०रा०वि० परिषद् के अन्तर्गत आवासों के आवंटन किराया सम्बन्धी आदेशों के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही की मांग

127–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आवासों के आवंटन किराया संबंधी जारी आदेशों एवं पेनल रेन्ट के संबंध में परिषद् ने कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो परिषदीय आदेश क्या है ? क्या इस संबंध में रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 31-10-94 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कैम्पवेल रोड, सआदतगंज, लखनऊ की क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

128–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैम्पवेल रोड, सआदतगंज, लखनऊ की मुख्य सड़क (एक्जान स्कूल के पास) कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की अब तक मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार उक्त सड़क की कब तक मरम्मत करोयगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मरम्मत समय-समय पर होती रहती है । लेकिन मार्ग के दोनों ओर निर्मित आवासों की जल निकासी इसी मार्ग पर होने के कारण प्रायः सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है ।

उपरोक्तानुसार, किन्तु पानी की निकासी के स्थायी समाधान के बिना सड़क टूटती ही रहेगी । डामरीकरण वर्षा बाद कराया जायेगा ।

श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज के अन्तर्गत टूटी सड़कों व पिच रोड आदि के पुनर्निर्माण की मांग

129–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्यामदेउरवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टूटी सड़कों बमनौली से बटहट पिच रोड व परतावल बाजार से पिपराइच पिच मार्ग का पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं है ।

लखनऊ स्थित टिकैतराय सचिवालय कालोनी के आवासों के रख-रखाव पर हुए व्यय का विवरण

130–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी फेस–3 के आवासों की पुताई में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में वर्षवार कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि पुताई ठेकेदार द्वारा ठीक से काम न करके भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

टिकैतराय सचिवालय कालोनी फेज–3 में पुताई पर वर्ष 1995-96 में रु० 30,163/–तथा वर्ष 1996-97 में रु० 83,103/–व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभियन्ता निर्माणशाला उ० प्र० जल निगम मऊ द्वारा अनियमित पदोन्नति किये जाने के संबंध में जांच

131–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी, अभियन्ता निर्माणशाला उ० प्र० जल निगम, मऊ पत्र सं०–430/ई-6/32, दिनांक 24-3-1995 द्वारा कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति सहायक अभियन्ता श्री डी० आर० सिंह द्वारा की गयी थी जो बाद में अनियमित होने पर समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिकैतराय एल० डी० ए० कालोनी, लखनऊ के फेस–1–3 के आवासों में स्थानीय अभियन्ताओं के सहयोग से अवैध विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में जांच/दण्ड की मांग

132–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टिकैतराय एल० डी० ए० कालोनी, लखनऊ के फेस–1. फेस–2. फेस–3 में कितने आवासों में 31 मार्च, 1997 तक लाइट कनेक्शन जारी किये गये हैं उनमें से कितने आवासों को मीटर उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में काफी संख्या में अवैध विद्युत कनेक्शन स्थानीय अभियन्ताओं के सहयोग से दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए जितने कमरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है उनको तत्काल कनेक्शन देते हुए इस अनियमितता में संलग्न अभियन्ताओं को दण्डित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम कोटिया विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल भवन हेतु अवमुक्त धनराशि के दुरुपयोग पर जांच एवं कार्यवाही

133–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कोटिया विकास खण्ड अमानीगंज जनपद फैजाबाद में वर्ष 1996-97 में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किया गया है और विद्यालय भवन के निर्माणार्थ धन भी अवमुक्त करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अवमुक्त धनराशि से विद्यालय का भवन निर्माण करने में भारी अनियमितता की गई है और घटिया निर्माण कर धन का दुरुपयोग किया गया है और विद्यालय का अर्धनिर्मित भवन क्षतिग्रस्त हो गया है ? इसके लिए दोषी कौन है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद द्वारा दी गई सूचनानुसार ग्राम कोटिया विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद के लिए वर्ष 1996-97 में नहीं अपितु वर्ष 95-96 में विद्यालय भवन निर्माणार्थ धन अवमुक्त किया गया है ।

जी नहीं, प्रश्नगत भवन अर्धनिर्मित है । संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने हेतु उत्तरदायी है । इसके फलस्वरूप उनका वेतन रोक दिया गया है । भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में प्रधान एवं सहायक प्राइमरी अध्यापकों की संख्या के संबंध में जानकारी

134–श्री मित्रसेन यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया कि जनपद फैजाबाद में कुल कितने प्राइमरी अध्यापकों की आवश्यकता है जिससे प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षण कार्य समुचित रूप से हो सके । इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद फैजाबाद में 192 प्रधानाध्यापकों व 68 सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पदों के अन्तर्गत कुल 260 अध्यापकों की आवश्यकता है ।

प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही की जा रही है । इसके पश्चात् ही मानक के अनुसार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी ।

जनपद गोण्डा में.आई० टी० आई० मनकापुर बाईपास पर पटरी की चौड़ाई तथा ब्रिक एजिंग के कार्य में अनियमितताओं की जांच की मांग

135–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 व 1994-95 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में आई० टी० आई० मनकापुर के बाईपास पर पटरी की चौड़ाई तथा ब्रिक एजिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग प्रथम गोण्डा द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के पटरी की चौड़ाई तथा ईंट का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? तथा गिट्टी एवं तारकोल में संबंधित अभियन्ताओं द्वारा अनियमितताओं की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

रु० 5.39 लाख ।

जी नहीं । प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम–भदार मार्ग पर मतनी ग्राम के पास नीलम नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

136–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के बिलग्राम, साण्डी, अल्हागंज के भदार मार्ग का निर्माण वर्ष 1989-90 में किया गया था किन्तु इस मार्ग पर मतनी ग्राम के पास नीलम नदी पर पुल नहीं बनाया गया था ? क्या उक्त पुल के अभाव में भदार से श्री मऊ बाजार जुड़ नहीं सका ? क्या यह सही है कि इससे लगभग 50 हजार जनता प्रभावित हो रही है और अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु 25 किमी० का चक्कर लगाकर श्री मऊ बाजार आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलिया बनवाने हेतु सरकार आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री राज मिश्र–

हां ।

जी नहीं, नीलम नदी पुल के निर्माण के बाद भी भदार श्री मऊ बाजार नहीं जुड़ सकते ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के हरपालपुर ब्लाक में क्षतिग्रस्त बड़ागांव से अर्जुनपुर मार्ग को ठीक किये जाने की मांग

137–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के हरपालपुर ब्लाक में बड़ागांव से अर्जुनपुर मार्ग का वर्ष 1993-94 में निर्माण कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग बनने के पश्चात उसी वर्ष बरसात में उक्त रास्ता कटकर तालाब हो गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के

क्षतिग्रस्त हो जाने से लगभग 20 हजार की जनसंख्या प्रभावित हो रही है और अभी तक उक्त मार्ग ठीक नहीं कराया गया है ? उक्त मार्ग कब तक ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कराया गया था ।

वर्ष 1995-96 के माह जुलाई/अगस्त में कुण्डा नदी की बाढ़ के कारण बड़ा गांव के पास मार्ग पर लगभग 60 मीटर लम्बाई में कटान हो गया था ।

जी नहीं ।

यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिये मार्ग के दाहिनी ओर से एक उपमार्ग बनाया गया और गत दो वर्षों से प्रतिवर्ष इस भाग को यातायात के लिये ठीक किया जा रहा है । आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्ष 1992 से हरदोई बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिकों आदि के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान की मांग

138–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों के यात्रा बिलों का भुगतान परिषद् गठन के वेतनादि मद से किये जाते रहे हैं ? क्या इन लोगों के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान हेतु कभी अलग से बजट का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1992 से हरदोई परिषदीय लिपिकों आदि के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो जनपद में इकाईवार कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान होना शेष है और यह भुगतान किन कारणों से वर्तमान वित्त एवं लेखाधिकारी ने रोका है ? क्या सरकार इन लोगों के यात्रा बिलों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां, वेतनादि मद के अन्तर्गत स्वीकृत अनुरक्षण व्यय मद से किया जाता है ।

जी नहीं ।

उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत यात्रा देयकों का भुगतान किया गया है ।

सभी इकाइयों का लगभग रु० 70,000/–शेष है ।

अनुरक्षण मद में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ।

धनराशि आवंटित कर दी गई है तथा नियमानुसार भुगतान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई में शाहाबाद साण्डी मार्ग स्थित शिरोमणि नगर गांव के पास सुखेता नाला पर पुल निर्माण की मांग

139–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में शाहाबाद साण्डी मार्ग पर शिरोमणि नगर गांव के निकट सुखेता नाला पर पुल निर्माण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु दिनांक 17-1-97 को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई के हरपालपुर से बड़ागांव मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु निर्माण की मांग

140 श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के हरपालपुर से बड़ागांव मार्ग पर गंभीरी नदी पर पुल के निर्माण हेतु शासनादेश सं०–430/ई-2/लो०नि०–11-86ई/94, दिनांक 29-11-94 द्वारा 03 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें से एक लाख रुपये सेतु निगम से लोक निर्माण को उपलब्ध कराया गया था ? उक्त पुल का अब तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? उक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र--

जी हां, किन्तु सेतु निगम से लोक निर्माण विभाग को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गई थी । संसाधन की अनुपलब्धता संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

नगर पालिका बेल्हा, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा न० पा० चुनाव में बरती गई कथित धांधली

141–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में नगरपालिका बेल्हा, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी के द्वारा नगरपालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव में धांधली की शिकायत की जांच आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण होगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग उन्नाव में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत, अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

142–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग उन्नाव में कितने अवर अभियन्ता, 10 वर्षों के अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सभी अवर अभियन्ताओं जिनका 10 वर्षों से अधिक का कार्यकाल पूर्ण हो गया है उनको स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो क्या वे कार्यमुक्त होंगे ? क्या पूर्व में स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को कार्यमुक्त करने के पुनः आदेश देंगे ? यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कौन सी कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

सुश्री मायावती–

विद्युत विभाग, उन्नाव में 7 अवर अभियन्ता 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

तत्संबंधी आदेश दिनांक 7-7-97 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

परिषदीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

उ० प्र० में बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में नियमानुसार पुष्टाहार की आपूर्ति की जानकारी

143–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में पुष्टाहार की आपूर्ति करने वाले मान्यता प्राप्त फर्मों की सूची है ? क्या वे पूर्व में आपूर्तिकर्ता थे ? यदि हां, तो किस आधार पर इन आपूर्ति फार्मों को नजर अंदाज करते हुये प्रदेश की बाहर की एक ही फर्म को आपूर्ति आदेश देकर जनहित के विरुद्ध कार्य किया गया है ? क्या उसमें करोड़ों रुपयों का परिवहन व्यय अनावश्यक रूप से वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी तथा दोषी पाये जाने पर फर्म की आपूर्ति को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुष्टाहार आपूर्ति की पुरानी प्रक्रिया में अनेकों कमियां होने के कारण प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार की आपूर्ति मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि०, जो भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा कराए जाने का निर्णय जनहित में लिया गया है ।

जी नहीं, उक्त उपक्रम द्वारा प्रदेश की परियोजनाओं में अपने कानपुर डिपो, फरीदाबाद डिपो से आपूर्ति निर्धारित दर पर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1993 से अब तक, बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय को की गई खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच

144-श्री दल बहादुर कोरी-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1993 से अब तक बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय को किन-किन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति की है ? उक्त आपूर्ति सामग्रियों के मद में कितना भुगतान किया गया ? क्या कभी आपूर्ति की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच कितनी बार सही और कितनी बार गलत पायी गयी ? आपूर्ति ठीक न होने पर उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरी किशन-

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि०, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, के द्वारा निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में वर्ष 1993 से जून, 1997 तक केयर सहायतित परियोजनाओं में 9552.800 एस० टी० इण्डिया मिक्स राज्य सहायतित परियोजनाओं में 71958.550 एम० टी० पंजीरी 568.14 एम० टी० बिस्कुट तथा शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में 82.31 लाख ब्रेड (800 ग्राम, प्रति ब्रेड) की आपूर्ति की है ।

उक्त आपूर्ति सामग्रियों के मद में कुल रु० 1,20,64,30,632.83 पैसे का भुगतान किया गया ।

जी हां । प्रयोगशाला में सामग्री की जांच कराने पर कभी भी गलत नहीं पायी गयी । जांच प्रत्येक माह करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145--श्री दल बहादुर कोरी-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1993 से अब तक की गयी खाद्यान्न आपूर्ति के गुणवत्ता पर मार्च, 1997 में विभाग द्वारा करायी गयी आडिट रिपोर्ट में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और इस बात के लिये विभाग को निगरानी न रखने तथा आपूर्ति के गुणवत्ता के लिये फर्म को कोई निर्देश न जारी करके फर्म को लाभ पहुंचाने के लिये दोषी माना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर फर्म की आपूर्ति का अनुबन्ध जनहित में समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के अनियमित भुगतान पर रोक लगाने की मांग

146–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर (सम्बद्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) में कार्यरत उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के अनियमित भुगतान पर रोक लगाने के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल गोरखपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र सं–301/96 दिनांक 19-12-96, 313–17/97 दिनांक जनवरी, 02, 1997 तथा 288/97, दिनांक 13-4-97 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संदर्भित पत्र निदेशालय में अप्राप्त है ।

मा० विधायक के अन्य पत्रों के आधार पर प्रकरण में संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर की आख्या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में गांधीनगर के मुख्य मार्ग से बाईं ओर 300 मीटर तक नाली, खड़ंजा व मिट्टी पटाई का कार्य कराये जाने की मांग

147–श्री हरदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गांधी नगर के मुख्य मार्ग से बाईं ओर पहले मोड़ से जाने वाले मार्ग पर लगभग 300 मीटर तक नाली, खड़ंजा एवं मिट्टी की पटाई के कार्य हेतु उन्हें राज्य मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन का पत्र संख्या-654/एसएमएल/जी/97, दिनांक 15-5-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जन समस्या के निराकरण हेतु नाली, खडंजा एवं मिट्टी पटाई का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

स्थल का निरीक्षण कराया गया । मुख्य मार्ग का सुधार कराया जा चुका है । बाईं ओर मकान निजी खेतों की जमीन पर बनाये गये हैं जिसका विन्यास-मानचित्र स्वीकृत नहीं है । अतः इस पर नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में जिला योजना में परिवर्तित व स्वीकृत आड़ा खेड़ा-खरौली मार्ग को ग्राम मेंहदीनगर तक लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने की मांग

148–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लो० नि० वि० के शासनादेश सं०–2564इ०/23–लोक निर्माण–11–105 ई/92, दिनांक 23-7-92 द्वारा जनपद उन्नाव में पहले राज्य योजना तथा बाद में जिला योजना में परिवर्तित स्वीकृत आड़ा खेड़ा–खरौली मार्ग ग्राम मेंहदी नगर तक पूरा कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-1-97 मुख्य सचिव को तथा राज्य मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन का पत्र सं०–123/एसएमएल/जी/97, दिनांक 10-4-97 लो०नि० मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उपरोक्त मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, बस्ती के भूतपूर्व प्रधानाचार्य को पेंशन एवं उसके पूर्व अवशेष एरियर के भुगतान हेतु धन आवंटन

149–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, बस्ती के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री शिरोमणि पाठक के पेंशन स्वीकृति आदेश जून, 1995 में उप निदेशक शिक्षा सप्तम् मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय से निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक श्री पाठक को पेंशन एवं उसके पूर्व अवशेष धनराशि (एरियर) का भुगतान किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया है ? क्या सरकार भुगतान में विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं तत्काल भुगतान कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा श्री शिरोमणि पाठक को दि० 1-4-85 से प्रतिमाह रु० 44 की पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

अवशेष पेंशन की धनराशि के भुगतान के संबंध में उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा धन की मांग की गयी थी, उक्त धनराशि का आवंटन निदेशालय द्वारा तत्काल किया जा रहा है ।

भुगतान में विलम्ब के कारणों की जांच करके उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दे दिये गये है ।

ग्राम सभा चोंगरी विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

150–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा चोंगरी, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती ग्रामीण विद्युतीकरण के लाभ से वंचित है जबकि जनपद के अस्सी प्रतिशत क्षेत्रों में ऊर्जीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम सभा में भी विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जनपद बस्ती के 54 प्रतिशत गांव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा से तथा 25 प्रतिशत गांव एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत हैं । ग्राम चोंगरी, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती अविद्युतीकृत (वर्जिन) ग्राम है । वर्तमान में ग्राम चोंगरी का विद्युतीकरण किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है ।

शासन की नीति के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा इस ग्राम को विद्युतीकरण हेतु चयनित किये जाने तथा वांछित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव है । अतः विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

अमेठी, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत खण्ड संग्रामपुर में स्थित अधूरे बड़ागांव विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण कराये जाने की मांग

151-श्री रामहर्ष सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमेठी (सुल्तानपुर) के अन्तर्गत खण्ड संग्रामपुर में बड़ागांव विद्युत उपकेन्द्र कितने समय से अधूरा पड़ा है ? अधूरा पड़ा होने के कारण क्या है ? यह कब तक पूरा होगा ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा क्षेत्र अमेठी (सुल्तानपुर) के अन्तर्गत विकास खण्ड संग्रामपुर में बड़गाव में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र का कार्य विगत चार वर्ष से अधूरा पड़ा है।

इस अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु धन एवं संसाधन सृजित नहीं हो सके है जिसके लिए लगभग रु० 90 लाख की व्यवस्था आवश्यक है जिसे परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण परिषद् के आन्तरिक संसाधनों से पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है। अतः इस कार्य को पूर्ण किये जाने की कोई समय-सीमा इंगित किया जाना संभव नहीं है।

अमेठी, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्रामों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

152-श्री राम हर्ष सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमेठी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1989-90 से कितने गांवों में विद्युत खम्भे गड़े हैं, जिनमें अभी तक तार नहीं खींचे गए जिसे विद्युतीकरण अधूरा है ? क्या उन सभी गांवों में तार, ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकृत कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें विद्युत खम्भे खड़े हैं एवं उनमें तार नहीं खींचा गया है जिसके कारण विद्युतीकरण अधूरा हो।

उक्त ग्रामों के 136 पूरवे जिनमें खम्भे खड़े हैं, अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत आते हैं धन उपलब्धता पर इनका पूर्ण विद्युतीकरण किया जा सकेगा। प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि मुख्य ग्रामों में विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है।

153-श्री उमाकान्त यादव–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० **181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित**]

टाण्डा तापीय परियोजना एवं मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन अभियन्ताओं/कर्मचारियों द्वारा परिषदीय धन के घोटाला विषयक शिकायत पर जांच

154-श्री बाबू राम एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भ्रष्टाचार को रोकने हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के पैरा 103 बी० के तहत वसूली का प्राविधान है ? क्या इस संबंध में टाण्डा तापीय परियोजना एवं मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन अभियन्ताओं कर्मचारियों द्वारा परिषदीय धन के घोटाला विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 21-8-96 जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन एवं सदस्य (वित्त एवं लेखा) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां ।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच परिषद् की जांच समिति विशेष सम्प्रेक्षा द्वारा कराये जाने के उपरान्त लेसू/टाण्डा परियोजना के 24 अंतर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से 23 के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी एक्ट के तहत विद्युत विक्रय यूनिट प्राप्त करने की नीति

155-श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया एवं श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी ऐक्ट 1952 के तहत विक्रय यूनिट पर ही शासन विद्युत प्राप्त करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक एवं श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11-2-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952 के अधीन किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी के साथ-साथ उसके वाणिज्यिक आवासिक प्रयोजनों के लिये उपभुक्त एनर्जी पर तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत जनन के निजी स्रोत से उपभुक्त एनर्जी पर भी शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी प्राप्त की जाती है ।

प्राप्त हुआ है लेकिन सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके लिये जांचोपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

विद्युत परिषद् के परिषदीय सचिवालय के पदों पर नियमानुसार सृजन एवं भत्ते आदि का भुगतान

156-श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद् के परिषदीय सचिवालय में पदों के सृजन में की गयी भारी अनियमितता संबंधी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 14-4-94 जो कि सचिव (वित्त) उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? इससे परिषद् को कितने करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष वित्तीय हानि हो रही है ? इसकी भरपाई के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 14-4-94 में वर्णित मुख्य बिन्दु एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :–

बिन्दु	कृत कार्यवाही
(अ) बिना परिषद् स्तर के अनुमोदन से प्रबन्ध समिति और अध्यक्ष के अनुमोदन से पदों का सृजन किया जाना ।	(अ) अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से सृजित पदों का रेटीफीकेशन हेतु प्रस्ताव परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है ।
(ब) परिषद् सचिवालय कर्मी द्वारा बिना परिषद् के अनुमोदन के अनेकों भत्तों जैसे सचिवालय भत्ता एवं वाहन भत्तों का लिया जाना ।	(ब) परिषद् सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता/वाहन भत्ता क्रमशः 31-3-87 एवं 26-12-88 को परिषद् की हुई बैठकों में विधिवत अनुमोदित है ।

(स) अतः पदों के सृजन एवं भत्तों के मामलों में राज्य सतर्कता विभाग से जांच कराते हुए अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का किया जाना ।

पदों का सृजन परिषद् के व्यापक हित में तत्सम्यक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है अतः इसके कारण विद्युत परिषद् को वित्तीय हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

157. श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

[निरस्तीकरण के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड पूरा बाजार के अन्तर्गत ग्राम व प्राइमरी पाठशाला नारायणपुर के चुनाव 96 में भाग लेने से निलम्बित अध्यापकों के सम्बन्ध में जानकारी

158-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के विकास खण्ड पूरा बाजार अन्तर्गत ग्राम—नारायणपुर के बेसिक प्राइमरी पाठशाला, नारायणपुर के तत्कालीन प्रधानाध्यापक/अध्यापक को विधान सभा चुनाव—96 में उपरोक्त विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम नरियांवा स्थित मतदान केन्द्र पर एक पार्टी के पक्ष में मतदान अभिकर्ता का कार्य करने के लिये विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त को दोषी पाया गया ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां ।

जांच में सम्बन्धित अध्यापक को दोषी नहीं पाया गया

मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बाबली, कैम्पवेल रोड, लखनऊ में जल निकासी विषयक श्री राजेन्द्र सिंह पटेल स० वि० स० का कथित शिकायती-पत्र

159-श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला—नवीननगर, हसनगंज बाबली, कैम्पवेल रोड, लखनऊ : जल निकासी तथा अन्य समस्याओं के निदान हेतु नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा के कवरिंग सहित दिनांक 1 अप्रैल, 97 को मा० मुख्य मंत्री को तथा श्री मुराद लारी, स० वि० राभा के कवरिंग सहित दिनांक 8 मई, 1997 को मा० नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र की जल निकासी के संबंध में कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सामग्री प्रबन्धक द्वारा करोड़ों रुपये की गड़बड़ी विषयक प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

160–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सामग्री प्रबन्धक द्वारा करोड़ों रुपये की गड़बड़ी करने का मामला जनवरी/फरवरी, 1997 में प्रकाश में आया है ? क्या वर्तमान प्रबन्धक निदेशक जब कामर्शियल विंग के डायरेक्टर थे तो काली सूची वाले आपूर्ति संगठनों से महाप्रबन्धक कार्मिक एवं परचेज के प्रस्ताव पर आपूर्ति ली और इस हेतु करोड़ों रुपया अग्रिम के नाम पर गबन किया है ? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी महाप्रबन्धक तथा निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा पी० बी० सी० पाइपों की आपूर्ति हेतु किये गये दर अनुबन्ध में सम्मिलित चार फर्मों को फरवरी, 1997 में ब्लैक लिस्ट कर दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर जल निगम द्वारा उन्हें पूर्व में दिये गये आपूर्ति आदेश स्थगित कर दिये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली अस्सी क्षेत्र, जनपद वाराणसी में स्मारक एवं पर्यटन स्थल बनाने की मांग

161–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में अस्सी क्षेत्र में जिस भवन में रानी लक्ष्मी बाई का जन्म हुआ था वहां प्रति वर्ष उनके जन्म दिन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ? क्या सरकार उक्त भवन तथा भूमि को अधिग्रहीत कर उक्त स्थल पर एक भव्य स्मारक का निर्माण तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

उक्त स्थल पर स्मारक के निर्माण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वर्ष 1986-87 में रु० 2.24 लाख के आगणन को अनुमोदित करते हुए वर्ष 1986-87 में 1.00 लाख तथा वर्ष 1987-88 में रु० 0.58 लाख अर्थात् कुल रु० 1.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । स्थल विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित शमशाबाद एवं फतेहाबाद बाई पास मार्गों की टी० ए० सी० जांच

162–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्ग शमशाबाद बाई-पास (बड़े गांव से जाबौजी) फतेहाबाद बाई-पास आदि मार्गों की टेक्निकल सेल (टी० ए० सी०) द्वारा जांच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 96, 24 अप्रैल, 97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में जांच कराई गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

अभिलेखों पर पत्र दिनांक 3-12-96 प्राप्त नहीं है किन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1997 (न कि 24 अप्रैल, 97) प्राप्त हुआ है ।

इस संबंध में टी० ए० सी० जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक को पत्र दिनांक 19-5-97 द्वारा निदेशित किया गया है ।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

टिहरी परियोजना में व्यय होने वाली राशि में केन्द्र तथा राज्य के शेयर आदि के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी

163–कु० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और कितना उत्पादन होगा ? उससे कितने एकड़ सिंचाई होगी ? इसमें व्यय होने वाली धनराशि में कितना शेयर उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा और कितना शेयर केन्द्र सरकार को देना है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना शेयर दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अद्यतन सूचनाओं के अनुसार टिहरी परियोजना वर्ष 2002 तक पूरी होने की सम्भावना है । इस परियोजना से 3029 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है ।

टिहरी बांध परियोजना से 270 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है ।

टिहरी बांध परियोजना (प्रथम चरण) पर हुए व्यय का 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग वहन करेगा । शेष 80 प्रतिशत लागत का 25 प्रतिशत (अर्थात कुल लागत का 20 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा एवं 80 प्रतिशत का 75 प्रतिशत (अर्थात् कुल लागत का 60 प्रतिशत) केन्द्र सरकार वहन करेंगे । जी नहीं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार 1996-97 में आंशिक अंशदान किया जा चुका है । शेष का भुगतान वर्ष 1997-98 में वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा ।

जनपद महराजगंज अन्तर्गत महराजगंज को नैतनवां से जोड़ने हेतु घानकी घाट पर स्वीकृत पुल व सड़क निर्माण को शीघ्र पूर्ण किये जाने की मांग

164–श्री चन्द्र किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद अन्तर्गत महराजगंज को नौतनवां से जोड़ने हेतु घानकी घाट पर पुल एवं सड़क मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना धन अवमुक्त हो चुका है ? शेष धनराशि कब तक अवमुक्त होगी तथा इसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

दिनांक 30-4-96 को 36.30 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदोन्नति हेतु, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में क्रमशः 20 व 50 प्रतिशत कोटे का निर्धारण

165–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति किये जाने का कोई कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

अशासकीय विद्यालयों में 50% तथा राजकीय विद्यालयों में 20% कोटा निर्धारित है ।

गौरी शंकर हिन्दू इन्टर कालेज सिकन्दराराऊ अलीगढ़ या नगर में वर्ष 1991 में रिक्त तृतीय श्रेणी के पद पर चतुर्थ श्रेणी को पदोन्नति दिये जाने की मांग

166–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गौरीशंकर हिन्दू इन्टर कालेज सिकन्दराराऊ अलीगढ़ या नगर में वर्ष 1991 के बीच तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हुए उनमें से चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में नियमानुसार पदोन्नति से भरे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

गौरीशंकर हिन्दू इन्टर कालेज सिकन्दराराऊ अलीगढ़ या नगर में वर्ष 1991 के बीच तृतीय श्रेणी में एक पद उक्त कालेज के लिपिक श्री महेश चन्द्र वार्ष्णेय की दिनांक 24-12-90 को मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त हुआ था । इस रिक्त पद पर स्व० श्री महेश चन्द्र वार्ष्णेय के पुत्र श्री अरूण कुमार वार्ष्णेय की नियुक्ति दिनांक 5-6-91 को कर दी गयी । उक्त कालेज में वर्ष 1991 में तृतीय श्रेणी के लिपिक का और कोई पद रिक्त नहीं हुआ था अतः उसे पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में पिछड़े वर्गों की संख्या

167–श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में शासनादेश सं०–22/43/82-का–2/97 दिनांक 1-5-97 में निहित निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो शासनादेशों में निहित अन्य पिछड़े वर्गों के किन-किन संवर्गों के कितने पद अब तक भरे गये हैं ? क्या नियुक्ति विज्ञप्ति जारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार के आदेशों के उल्लंघन के लिये संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कोई अग्रेनीत रिक्ति, भरे जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

अब तक भरे अन्य पिछड़े वर्गों के पदों के संबंध में सूचना निम्नवत् है :–

सहायक अभियंता (सिविल)	14
अवर अभियंता (सिविल)	324
अवर अभियंता (वि०/यां०)	65
अवर अभियन्ता (तकनीकी)	31
मानचित्र	53
नैत्यिक लिपिक	17
आशुलिपिक ग्रेड (4)	27
नैत्यिक लिपिक (मंशा०)	142
वाहन चालक	147
चतुर्थ श्रेणी	442

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लो० नि० वि० जनपद महराजगंज के तत्कालीन कार्य अधीक्षक द्वारा बिना कोई कारण अंकित किये, श्री विद्या भूषण प्रसाद के नाम अग्रदायों को प्रकीर्ण अग्रिम में डालकर समायोजित किये जाने पर आपत्ति

168–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री विनोद मणि तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग महराजगंज के तत्कालीन कार्य अधीक्षक विद्याभूषण ने अस्थायी अग्रदाय एवं अन्य प्रकार के विविध अग्रदाय अपने नाम वर्ष 1993-94 में निकाला था ? विद्याभूषण का स्थानान्तरण कसया जनपद पडरौना हो जाने के फलस्वरूप अग्रदाय धन एडजेस्ट नहीं कर पाये थे, जिसको तत्कालीन कार्य अधीक्षक मोहन लाल गर्ग ने विभागीय अभिलेखों के जांच में फर्जी अग्रदाय पाकर संदेह में विद्याभूषण का नाम डाला था ? क्या यह सही है कि उक्त अग्रदाय धनराशि को गर्ग के स्थानान्तरण होते ही कार्यवाहक कार्य अधीक्षक महातम सिंह ने दिनांक 30-6-95 को एक ही दिन में फर्जी बाउचर द्वारा बिना कार्य कराये ही अग्रदाय धन एडजस्ट कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

अभिलेखों के अनुसार, तत्कालीन कार्य अधीक्षक श्री मोहन लाल गर्ग द्वारा बिना कोई कारण अंकित किये ही श्री विद्या भूषण प्रसाद के नाम उक्त अग्रदायों को प्रकीर्ण अग्रिम में डालकर समायोजित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में अनुसूचित जाति की आबादी वाले अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक पृथक नीति एवं बजट के निर्धारण की मांग

169–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को विद्यतीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसी अनुसूचित जाति की आबादियों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु अलग से कोई नीति निर्धारित एवं बजट में अलग से धन आवंटित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में अनुसूचित जाति के आबादी वाले गांवों (अम्बेडकर ग्रामो) का विद्युतीकरण किया गया ।

वर्ष 1995-96 से अब तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति के आवादी वाले ग्रामों (अम्बेडकर ग्रामो) की बची हुई अनुसूचित जाति की आबादियों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु एक कार्य योजना बनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में (वर्ष 1997 से 2000) सभी अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिये शासन से अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है ।

लो० नि० वि० 39वां वृत्त, लखनऊ में कोटे के आधार पर ए/सी आपरेटरों के विनियमन की मांग

170–श्री पारस नाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ (राज्य सम्पत्ति विभाग) लखनऊ में कोटे के आधार पर ए/सी आपरेटरों को विनियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो कोटे के आधार पर ए/सी आपरेटरों को कब तक विनियमित किया जायेगा ? क्या मंत्री जी कोटे के आधार पर ए/सी आपरेटरों को विनियमित करके उससे हो रही आर्थिक हानि को पूरा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

विनियमित हेतु वांछित पदों की उपलब्धता होने पर विनियमित करने की कार्यवाही की जाएगी ।

उपरोक्त स्थिति में आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद महोबा के कबरई कुनैहटा मार्ग पर पूर्व से ही सड़क का निर्माण

171–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री जनपद महोबा के कबरई कुनैहटा मार्ग पर सड़क निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । मार्ग पूर्व से ही निर्मित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर सागर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की मांग

172–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर सागर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

इस विषय में प्राप्त पत्र पर परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तिम निर्णय प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं है ।

नगर पंचायत सिसवा/निचलौल जनपद महराजगंज में शासनादेश के अन्तर्गत भूमि आवंटन का कार्य न किये जाने की शिकायत

173–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर परिषदों/नगर पंचायतों में भी ग्राम समाज के निहित सम्पत्तियों पर शासनादेश संख्या–796-9-895-48 (1) 194 दिनांक 15-11-95 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 116(4) के अन्तर्गत सर्वे में प्राप्त भूमि का आवंटन आरक्षण (निस्तारण) राजस्व विभाग के तहसील स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को करने के लिये कहा गया है ? क्या उक्त आदेश का अनुपालन नगर पंचायत सिसवा/निचलौल जनपद महराजगंज डेढ़ वर्ष बीतने के बावजूद भी उपजिलाधिकारी निचलौल द्वारा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कार्यवाही कराई जा रही है ।

जनपद लखनऊ के मल्हौर से गोमती नगर तक की कृषि योग्य भूमि को 'सहारा इण्डिया' को बेचे जाने विषयक जानकारी

174–श्री राम नक्षत्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन में लखनऊ जिले की मल्हौर से गोमती नगर तक की 287.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि "सहारा इण्डिया" के हाथ बेची गयी थी ? यदि हां, तो उक्त बिक्री किन शर्तों पर की गई और उसे कितने किसान प्रभावित हुये हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

गोमती नगर में नगर निगम की भूमियों की प्रतिपूर्ति के बदले लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना हेतु अर्जित की गयी भूमि में से 170 एकड़ भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित की गई थी जिसमें से 130 एकड़ भूमि आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित करने हेतु अनुज्ञप्ति पर तथा 40 एकड़ भूमि ग्रीन वेल्ट के प्रयोजनार्थ लीज पर "मे० सहारा इण्डिया हाउसिंग लि०" को दिनांक 22-10-94 को दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि नगर निगम, लखनऊ द्वारा भूमि के प्रतिपूर्ति के बदले लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त की गई है, अतः किसानों के नगर निगम से प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, बजट पर एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना सदन को दे दूं । आज 22 जुलाई, 1997 को कुछ समय के बाद ठीक 12.20 बजे वित्तीय वर्ष 1997-98 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :–

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर महराजगंज, पडरौना, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण और "नहीं" सभा-कक्ष में शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मेरा मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आवाह्न कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

सारी परम्पराओं को तोड़ कर इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

*मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं।

(व्यवधान)

पूर्व परम्परानुसार समय पर वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक प्रस्तुत न किये जाने पर आपत्ति

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

सारे नियमों को तोड़कर इस समय बजट प्रस्तुत किया जा रहा हैं। आबादी के बाद से आज तक यह परम्परा रही है कि पांच बजे बजट प्रस्तुत होता था। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इमें मैं कहना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही के संबंध में कोई प्रस्ताव आता है तो कार्य मंत्रणा समिति उसमें निर्णय लेती है कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं सदन को अधिकार है वह स्वीकार करे या न करे। आज 12.20 पर बजट प्रस्तुत किया जाए यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिया गया था। यह सदन के समक्ष रखा गया था और सदन ने इसको स्वीकार किया था। मैं आपकी आपत्ति को निरस्त कर रहा हूं।

(व्यवधान)

बजट की प्रतियां वितरित कर दी जाएं। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगी।

(बजट की प्रतियां वितरित की गईं)

(व्यवधान)

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

जो प्रक्रिया बनी है उसके अनुसार सरकार सदन नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बजट पर जब चर्चा होगी तब आप अपनी बात कह सकते हैं। सारा सदन आपकी बात को सुनेगा।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

आपने कहा कि सदन के सामने आये और सदस्यों ने उसका विरोध नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको सदन के समक्ष रखा गया था हो सकता है उस दिन आप न आए हों।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)–

नेता विरोधी दल की बात को निरस्त करने की बात नहीं थी। आजादी से आज तक जो बजट आया है वह इस समय कभी पेश नहीं किया गया। आप इस पर विचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी बजट भाषण दें।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।महान परम्परा वाले इस सदन ने प्रदेश के लोकतांत्रिक जीवन में समय-समय पर नया इतिहास रचा है तथा कई नये अध्याय जोड़े हैं।

इस सदन के इतिहास में वह पहला अवसर था, जब जुलाई, 1995 में एक दलित महिला मुख्य मंत्री के रूप में मैंने 1995-96 का बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के करोड़ों गरीब लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था । आज मुझे उसी दायित्व का निर्वाह करने का पुनः सौभाग्य मिला है।

मान्यवर, वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करने के पूर्व इस सम्मानित सदन को वर्तमान सरकार की भावनाओं से अवगत कराना चाहूंगी । मैं यह बजट हमारे देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में प्रस्तुत कर रही हूं । स्वाधीनता के 50 वर्षों में नियोजित विकास के माध्यम से हमने प्रगति का लम्बा और कठिन रास्ता तय किया है । लेकिन अभी भी बहुत से काम अधूरे हैं, बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी बाकी है जिनकी परिकल्पना हमारे देश भक्तों, महान नेताओं तथा विचारकों और समाज सुधारकों ने की थी । आजादी के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बजट के माध्यम से हम दलित, शोषित निर्धन एवं पिछड़ों को आगे बढ़ाकर विकास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे ताकि राजनैतिक आजादी के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ सकें ।

मान्यवर, सदन यह भली भांति जानता है कि हमारी गठबंधन सरकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं आयी थी । ऐसे कठिन समय में हमें प्रदेश सरकार की बागडोर सौंपी गयी जब कानून-व्यवस्था और अपराध की स्थिति खराब थी और प्रदेश में विकास कार्य बन्द पड़े थे । हमने सबसे पहले कानून-व्यवस्था और अपराध को नियंत्रित करने का कार्य किया ताकि भयमुक्त वातावरण बनाया जा सके और विकास के काम हाथ में लिए जा सकें ।

हमारी सरकार ने 8 अप्रैल, 1997 से 45 दिन का अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जो अपने उद्देश्य में काफी कामयाब रहा । इससे अपराधियों का मनोबल टूटा तथा जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी, भयमुक्त वातावरण बना और विकास के लिये उपयुक्त माहौल तैयार हुआ ।

लम्बी चौड़ी प्रशासनिक इकाइयों में कानून-व्यवस्था बनाये रखना कठिन होता है और प्रशासन तक जनता की पहुंच भी नहीं हो पाती । अतः प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये एवं अपराधियों की गतिविधियों पर बारीक नज़र एवं नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश में विगत महीनों के दौरान तीन नये मण्डल, आठ नये जिले, दो विशेष पुलिस जोन और पांच विशेष पुलिस रेन्ज का गठन किया गया है ।

जो बजट इस सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, उसका सीधा सरोकार प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने से है । उसके ब्योरे में जाने से पहले मैं सरकार की विकास की नीति के बारे में भी इस अवसर पर कुछ कहना उचित समझती हूं । विकास की जरूरत सबको है, लेकिन जिन्हें विकास की ज्यादा जरूरत है, जो लम्बे अरसे से पिछड़ेपन, गरीबी और अभाव का शिकार रहे हैं, उनके विकास पर हम ज्यादा ध्यान देंगे ।

हमने प्रदेश की प्रगति के लिए एक नयी कार्य-संस्कृति की शुरुआत की है । हमारा प्रयास नौकरशाही में ऐसा बदलाव लाने का है, जिससे वह समझे कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं । हमारी नीति प्रशासन को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने की है । हम चाहते हैं कि अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह मुस्तैदी से करें और उनकी जवाबदेही भी हो ।

हमारा यह मानना है कि विकास कार्यों की सार्थकता तो इस बात में है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से यह महसूस करे कि विकास हुआ है और विकास का लाभ उस व्यक्ति तक वास्तव में पहुंचा है, जिसके लिए विकास की योजनाओं की रचना की गयी है । इसी उद्देश्य से जो भी प्रगति रिपोर्ट आती है, उसका

मौके पर सत्यापन कराया जाता है। हमारा यह मानना है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर हो जाना चाहिए ताकि उन्हें लखनऊ आने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिये शिकायतों व समस्याओं के जनपद स्तर पर निस्तारण के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। इस नवीन कार्य-संस्कृति के सकारात्मक परिणाम देखने में आ रहे हैं तथा जनता में शासन की इच्छा शक्ति के प्रति विश्वास बढ़ा है।

प्रदेश के बहुमुखी विकास पर जोर देते हुए भी, सरकार समाज के उन लोगों की प्रगति एवं कल्याण को सर्वोपरि महत्व दे रही है, जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को उन्हें आवंटित जमीनों पर कब्जा दिलानें के लिये हमने एक अभियान चलाया क्योंकि आवंटन के बावजूद उनकी जमीनें दूसरे ताकतवर लोगों के कब्जे में थीं। इस अभियान का आशातीत परिणाम सामने आया और बड़ी संख्या में भूमिहीनों को जमीन पाने का अवसर मिला। प्रदेश सरकार ने भूमिहीनों के पक्ष में एक असाधारण निर्णय यह लिया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो सदस्य 3 जून, 1995 तक ग्राम सभा की जिस भूमि पर काबिज थे, वह भूमि उनके नाम कर दी जाये और बेदखली की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन योजनाओं को मानव सेवा का एक प्रमुख अंग मानकर लागू किया जा रहा है।

मान्यवर, समाज के निर्बल और गरीब लोगों को शिक्षित बनाये बिना उन्हें समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए वर्तमान सरकार ने अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के एक करोड़ आठ लाख छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और छात्रवृत्ति की पात्रता के लिये परिवार की आय सीमा भी बढ़ा कर ढाई गुनी कर दी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

ग्रामीण विकास के कार्यों के प्रति और विशेषकर किसानों की समस्याएं दूर करने की दिशा में प्रदेश सरकार पूरी तरह जागरूक है। प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी संभालते ही हमने आलू की लम्बित समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर सुलझाई। हमने केवल साड़े तीन महीने के अन्दर ही 1450 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसानों को समय से बिजली, पानी, बीज, खाद और ऋण उपलब्ध कराने के लिये हम पूरी तरह प्रयासरत हैं।

महिलाओं के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में पहली जरूरत यह है कि उनकी इज्जत और उनके मान-सम्मान की सुरक्षा हो। वर्तमान सरकार इस प्रदेश की ऐसी पहली सरकार है जिसने बलात्कारियों के खिलाफ एन० एस० ए० लगाने का कठोर निर्णय लिया है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों पर भी हमारा पूरा ध्यान है।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का एहसास पैदा करने तथा उनका आत्म विश्वास बढ़ानेके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। हम साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने तथा धर्म निरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिये सजग हैं। इसके साथ ही हम विशेष रूप से प्रयासरत हैं कि आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को पूरी तरह मिलता रहे। उनकी खुशहाली और उनका विकास हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में बसे सभी भाई-बहनों की आशा और अपेक्षाओं का हमें पूरा-पूरा ध्यान है। उनके दूरगामी हितों को देखते हुए हमने अपने वायदे के मुताबिक, सत्ता संभालने के एक महीने के अन्दर ही इसी सम्मानित सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया था कि जल्द से जल्द अलग उत्तरांचल राज्य का गठन किया जाये। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही भारत सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी और पर्वतीय क्षेत्र के नागरिकों की जनभावना का सम्मान करेगी।

उद्योग के बगैर किसी आधुनिक समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती । मुख्य मंत्री बनने के बाद मेरे लिए यह प्राथमिकता का विषय था कि उद्यमियों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना जागृत हो और उद्योगों को स्थापित करने और उन्हें लाभप्रद तरीके से संचालित करने के लिए विभिन्न सुविधायें विकसित की जायें । शांति व्यवस्था के क्षेत्र में हमारे द्वारा किये गये प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं । विभिन्न सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और संचार में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । जनहित में प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता का हम स्वागत करेंगे ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हमारी सरकार की प्राथमिकता की विकास योजना है । यह सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की रणनीति के आधार पर समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की एक अभिनव योजना है । सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद पिछले वर्षों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये सभी जनपदों में समयबद्ध रूप से इस कार्यक्रम को चलाया गया है ।

वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक च्यनित कुल 11,524 ग्रामों में से लगभग 10,200 ग्रामों में विकास के 10 प्रमुख कार्यक्रमों में कार्य पूरे कर लिये गये हैं और शेष ग्रामों में 9 अगस्त, 1997 तक कार्य पूरा कर लिये जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत अप्रैल से जून तक तीन महीने की अल्प अवधि में 1,500 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया गया है । इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 2,500 ग्रामों में सड़क निर्माण और कराया जायेगा । वर्ष 1997-98 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के 10 ग्रामों के आधार पर शहरी क्षेत्रों को छोड़कर 4,025 ग्रामों का चयन किया गया है ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन से समाज के अति पिछड़े वर्गों को भी अब विकास की किरण दिखायी दे रही है । यह वास्तव में विकास से वंचित निर्धन एवं कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ है । इस कार्यक्रम से प्रदेश में उपलब्ध सीमित आर्थिक संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण हुआ है और सघन प्रयासों के आधार पर विकास को एक नई दिशा मिली है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह बजट [xxx] का पुलिन्दा है इसलिये हम और हमारा दल सदन का बर्हिगमन करता है ।

(इसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सुश्री मायावती–

इसी रणनीति के आधार पर दीर्घकाल में प्रदेश के सभी ग्रामों में विकास कार्य करा कर ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वांगीण उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा ।

आर्थिक स्थिति

माननीय सदन के समक्ष मैं राज्य की पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी क्योंकि इस स्थिति में समुचित सुधार किये जाने के उद्देश्य से ही राज्य का बजट तैयार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक मापदण्डों में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है । इस प्रदेश के लगभग 43 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक सेवाओं का स्तर भी प्रदेश में अत्यन्त नीचा है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड तथा उत्तरांचल की विशेष समस्यायें हैं । इस प्रदेश में समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है।

लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य की विकास दर से देश की विकास दर से काफी पीछे रही है । आठवीं योजना में स्थिति सबसे खराब रही जिसमें राज्य की विकास दर मात्र 2.9 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि देश की विकास दर 6 प्रतिशत अनुमानित है ।

प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1995-96 में 5,983 रुपये वार्षिक थी जब कि सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय 9,321 रुपये थी । राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 1950-51 में जहां सिर्फ 3 प्रतिशत का अन्तर था यह अन्तर निरन्तर बढ़ता गया है और 1995-96 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय में अन्तर बढ़कर 35.8 प्रतिशत हो गया है ।

आर्थिक विकास में ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है । इन सुविधाओं के विकास में हमारा प्रदेश अधिकांश प्रदेशों से बहुत पीछे है । जहां वर्ष 1994 में सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 319 किलोवाट था, वहीं हमारे प्रदेश में यह मात्र 197 किलोवाट रहा । जहां अनेक राज्यों के सभी गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है, हमारे प्रदेश के अभी 75.8 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच पायी है और 30,000 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो सका है ।

सड़कों की दृष्टि से भी हम काफी पीछे हैं । प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 53.6 किलोमीटर सड़क निर्मित है जबकि देश का औसत 65.7 किलोमीटर है । औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में भी हम अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं कर सके हैं । हमारे प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या में से केवल 422 व्यक्ति कारखानों में कार्य करते हैं, जबकि सम्पूर्ण देश का औसत 763 व्यक्ति है ।

सामाजिक सेवाओं के विकास में भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । जहां तक देश में साक्षरता का प्रतिशत 52.2 है, वहीं प्रदेश में यह केवल 41.6 प्रतिशत है । इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रति लाख जनसंख्या पर प्रदेश में केवल दो अस्पताल हैं जबकि प्रति लाख जनसंख्या पर देश में अस्पतालों की संख्या औसत 5 है । हमारी जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु दर तीनों ही अधिकांश राज्यों तथा देश के औसत से काफी अधिक है, जो हमारे पिछड़ेपन का परिचायक है ।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में मैंने जो कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये नियोजित प्रयास एवं कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, जिसमें मैं सदन के सम्मनित सदस्यों के सहयोग का अनुरोध करूंगी । राज्य सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वर्ष 1997-98 के लिये जो वार्षिक योजना केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है तथा अभी हाल ही में प्रदेश की नवीं पंचवर्षीय योजना का जो आकार निर्धारित किया गया है, उनके माध्यम से हम प्रदेश के पिछड़ेपन की स्थिति से निपटने का प्रयास करेंगे और हमारा हर सम्भव प्रयास होगा कि प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए अन्य राज्यों की बराबरी कर सके ।

नवीं पंचवर्षीय योजना

मुझे सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिये योजना आयोग से नवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 1996-97 के स्थाई मूल्यों पर 46.340 करोड़ रुपये तथा प्रचलित मूल्यों पर 57.000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित कराया गया है । हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दुगने से भी अधिक है। जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 2.9 प्रतिशत अनुमानित है, नवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया जायगा और कुल परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु व्यय किया जाएगा ।

नवीं योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली प्रदेश की 43 प्रतिशत आबादी के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में विकास के लिये जरूरी सुविधाओं, विशेष रूप से ऊर्जा, सिंचाई तथा यातायात को विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि निजी विनियोग को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की दर को तेज किया जा सके ।

इस योजना में कृषि और उद्योग को गति प्रदान की जाएगी और दोनों सेक्टर के संतुलित विकास से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

योजना काल में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड तथा उत्तरांचल के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करके संतुलित विकास के लिये पूरे प्रयास किये जायेंगे ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को वृहद् स्तर पर लागू किया जायेगा ।

वार्षिक योजना वर्ष 1997-98

वार्षिक योजना वर्ष 1997-98 का सार्वजिनक क्षेत्र का कुल 7.080 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसमें से उत्तरांचल के लिये 677 करोड़ रुपये तथा शेष 6.403 करोड़ रुपये मैदानी क्षेत्रों के लिये है ।

वर्ष 1997-98 में 6 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है जिसके आधार पर यह आशा की जाती है कि अर्थ व्यवस्था को एक मजबूत आधार उपलब्ध हो सकेगा और नवीं पंचवर्षीय योजना काल में कुल मिलाकर 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा ।

वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा ।

सुश्री मायावती–

सम्पूर्ण वार्षिक योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान" के लिये कुल 1.527 करोड़ रुपये अर्थात 21.57 प्रतिशत अंश रखा गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री का बजट भाषण हो रहा है .....

श्री अध्यक्ष–

मा० मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण हो रहा है, इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

देश में मान्यवर, आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनायी जा रही है और यह स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है । लेकिन इस बजट में गांधी ग्रामों के बारे में न तो कोई उल्लेख है और न ही गांधी जी के बारे में कोई उल्लेख किया गया है इसलिये हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

सुश्री मायावती–

इस परिव्यय में से 1990-91 से 1996-97 तक चयनित 11.524 अम्बेडकर ग्रामों में 10 प्रमुख विकास कार्यक्रमों के अधूरे कार्यों को पूरा किया जायेगा । साथ ही 1-4-97 को सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु अवशेष 5.830 ग्रामों में से 4.000 में सड़क निर्माण भी कराया जायेगा । इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में चयनित 4.025 अम्बेडकर ग्रामों में भी 10 प्रमुख विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जायेगा ।

वार्षिक योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गयी है । उद्योगों का विकास विशेष रूप से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की प्रगति पर विशेष बल दिया जायेगा । साथ ही विद्युत क्षेत्र में विकास और सुधार के लिये प्रयत्न किये जायेंगे ।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित "बेसिक मिनिमम सर्विसेज" कार्यक्रम के लिये 1.573 करोड़ रुपये का परिव्यय रख गया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़क आदि की जरूरी सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिये 1997-98 में बुन्देलखण्ड विकास निधि में 23 करोड़ रुपये तथा पूर्वांचल विकास निधि में 92 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

अब मैं सदन के माननीय सदस्यों को प्रमुख विभागीय कार्यक्रमों और उपलब्धियों के संबंध में संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगी :–

शान्ति व्यवस्था

श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि पूर्वांचल के किसानों के विकास के संबंध में बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है, इसलिये हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट भाषण मा० मुख्यमंत्री जी पढ़ रही हैं इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(इसके बाद श्री राम आसरे पासवान भी जनता दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

सुश्री मायावती–

जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, अपराधों का नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था की स्थापना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है ।

प्रदेश में अपराधों को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 1997 से 45 दिन का एक विशेष अभियान चलाया गया । इस अवधि में बड़ी संख्या में माफिया, पेशेवर अपराधी तथा समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया गया । समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की नीति अपनायी गयी है । यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट के संबंध में यह आरोप लगाया जाता है कि हमारी सरकार में इसका दुरुपयोग हो रहा है ।

मान्यवर, यह आरोप निराधार है । मैं यह बताना चाहूंगी कि 16 मार्च, 1997 से 30 जून, 1997 तक की अवधि में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 1,611 मामले दर्ज किये गये जबकि 1996 में इसी अवधि में यह संख्या 1,737 थी 1995 की इसी अवधि में एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट में दर्ज मुकदमों की संख्या 2,767 थी ।

यदि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा होता तो वर्तमान वर्ष में दर्ज मामलों की संख्या अधिक होती, जबकि ऐसा नहीं है । फिर भी हमने जनपदों में अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं कि एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट के मामलों का भली-भांति परीक्षण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इस ऐक्ट का दुरुपयोग न हो ।

प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा गया है । लखनऊ में मुहर्रम के अवसर पर 20 वर्ष से बन्द चले आ रहे अजादारी जुलूस निकालने की मांग की गई, फलस्वरूप तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई । समय पर प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करके स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है । इस विवाद के सर्वमान्य हल को खोजने के लिये प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दृष्टि से ही नहीं वरन् किसानों, श्रमिकों, छात्रों आदि सभी वर्गों से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करके सामान्य बनाये रखा गया है । यहां मैं जनपद बदायूं में

बबराला में स्थित टाटा केमिकल्स लिमिटेड में स्थानीय निवासियों द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में किये गये आन्दोलन के संबंध में वस्तुस्थिति का उल्लेख करना चाहूंगी । बबराला में टाटा फैक्ट्री के लिए वर्ष 1984 में लगभग 723 एकड़ भूमि का अर्जन आरम्भ किया गया । किसानों को इस भूमि का 4 करोड़ 62 लाख रुपये का मुआवजा तय हुआ, जिसमें इस समय केवल 10 लाख 95 हजार रुपये का मुआवजा बकाया है, जिसका भुगतान हिस्सेदारी के विवाद एवं किसानों के स्वयं लेने से इंकार आदि कारणों से नहीं हुआ है । टाटा फैक्ट्री को भूमि उपलब्ध होने और फैक्ट्री का निर्माण होने के बाद दिसम्बर, 1994 में उत्पादन कार्य शुरू हुआ । भूमि का मुआवजा या स्थानीय लोगों को फैक्ट्री में रोजगार देने का विषय आरम्भ से ही मौजूद था लेकिन कभी भी इसके लिए आन्दोलन नहीं हुआ ।

मान्यवर, यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि अब 1997 में जब दलित की बेटी मुख्य मंत्री बनी तब यह समस्या क्यों उठायी गयी है ? पूर्व के वर्षों में यह समस्या क्यों नहीं उठी ? इस मामले में जो व्यक्ति ज्यादा शोर मचा रहे हैं, उन्हीं के समय में भूमि अर्जित होकर फैक्ट्री को मिली और उन्हीं के समय में यह कारखाना चालू हुआ । समस्या उस समय भी थी लेकिन तब आन्दोलन नहीं हुआ, अब किया गया है । यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् ही स्थानीय व्यक्तियों को उकसाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न किया गया । टाटा फैक्ट्री में जिन स्थानीय निवासियों की जमीनें गई हैं उनकी समस्याएं निपटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है । इस कमेटी की दोनों पक्षों के साथ कई बैठकें भी हो चुकी हैं । हम वाजिब समस्याओं को निपटाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, किन्तु ऐसे मामलों में राजनीति करना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करना उचित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश से लगी हुई बिहार सीमा तथा भारत नेपाल सीमा पर अपराधों को रोकने, तस्करी, आई० एस० आई०, माफियाओं आदि की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दो नये पुलिस जोन तथा पांच नये पुलिस परिक्षेत्र बनाये गये हैं । सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की तैनाती भी की गई है ।

पुलिस प्रशासन को आधुनिक भी बनाया जा रहा है । इसके लिए वर्ष 1997-98 में 14.30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । पुलिस बल की कुशलता बढ़ाने एवं उनके कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है ।

हमारी सरकार द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की निरन्तर एवं नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । सरकार के लगातार प्रयत्नों का ही परिणाम है कि अपराधियों तथा समाज विरोधी तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं । आम नागरिक तथा कमजोर वर्ग ने राहत महसूस की है । समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ी है । अपराध नियंत्रण के हमारे प्रयास जारी रहेंगे और प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे ।

कृषि

1997-98 में 430 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 17 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा 15 मई से 30 जून तक की अवधि में धान की नर्सरी डालने हेतु राजकीय नलकूपों एवं नहरों से निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा सन्तुलित खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से फास्फेटिक एवं पोटेशियम खाद पर व्यापार कर की छूट दी गयी है ।

नीदरलैण्ड्स सरकार की सहायता से महिलाओं को कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्यों में प्रशिक्षण की एक योजना भी प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है ।

सिंचाई

सिंचाई कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1997-98 के अन्तर्गत वृहद् एवं मध्यम योजनाओं हेतु 470 करोड़ रुपये तथा राजकीय लघु सिंचाई कार्यों हेतु 76 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । लम्बित योजनाओं को शीघ्र पूरा करनें हेतु ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' तथ भारत सरकार के ''त्वरित सिंचाई लाभ-कार्यक्रम'' के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने इसमें आलू उत्पादकों के बारे में कुछ नहीं कहा है । किसानों के लाखों रुपये का आलू सड़ गया है । माननीया मुख्य मंत्री जी ने स्वयं 130/- रुपये दिये जाने की घोषणा की थी, लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है । मुआवजे के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । शीतगृह मालिकों को इसमें फायदा हो रहा है । कोआपरेटिव में भी बिजली नहीं पहुंचती है । अतः मैं और मेरा दल इसके विरोध में वाक-आउट करता है ।

(श्री कौकब हमीद भारतीय किसान कामगार पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

सुश्री मायावती–

वर्ष 1997-98 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से 1.35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने तथा 9,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है ।

किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में ''जनपद सिंचाई बन्धु'' का पुनगर्ठन किया गया है ।

उद्यान

उद्यान के क्षेत्र में आलू प्रदेश की प्रमुख फसल है । देश के कुल उत्पादन का करीब 45 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है । आलू के भण्डारण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शीत गृहों द्वारा आलू प्रभार निर्धारण पर राज्य सरकार का नियंत्रण हटा लिया गया है । साथ ही बाजार मूल्य नियंत्रण योजना लागू की गयी है जिसके लिये इस बजट में 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । उद्यान से सम्बन्धित फसलों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 141 उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियों का गठन किया गया है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

हमारी सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों का अधिकतम गन्ना पेरा जाये तथा गन्ना मूल्य का भुगतान तत्परता से किया जाये । मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान पेराई सत्र में 24 मई तक 117 चीनी मिलों द्वारा 40.28 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करने के फलस्वरूप हमारा प्रदेश सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है ।

हमने केवल साढ़े तीन महीने के अन्दर ही लगभग 1450 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 958 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था । इस वर्ष 15 जुलाई,

1997 तक 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक केवल 78.5 प्रतिशत ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया था। इस वर्ष का जो गन्ना मूल्य बकाया रह गया है, उसके शीघ्र भुगतान के सख्त निर्देश दिये गये हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो चीनी मिलें जितने प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान रोके रखेंगी, उतने प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल को उस चीनी मिल से हटा कर अगले पेराई सीजन में दूसरी चीनी मिल को आवंटित कर दिया जायेगा।

किसान हित में आगामी सन् 2000 तक के लिये तीन वर्षीय सट्टा नीति की घोषणा अभी से कर दी गयी है जिससे किसानों को यह पता रहे कि आगामी वर्ष में चीनी मिलों द्वारा उनका कितना गन्ना खरीदा जायेगा।

पशुपालन एवं मत्स्य

पशु चिकित्सा सुविधा में और वृद्धि करने हेतु इस वर्ष 74 नये पशु चिकित्सालयों के भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 80 नये पशु चिकित्सालय तथा 10 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

पशुपालन विभाग के अधीन प्रक्षेत्र को आधुनिक बनाने एवं बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था हेतु "उत्तर प्रदेश पशुधन एवं प्रक्षेत्र विकास प्राधिकरण" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1997-98 में 6.3 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन के निजीकरण को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर लघु हैचरी की स्थापना की जा रही है।

सहकारिता

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 1997-98 में 360 करोड़ रुपये के दीर्घ कालीन ऋण तथा 942 करोड़ रुपये के अल्प कालीन ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्राम्य विकास

वर्ष 1997-98 में उत्तरांचल को सम्मिलित करते हुए जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 1,924 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है, जिसके सापेक्ष 1,441 लाख मानव दिवस सृजित होने का अनुमान है।

उत्तरांचल को सम्मिलित करते हुए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में 233 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था हेतु 1997-98 में 207.40 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

ऊर्जा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1996-97 में 23,963 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गयी थी जिसके विरुद्ध 1997-98 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 28,650 मिलियन यूनिट रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु कम से कम 10 घंटे विद्युत आपूर्ति अवश्य सुनिश्चित की जाए।

ऊर्जा की उपलब्धता और मांग के अन्तर को दूर करने के दृष्टिकोण से ऊर्जा के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की अनिवार्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब तक 1,817 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए "विद्युत क्रय अनुबन्ध" सम्पादित किये हैं तथा 4,385 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और निकट भविष्य में इनसे "विद्युत क्रय अनुबन्ध" किए जाने की सम्भावना है ।

सड़कें एवं परिवहन

वर्ष 1997-98 में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों के लिए 735 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इस धनराशि से लगभग 3,900 किलो मीटर मार्गों का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा 25 पुलों का निर्माण किया जा सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक हजार से अधिक आबादी के 20 ग्राम, जो किसी अन्य योजना में नहीं आते हैं तथा जिसमें 2 किलो मीटर से कम दूरी के सम्पर्क मार्ग की आवश्यकता है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु "पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना" बनायी गयी है । चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है । हमारी यह मंशा है कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम प्रदेश के सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे ।

सरकार द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगम की कुशलता एवं क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे । वर्ष 1997-98 में नयी बसों को क्रय करने के अतिरिक्त 900 निजी बसों को अनुबन्धित किया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 1997-98 में 93 प्रतिशत बसें चालू हालत में रखने का लक्ष्य रखा गया है । बसों की क्षमता के अधिकतम् उपयोग के लिए भी पूरे प्रयास किये जायेंगे ।

उद्योग

उद्योग के विकास के लिए आवश्यक भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है । नोएडा में विश्व स्तर की सुविधाओं से युक्त एक इलेक्ट्रानिक सिटी को निजी उद्योगपतियों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सरकार की निर्यात नीति में सन् 2000 तक 20 हजार करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त "निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क" की स्थापना 28 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है ।

कानपुर/उन्नाव क्षेत्र से चर्म वस्तुओं के निर्यात की दीर्घ कालीन सम्भावनाओं को देखते हुए उन्नाव में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से "लेदर काम्पलेक्स" की स्थापना प्रस्तावित है ।

हथकरघा बुनकरों की भांति पावरलूम बुनकरों को भी प्रशिक्षण सुविधायें एवं सामूहिक बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गयी है ।

समाज कल्याण

हमारी सरकार ने आरक्षित पदों को भरने का एक विशेष अभियान चलाया हुआ है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में समुचित आरक्षण उपलब्ध करा सकेंगे ।

वर्ष 1997-98 में उत्तरांचल को सम्मिलित करते हुए 12.95.000 व्यक्तियों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरित करने पर 242 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर उन्हें दुगुना कर दिया गया है । वर्ष 1997-98 में लगभग 348 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति वितरित करने का प्राविधान रखा गया है ।

हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय परिवारों के इलाज के लिए वर्तमान में देय धनराशि 1.000 रुपये को बढ़ाकर 2.000 रुपये करने और पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में अनुमन्य धनराशि 5.000 रुपये से बढ़ाकर 10.000 रुपये करने का निर्णय लिया है ।

वर्ष 1997-98 में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 40 नये छात्रावासों के निर्माण का प्राविधान किया गया है ।

महिला एवं बाल विकास

महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य में महिला आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है । विधवा पेंशन योजना में मैदानी क्षेत्र की लगभग 1.95.000 तथा पर्वतीय क्षेत्र की लगभग 3.700 अतिरिक्त विधवाओं को शामिल किया जाना प्रस्तावित है । प्रदेश में बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 1997-98 में 200 अतिरिक्त विकास खण्डों में समेकित बाल विकास परियोजना को संचालित किया जाना प्रस्तावित है ।

अल्प संख्यक कल्याण

अल्प संख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं । अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों को दुगुना कर दिया गया है तथा छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । 50 मदरसों को "कम्प्यूटर साक्षरता योजना" से लाभान्वित करने का प्रस्ताव भी इस बजट में सम्मिलित किया गया है । अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है ।

ओखला, नई दिल्ली में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश हज हाऊस के भवन का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा ।

शिक्षा

प्रदेश में शिक्षा के वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 को "शिक्षा वर्ष" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को वरीयता देते हुए प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण व अन्य आवश्यकताओं के लिए वर्ष 1997-98 में 275 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है ।

बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है । न्यूनतम बालिका साक्षरता दर वाले जनपदों में वर्ष 1997-98 में 249 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । असेवित विकास खण्डों में 1997-98 में 20 बालिका माध्यमिक विद्यालयों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है ।

प्रदेश के सभी जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है । वर्ष 1997-98 में इस कार्यक्रम के लिए 10.50 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है ।

उच्च शिक्षा के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 1997-98 में लगभग 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । बजट में इस हेतु लगभग 13.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

प्राविधिक शिक्षा

1997-98 में निजी क्षेत्रों में 10 इंजीनियरिंग संस्थान तथा 2 विश्वविद्यालयों में इन्जीनियरिंग संकाय खोले जायेंगे ।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हेतु गाजियाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद तथा इलाहाबाद में नये महिला पालिटेक्निक खोले जायेंगे ।

विकलांगों को डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से कानपुर में "डा० अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट फार हैण्डीकैप्ट" की स्थापना लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है । विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह देश का पहला संस्थान होगा ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य सरकार "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है । वित्तीय वर्ष 1997-98 में 131 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ।

वर्ष 1997-98 में ग्रामीण क्षेत्रों में 125 तथा नगरीय क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के 50 नये चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 105 नये आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना भी प्रस्तावित है ।

पंचायती राज

पंचायती राज संस्थाओं को कार्य का अधिकार सौंपकर हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति का तेजी से क्रियान्वयन कर रहे हैं । साथ ही इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं ।

73वें संविधान संशोधन के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 लागू किया गया है । इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा 16 विभागों में प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं । दशम् वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को लगभग 190 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने हेतु बजट में प्राविधान किया गया है ।

राजस्व

प्रदेश के कतिपय मंडलों/जनपदों/तहसील के आकार, उनकी भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर तीन नये मण्डल सहारनपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती तथा आठ नये जनपद कौशाम्बी, ज्योतिबा फूलेनगर, गौतमबुद्ध नगर, महामाया नगर, छत्रपति शाहू जी महराज नगर, चन्दौली,

बलरामपुर, श्रावस्ती एवं ग्यारह नयी तहसील जखनियां, शिकारपुर, बिल्सी, डिबाई, निजामाबाद, मेहनगर, पिण्डरा, मधुबन, टहरौली, कोरांव तथा ऊंचाहार का सृजन किया गया है। मंडल, जनपद एवं तहसील के आकार को छोटा करने से प्रदेश में शान्ति व्यवस्था एवं विकास कार्य को गति मिलेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, खेतिहर मजदूरों एवं समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को ग्राम समाज एवं सीलिंग की भूमि के आवंटन के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। जिन लोगों को भूमि पहले आवंटित हो चुकी है तथा वे अभी आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें कब्जा दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया गया है।

खाद्य तथा रसद

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिये केन्द्र सरकार की नई सार्वजनिक वितरण योजना प्रदेश में दिनांक 1.6-97 से लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवार को 10 किलोग्राम गेहूं व चावल प्रत्येक माह कम दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी सजग है। जिला फोरम के रिक्त अध्यक्ष व सदस्य के अधिकांश पदों पर नियुक्तियां करके प्रदेश के 61 जिला फोरम को कार्यशील कर दिया गया है। "उपभोक्ता संरक्षण राज्य परिषद्" का पुनर्गठन किया गया है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार की व्यापक योजना बनाई जा रही है।

नगर विकास

प्रदेश के नगरों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। वर्ष 1997-98 में पेयजल हेतु लगभग 96 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

कानपुर, मथुरा एवं बृन्दावन शहरों में पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन के लिए बृहद् योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कानपुर बैराज के निर्माण के लिए वर्ष 1997-98 में 24 करोड़ रुपये का प्राविधान रंखा गया है। मथुरा जनपद में यमुना नदी पर गोकुल बैराज का कार्य दिसम्बर, 1997 में पूर्ण होने का लक्ष्य है।

आगरा नगर की पेयजल व्यवस्था एवं पर्यावरण सुधार हेतु दीर्घ कालीन योजना बनाई गई है। इस पर नवीं पंचवर्षीय योजना काल में करीब 305 करोड़ रुपये का व्यय होना सम्भावित है। आगरा बैराज के निर्माण हेतु भारत सरकार को 100 करोड़ रुपये की योजना तैयार करके भेजी गई है, जिसमें 50-50 प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र व राज्य सरकार का होगा। योजना को शीघ्र स्वीकृत कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यमुना तथा गोमती नदियों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के कार्य हेतु वर्ष 1997-98 में 117 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए चल रहे कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जिससे 3 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

आवास

वर्ष 1997-98 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए 14 हजार तथा अन्य अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए 1500 भवनों के निर्माण का लक्ष्य

निर्धारित किया गया है । प्रदेश में समाज के आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर व्यक्तियों के लिए आसान शर्तों पर एक लाख भवन और विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं, जिनसे एक ओर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण को नियंत्रित करने में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा होगा ।

वन एवं पर्यावरण

वनों के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा पोषित "उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना" 1 जनवरी, 1998 से लागू की जायेगी । इसके अन्तर्गत प्राकृतिक वनों के संरक्षण तथा विकास कार्यों में जनता की भागीदारी की व्यवस्था है ।

अवैध कटान तथा अवैध शिकार करने वाले पेशेवर वन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 24 संवेदनशील वन प्रभागों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ की गई है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्य रूप देने के लिये भारत सरकार के सहयोग से "ताज ट्रैपीजियम पर्यावरण संरक्षण निधि" शीघ्र ही बनाई जा रही है । इस हेतु वर्ष 1997–98 में बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

पर्यटन

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 1997–98 की वार्षिक योजना में 207.16 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

ओ०ई०सी०एफ० जापान की सहायता से प्रदेश के बौद्ध परिपथ क्षेत्र में लगभग 77 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास की सुविधाओं का सृजन किया जा चुका है । कपिलवस्तु में बौद्ध कालीन वास्तुकला पर आधारित 176 लाख रुपये के कार्य कराये जाने प्रस्तावित है ।

आगरा के समग्र विकास के लिये "आगरा हेरिटेज फण्ड" का गठन किया जा रहा है । इस हेतु वर्ष 1997–98 के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

धार्मिक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये बजट में 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

सांस्कृतिक कार्य

भारत की स्वतंत्रता का स्वर्ण जयन्ती समारोह अगस्त, 1997 में से एक वर्ष की अवधि के लिये पूरे प्रदेश में बनाया जायगा । इस हेतु वर्ष 1997–98 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

मान्यवर, यहां मैं दलित और पिछड़ों के मसीहा डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम का उल्लेख करना चाहूंगी । इन महापुरुष के देश के विकास और दलित एवं शोषित समुदाय के उत्थान में योगदान को न तो पूरा देश और न ही हमारा समाज भुला सकता है । डा० अम्बेडकर ने जीवन के हर पहलू में दलितों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया । राजनीतिवश इक्का दुक्का लोग बाबा साहब के योगदान की अनदेखी करने की बात करते हैं, लेकिन सूझ-बूझ वाले जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, वे न केवल देश में

वरन् विदेश में भी बाबा साहब के महान योगदान की प्रशंसा करते हैं । यहीं वजह है कि डा० अम्बेडकर को हमारे देश "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया ।

हम डा० अम्बेडकर के संदेश को जन-जन में फैलाना चाहते हैं ताकि दलित और पिछड़े जागृत हों और विकास के पथ पर आगे बढ़ें । हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में बाबा साहब के नाम से एक जनपद का नामकरण किया । इसी प्रकार आगरा विश्वविद्यालय का नाम भी बाबा साहब के नाम पर रखा गया है । हमने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिये सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिये "डा० अम्बेडकर उद्यान एवं स्थल" का शिलान्यास किया । बीच में काम ठप्प रहा जिसे हमने पुनः प्रारम्भ कराया और शीघ्र ही इस परियोजना का निर्माण पूरा किया जायेगा । इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन मे योगदान देने वाले महापुरुषों को स्मरण करने के लिये हमने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर स्मारक का निर्माण भी कराया है ।

श्रम

हम औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये पूरी तरह जागरूक हैं । खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करके यह पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में 47 रुपये एवं पश्चिमी क्षेत्रों में 49 रुपये प्रतिदिन की गई है ।

प्रदेश के 14 स्थानों में आई०टी०आई० खोलने के लिये बजट में 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

न्याय प्रशासन

प्रदेश के जनपदों में स्थित न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से 50 नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के सृजन का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उत्पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्रता से न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के 20 जनपदों में विशेष न्यायालयों का गठन प्रस्तावित है ।

संस्थागत वित्त

प्रदेश के आर्थिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की अहम् भूमिका है । समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की विभिन्न योजनाओं सहित वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल 7500 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाये जाने का अनुमान है ।

विज्ञान

प्रदेश में विज्ञान संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यटकों के लिये आकर्षण बढ़ाने की दृष्टि से लखनऊ में लम्बे अर्से से निर्माणाधीन प्लेनेटोरियम का निर्माण इसी वर्ष पूरा कर उसे जनता को समर्पित कर दिया जायेगा ।

सार्वजनिक उपक्रम

विगत कुछ वर्षो में आर्थिक परिवेश में परिवर्तन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सार्थकता, भूमिका एवं भविष्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक उद्योगों की चल रही लगातार हानि की स्थिति तथा सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति शासकीय स्रोतों से पूरा करना सम्भव नहीं होगा । अतः यह आवश्यक है कि मानवीय साधन, मशीनरी, कच्चे माल तथा आर्थिक साधनों का अधिकतम् उपयोग कर उत्पादकता, गुणवत्ता व कार्य कुशलता में सुधार लाया जाये ।

उत्तरांचल विकास

पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है । उत्तरांचल उप योजना 1997–98 के लिये कुल 677 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है ।

उत्तरांचल में पर्यावरण सुधार एवं संवर्धन के लिये लगभग 2.100 करोड़ रुपये की नई योजना तैयार की गई है जिसे वाह्य सहायता द्वारा वित्त पोषित कराये जाने का प्रस्ताव है ।

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के विकास हेतु अधिक ढ़ाल वाले 50 प्रतिशत क्षेत्र को सदाबहार फसलों के अन्तर्गत लाया जायेगा जिसमें बागवानी रेशम कीट पालन तथा चाय को विकसित किया जायेगा । कैश क्राप जैसे जड़ी बूटी, सब्जी, मसाले, फूल, मेवे आदि की खेती बढ़ाने के लिये भी विशेष प्रयास किये जायेंगे ।

सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को एक नई दिशा देने के लिये "चाय विकास निगम" तथा "वूल बोर्ड" की स्थापना तथा कृषि एवं बागवानी विभागों के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गठित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

कर्मचारियों का कल्याण

राज्य सरकार सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा मृतक कर्मचारियों के परिवारों के हितों के लिये पूरी तरह जागरूक है । कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं को और अधिक उदार बनाने तथा भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण पर हम सक्रियता से विचार कर रहे हैं । पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुये तत्परता से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । वर्ष के दौरान वेतन पुनरीक्षण एवं मंहगाई भत्ते आदि के लिये बजट में व्यवस्था कर ली गई है ।

वित्तीय प्रबन्ध

नवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये हमें आर्थिक विकास के कार्यक्रम समय से तैयार करके धनराशि का उपयोग किये जाने पर विशेष बल देना होगा । साथ ही हमें प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाना होगा, जिससे योजना के परिव्यय के अनुरूप हम विकास कार्यों में धनराशि व्यय करके प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें । प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और मितव्ययिता के उपाय करने के

लिये प्रदेश सरकार पूर्णतया सजग है और इस उद्देश्य हेतु मंत्रि-परिषद् की दो उप समितियां गठित की गई हैं ।

वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिये नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करके आय अर्जित किये जाने, विभिन्न विभागों की बेकार पड़ी सम्पत्तियों का निस्तारण करने, विभिन्न देयों की अभियान चलाकर अतिरिक्त वसूली करने स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन से आय बढ़ाने, स्थानीय निकायों की वसूली बढ़ाने और कर आच्छादन में वृद्धि करने, व्यापार-कर के रेशनलाइजेशन से आय बढ़ाने, एकीकृत मोटर वाहन कर लगाने, शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति और नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी से आय अर्जित करने इत्यादि महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा पिछले महीनों में लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त "रिसोर्स मोबिलाइजेशन एण्ड टैक्सेशन रिफार्म्स कमेटी" की वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी सिफारिशों तथा मितव्ययिता के संबंध में "व्यय-बचत आयोग" की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । नवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अपने संसाधनों को जुटाने के लिये सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है ।

वर्ष 1997–98 में 7080 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का पूरा वित्त पोषण करने के संबंध में हमारा विश्वास है कि बेहतर कर-प्रशासन, बकाया वसूली के लिये प्रभावी कार्यवाही, नये व्यवहारिक उपायों तथा राष्ट्रीय बचत के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हम प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में निरंतर वृद्धि एवं गति लाने में सफल होंगे ।

पिछले कुछ वर्षों में अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है और उसी का यह परिणाम रहा कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि संतोषजनक नहीं रही है तथा हम इस योजना काल में केवल 2.9 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर प्राप्त कर सके । हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास की गति को बढ़ाने के लिये हमें राज्य के संसाधनों में वृद्धि करनी होगी और इसके लिये कड़ें वित्तीय अनुशासन के साथ कुछ अप्रिय कदम भी उठाने होंगे । मुझे आशा है कि प्रदेश के विकास के हित में इन प्रयासों के लिये हमें सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

1997–98 के बजट अनुमान

अब मैं वित्तीय वर्ष 1997–98 के बजट अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी । प्रस्तुत बजट के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 25,007.70 करोड़ रुपये है । राजस्व प्राप्तियों की 18,032.05 करोड़ रुपये की राशि में 6,464.74 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश 2,913.80 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान 7,075.91 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 1,577.60 करोड़ रुपये का करेत्तर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 6,975.65 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 6,652.23 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 323.42 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 25,728.39 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुये 4,871.01 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 20,857.38 करोड़ रूपये आयोजनेतर मदों के लिये है । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुये

पूंजी लेखे का कुल व्यय 5,743.26 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 2,890.24 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुये आयोजनागत मदों तथा 2,853.02 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है । इस प्रकार राजस्व और पूंजी लेखे में कुल 31,471.65 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेतिक निधि के अन्तर्गत 6,463.95 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है ।

लोक लेखा के अन्तर्गत 5647.38 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर बजट वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणाम स्वरूप 816.57 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है । वर्ष के 527 करोड़ रुपये के वास्तविक प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने पर उक्त घाटा वर्ष के अन्त में घटकर 289.57 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है ।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को "वित्तीय प्रबन्ध" से अवगत कराते समय दे चुकी हूं ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के समक्ष मैंने चालू वित्तीय वर्ष का बजट और प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप-रेखा रखी है । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने मुझे सुनकर अनुग्रहीत किया । वास्तव में विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिये हमें अल्पकाल, मध्यमकाल तथा दीर्घकाल तीनों ही दृष्टि रखनी होगी । हमारी सरकार को काम करते हुये बहुत थोड़ा समय होते हुये भी प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के कमजोर, निर्धन तथा उपेक्षित वर्ग को विकास की धारा से जोड़ने के लिये विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है । हमारे प्रयत्न न केवल अल्पकाल के लिये वरन् दीर्घकाल के लिये भी अत्यन्त प्रासंगिक है । मेरा यह मानना है कि नवीं पंचवर्षीय योजना का गंभीरतापूर्वक कार्यान्वयन प्रदेश के आगे के विकास के रास्ते को निर्धारित करेगा । हमारे इस विशाल प्रदेश के विकास के लिये मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों से कृपापूर्ण सहयोग, सहायता और सहभागिता का अनुरोध करती हूं ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों की मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकी हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है । वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना धन्यवाद प्रकट करती हूं । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करती हूं । जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट शीघ्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । राजकीय प्रेस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बजट साहित्य की समय से छपाई की है । प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आभार प्रकट करती हूं ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करती हूं ।

(बजट भाषण के उपरान्त)

श्री रंग नाथ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में युवा कल्याण एवं खेलकूद के संबंध में कोई प्राविधान नहीं किया है, क्या इसको मुख्य मंत्री जी भूल गयीं ?

श्री अध्यक्ष–

किन विषयों का माननीया मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में उल्लेख किया है, किनका नहीं किया है, इस पर जब सामान्य चर्चा होगी तब उस समय आप अपनी बात कहेंगे ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

अब मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

आज दिनांक 22 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की, दूसरी श्री सरदार सिंह की, तीसरी श्री हरिशंकर तिवारी की, चौथी श्री धर्मज्ञ मिश्र की, पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की, छठी सूचना श्री राजधारी की और सातवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

(श्री राजधारी द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गयी । शेष 6 सूचनाएं सदन के सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

औराई (भदोही) क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र–

[महोदय, औराई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग छोटे बड़े 1200 गांव जिसमें कुछ गंगा के किनारे गंगा के पानी का स्टेटा बहुत नीचा हो गया है किन्तु कुछ स्थानों पर पेयजल की टंकी लगी है, कुछ जगहों पर हैण्ड पम्पों को लगाकर टंकी नहीं बनायी गयी है उन स्थानों पर पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । अदमा, महराजगंज, मुकुन्दपट्टी, आदि स्थानों पर जल निगम ने पेयजल के लिये ट्यूबवेल तो बना दिये हैं, किन्तु टंकी व पाईप लाइन न होने के कारण गांव के आस पास की जनता को पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । ऐसे गांवों में हैण्ड पाइप भी कम लगे हैं ।

अतः श्रींमान जी से निवेदन है कि कम से कम 200 हैण्ड पाइप तथा उपरोक्त गांव में पेयजल हेतु जो नलकूप बने हैं टंकी और पाइप लाइन बनाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें ।]

गोकुल, जनपद मथुरा के समस्त गांवों को अविलम्ब सफाई किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में अपने निर्वाचन क्षेत्र गोकुल जनपद मथुरा की अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना संज्ञान में लाकर तुरन्त हल करने की मांग करता हूं ।

क्षेत्र के नाले व्योंहीं विजाहरी, पचावर, सोंख, इटौली, बिरहना महावन, सिहोरा, लौहागढ़, पानीगाम आदि नाले अतिवृष्टि के कारण पानी से लबालब हैं लेकिन सफाई न होने के कारण पानी आगे नहीं बह पा रहे हैं । इस कारण क्षेत्र की खरीफ की फसल चौपट हो गयी है । किसान बेचैन हैं । इन नालों

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में झुंड, घास आदि के जंगल हैं इस कारण पानी नदी में न जाकर खेतों में फैल रहा है । गांवों में पानी जा रहा है और लोग गांव छोड़-छोड़ कर रिश्तेदारियों में अपने मवेशी को ले जा रहे हैं । नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर उपरोक्त नालों की सफाई तत्काल करा दी जाय ।]

प्रदेश के पूर्वांचल जनपदों को बाढ़ से बचाने एवं विगत वर्ष के बाढ़ राहत की धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरिशंकर तिवारी–

[इस प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों यथा गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बलिया आदि में हुई भीषण वर्षा से बाढ़ के चपेट में आने प्रारम्भ हो गये हैं । विगत वर्ष भी बाढ़ की विभीषिका ने काफी जन धन का नुकसान किया था । सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नाम पर दिये जाने वाले लाभ को अधिकारी मिलीभगत करके लूट लेते हैं । इससे पहले कि बाढ़ अपने प्रचण्ड रूप में आये पहले से ही उसके निदान की व्यवस्था सरकार शुरू करा दे तथा राहत कार्य जनपद के विधायकों की समिति बनाकर उनके देखरेख में की जाये इसकी मांग करता हूं ।

गत वर्ष जनपद गोरखपुर को बाढ़ राहत कार्य हेतु एक करोड़ नौ लाख रुपये आवंटित हुए थे जब घाघरा और राप्ती ने बाढ़ का ताण्डव दिखाया था । बाढ़ के नाम वास्तव में कुछ न खर्च करके अधिकारियों ने कागजों पर बंदरबांट कर लिया । यही नहीं पैसे को जनपद देवरिया स्थानान्तरित करके अधीक्षण अभियन्ता से लेकर ऊपर तक मिल करके बांट लिये । इस बात की शिकायत जिलाधिकारी, गोरखपुर से करने पर सिंचाई विभाग का खाता सील कर दिया गया उसके बाद जांच की गयी तो बहुत लोग दोषी पाये गये । दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने तथा इस वर्ष आ रही बाढ़ के निदान की कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[जनपद हरदोई में 91 मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण वर्ष 87 में स्वीकार हुआ था अब तक वर्षों की अवधि बीत जाने के उपरान्त विद्युतीकरण नहीं कराया गया है जनता में आक्रोश व्याप्त है तमाम लिखा पढ़ी हुई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । विकास खण्ड मल्लावां के 53 ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार ने 5.959000 रुपये उ० प्र० शासन को वर्ष 1987 में उपलब्ध करा दिया था मात्र दो गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है ।

विकास खण्ड बिलग्राम के 45 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए रुपये 54.53000 उपरोक्त वर्ष में दिया गया था लेकिन अभी तक मात्र 24 ग्रामों में विद्युतीकरण कराया गया इस प्रकार 146 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 1.762900 प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया गया था । उक्त धन से मात्र 30 गांवों में ही विद्युतीकरण किया गया ।

इस प्रकार क्षेत्र के ग्राम मुहम्मदपुर, हरैया, हजरतपुर, सरसैया, दलसराईच, मऊ, मुरतलाकुलीपुर, कोडरमऊ, कोटमऊ, पूरनमऊ, मीननगर, कुसरियापुर, सैयद्दीनपुर, महनेपुर, नेवादापरस, बरबोदा, नेवादा, महमूदपुर नसीपुर, कटिया भिखारीपुर, इब्राहिमपुर इत्यादि ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम उसरहा, पिलखना, टेढ़िया, बरहस, लोईयां, फिरोजपुर, शेखपुर, बढ़नवा, खन्देरिया, खन्जहांपुर, फतेहपुर, जुजुवामऊ, पनेडरा, निभामऊ, सरायदूद, इन्दलापुर, मुड़ियाखेड़ा, मऊरा काल्हामऊ, पनेडरा, फतेहपुर, चौगंवा, मवैय, रहीमपुर, लोनारी, तेरवा कुली, तौकलाबाद, बलेहरा, कमालनगर, हरपुरा, मोहब्बतपुर, करवा, नेवादा, मगरहा, कुतुवापुर, खेरवा, गौतरा, अटवालीमदरापुर, नेवादाबधौड़ा, शहब्दा, बढ़ैयाखेड़ा, मदारपुर, खुर्दा, खुर्दमपुर, सरैयाबलवार, समुखा, डकौली, परनखा, कुन्दरौली सादिकपुर, तरौली, रणेना, हबीबनगर, अकबरपुर, कटरी, छिबरामऊ, कटरी, गनीपुर, बधियारी, कटरी, जफरपुर, नौरंगपुर, पैदापुर, करेहटा, चोलियापुर इत्यादि ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । यह लोक महत्व व जनहित का प्रश्न है ऐसी दशा में सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है । इस प्रश्न पर चर्चा कराकर अविलम्ब विद्युतीकरण कराने का कष्ट करें ।]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी हजारों प्रशिक्षुओं को नौकरी न दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[महोदय, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, अप्रेन्टिस विद्युत संघ की सम्पूर्ण प्रदेश में हजारों बेरोजगार प्रशिक्षुओं को नौकरी देने की मांग कर रही है, ऐसे प्रशिक्षुओं को सेवा का अवसर न मिलने से भूखों मरने के कगार पर पहुंच गये हैं । संघ के पदाधिकारियों द्वारा नियुक्ति हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन नं० 5138 सन् 1992 प्रस्तुत की, जिसका निस्तारण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1992 को कर दिया गया और प्रशिक्षुओं को सेवा में लिये जाने का निर्णय दिया, तथा परिषद् ने मा० उच्चतम न्यायालय में अपील नं० 764/1993. उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं अन्य बनाम हरिओम शर्मा प्रस्तुत की जिसका फैसला अन्तिम रूप से दिनांक 12 जनवरी, 1995 को कर दिया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी प्रशिक्षुओं को वरीयता क्रम में रोजगार देने का निर्देश दिया गया । संघ के सम्बन्धित निर्णयों की प्रतिलिपियां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के सम्बन्धित अधिकारियों को दी, परन्तु आज तक किसी प्रशिक्षणार्थी को कोई नौकरी नहीं दी गयी ।

ज्ञातव्य हो ऐसे बेरोजगार प्रशिक्षार्थियों की सूची भी परिषद् को उपलब्ध करायी गयी थी । शासन व परिषद् के अनुत्तरदायी रवैये से असन्तोष बढ़ना और प्रदेश में कई बार संघ द्वारा धरना व प्रदर्शन किये गये, यह पूरे प्रदेश की समस्या है और अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय ऊच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को रोजगार दिलवाने के लिए निर्देश निर्गत करने हेतु प्रार्थना करता हूं ।]

जनपद बलिया में जन स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त सेवा के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजधारी–

महोदय, जनपद बलिया में जन स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त सेवा के अभाव में बलिया के आम नागरिकों के लिये काफी संकट व्याप्त है, जिसका निदान अति आवश्यक है । जनपद बलिया में कुल

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुरुष डाक्टरों की संख्या 157 में 88 पदों पर डाक्टर तैनात हैं । जिसमें 14 डाक्टर सेवा में बलिया नहीं रहते एवं 69 डाक्टरों का पद वर्षों से रिक्त है कुल 13 महिला डाक्टरों में 6 पदों पर तैनाती हैं जिसमें 4 महिला डाक्टर सेवा पर नहीं आती एवं 7 महिला डाक्टर का पद रिक्त है ।

फार्मासिस्ट कुल पद 105 में 85 पद पर तैनाती है एवं 20 पद रिक्त पड़े हैं । ऐसी दुरुह स्थिति में ग्राम स्तर तक फैले स्वास्थ्य विभाग में पुरुष डाक्टरों, महिला डाक्टरों एवं फार्मासिस्टों का अभाव बना हुआ है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कठिनाई से उ० प्र० सरकार को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दें, जिससे बलिया में आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा सुलभ हो सके ।

चन्दौली के टाण्डा से हरधनपुर एवं धानापुर से खड़ान मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

[महोदय, निवेदन है कि जनपद चन्दौली के विधान सभा धानापुर में विकास खंड चहनियां एवं धानापुर पड़ता है । इन दोनों ब्लाकों में गांधी ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु 1–टांडा से हरधनपुर 3 कि०मी० एवं (2) धानापुर से खड़ान 3 कि०मी० सड़क का प्रस्ताव किया गया था । इन सड़कों पर लेपन स्तर का कार्य होना था परन्तु आज तक यह कार्य नहीं हो पाया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि टाण्डा से हरधनपुर मार्ग (3 कि०मी०) एवं धानापुर से खड़ान मार्ग (3 कि०मी०) को लेपन स्तर तक पूर्ण कार्य कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

संसदीय परिपाटी का उल्लंघन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत अध्यादेश का प्रख्यापन एवं श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 3(1) की सूचनायें ले रहा हूं । पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह व डा० अशोक बाजपेयी की है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । जब बजट सत्र 17 जुलाई को आहूत कर लिया गया और जब बजट सत्र होने वाला था, उस समय इस सरकार ने 5 बिल प्रख्यापित करने का काम किया और वह बिल माननीय मुख्य मंत्री ने कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल महोदय के पास भेज दिये कि इस पर तत्काल राज्यपाल अपनी सहमति दे दें, उसके बाद वह बिल अध्यादेश के रूप में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया ।

मान्यवर, यह एक मान्य परम्परा है । आप एक विज्ञ व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि जब सदन होने वाला हो, उस समय कोई भी बिल प्रख्यापित नहीं होना चाहिए, आर्डीनेन्स या अध्यादेश नहीं आना चाहिए, यह सर्वमान्य परम्परा रही है । यह परम्परा केवल इस प्रदेश में ही नहीं, हमारी लोक सभा में भी समय-समय पर वहां के स्पीकरों ने, अध्यक्षों ने इस पर अपनी स्पष्ट रूलिंग भी दी है । मैं आपका ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संविधान की पुस्तक के नियम 163(2) की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है––

"इफ एनी क्वेश्चन एराइज वेदर एनी मैटर इज आर इज नाट ए मैटर ऐज रिसपेक्टस ह्वीच दि गवर्नर इज बाई आर अन्डर दिस कान्स्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रीशन, दि डिसीजन आफ दि गवर्नर इन हिज डिस्क्रीशन शैल बी फाइनल एण्ड दि वेलीडिटी आफ एनीथिंग डन बाई दि गवर्नर शैल नाट बी काल्ड इन क्वेश्चन आन दि ग्राउन्ड दैट बी आट आर आट नाट टू हैव एक्टेट इन हिज डिस्क्रीशन."

मान्यवर, इस तरह 164(1) को भी देखने का कष्ट करें––

"दि चीफ मिनिस्टर शैल बी एप्वाइन्टेड बाई दी गवर्नर एण्ड दि अदर मिनिस्टरस शैल बी एप्वाइन्टेड बाई दि गवर्नर आन दि एडवाइज आफ दि चीफ मिनिस्टर, एण्ड दि मिनिस्टरस शैल होल्ड आफिस ड्यूरिंग दि लेजर आफ दि गवर्नर"

मैं इसका अनुवाद कर रहा हू। अगर कोई ऐसा मामला खड़ा होता है, जिसमें गवर्नर संविधान के अन्तर्गत अपना निर्णय अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर गवर्नर का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाय। इसका डिस्क्रिशन, इनका अधिकार अन्तिम निर्णय माना जाय। इसी तरह जो सरकार बनती है, जो चीफ मिनिस्टर बनाये जाते हैं, वह गवर्नर की अनुकम्पा पर बनाये जाते हैं और वह चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों को एप्वाइंट, गवर्नर को अपनी लिस्ट भेजकर करता है। पूरी सरकार गवर्नर की अनुकम्पा पर ही रहती है।

इसी तरह नियम 213 देखने की कृपा करें––

"इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट वेन दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली आफ ए स्टेट इज इन सेशन, आर वेयर देयर इज ए लेजिस्लेटिव काउन्सिल इन ए स्टेट, एक्सेप्ट वेन बोथ हाउसेस आफ दि लेजिस्टलेचर आर इन सेशन, दि गवर्नर इस सेटिसफाइड दैट सरकमस्टांसेस एक्जिस्ट विच रेन्डर इट नैसेसरी फार हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, ही मे प्रामुलगेट सच आर्डीनेन्सेस एस दि सरकमस्टांसेस एपियर टू हिम टू रिक्वायर"।

मान्यवर, अब इससे स्पष्ट हो जाता है। आप मावलंकर साहब के बारे में जो कि प्रथम स्पीकर थे हमारी लोक सभा के, उनका भी स्पष्ट मत है कि इस तरह के आर्डीनेन्स से सरकार नहीं चलती और इस तरह से जो आर्डीनेन्स बनाये जाते हैं वह कदाचित उपयुक्त नहीं है। उसके द्वारा अगर कोई सरकार चलती है तो वह सरकार अच्छी सरकार नहीं मानी जायेगी। गवर्नर ने जो अपना निर्णय दिया वह सर्वदा उपयुक्त था। पूरे प्रदेश में सरकार की इस कार्रवाई से एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, जब गवर्नर संतुष्ट हों, उसमें स्पष्ट मेंशन है––

"दि गवर्नर इज सेटिसफाइड दैट सरकमस्टान्सेज इक्साइट व्हीच रेन्डर इट नेससरी फार हिम टू टेक इमिडिएट एक्शन, ही मे प्रोमुलगेट सच आर्डिनेन्सेज एज दि सरकम्सटान्सेज एपीयर हिम टू रिक्वायर"

इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर राज्यपाल महोदय संतुष्ट हों कि कोई भी इस तरह का अध्यादेश करना जरूरी है तभी इस तरह का अध्यादेश जारी किया जा सकता है लेकिन मान्यवर, इसके बावजूद भी इस सरकार ने एक बार नहीं दो बार, एक बार गवर्नर ने लौटा दिया तो दुबारा उनके पास फिर भेजा गया और उनके ऊपर दबाव बनाया गया और उनके प्रमुख सचिव का स्थानान्तरण इसीलिये कर दिया गया कि राज्यपाल महोदय ने उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था।

मान्यवर, यह एक ऐसी परम्परा है, बिजनेस आफ रूल, संसदीय परिपाटी है। मान्यवर, हमारी समझ में, संसदीय इतिहास में, मान्यवर, आप स्वयं भी भिज्ञ हैं, सभी माननीय सदस्य भिज्ञ हैं, इस तरह की परिपाटी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी, न इस विधान सभा में देखी और न लोकसभा

में देखी । जो संसदीय परिपाटी यह सरकार बनाना चाहती है, चलाना चाहती है यह सर्वदा अनुपयुक्त है । नियम कानून से परे है और जो सर्वमान्य परम्परा है, मर्यादा है उसका भी उल्लंघन है, हमारे संविधान का उल्लंघन है । मान्यवर, इसमें मैं आगे कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करूंगा अगर आप देखें लोक सभा में जो डिवेट हुआ है 16.11.53 से 16-8-58 तक मैं उसे कोड करना चाहता हूं । 25.11.50 को स्पीकर श्री एम० मावलंकर ने कहा था---

"दि प्रोसीजर आफ दि प्रोमुलगेशन आफ आर्डीनेन्सेज इज इनहरेन्टली अनडेमोक्रेटिक क्वेदर ऐन आर्डीनेन्सेज इज जस्टीफीएबुल आर नाट दि इश्यू आफ ए लार्ज नम्बर आफ आर्डीनेन्सेज हैज साइक्लोजिकली ए बैड एफेक्ट"

मावलंकर साहब कहते हैं कि जो प्रोसीजर है वह अपने में एक गलत तरीका है । अगर इस तरह की परम्परा बनी रही तो यह अपने आप में एक गलत परम्परा है तो इस तरह से बड़ी तादाद में आर्डीनेन्सेज इसू करना यह कतई ठीक काम नहीं होगा । लोगों में यह भावना पनपती है कि जो यह आर्डीनेन्स अध्यादेश जारी किया जाता है इससे सरकार एक गलत परम्परा की शुरुआत करती है ।

"दि पिपुल कैरी ऐन इम्प्रेशन दैट गवर्नर इज कैरीड आन बाई आर्डीनेन्सेज"

और जब सदन आहूत हो या होने वाला हो तो यह गलत परम्परा का संकेत आम पब्लिक को देता है ।

"दि हाउस कैरीज ए सेन्स आफ वीइंग इगनोरड एण्ड दि सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट परहैप्स इन्टू दि हैबिट आफ स्लैक्नेस

"क्वीच नेसेस्टेट्स आर्डीनेन्स एण्ड एन इम्प्रेशन इज क्रीएटेड दैट इट इज डिजायर्ड टू कमिट दि हाउस टू ए पार्टीकुलर लेजिस्लेशन ऐज दी हाउस हैज नो अल्टरनेटिव वट टू पुट इट्स सील आन मैटरस दैट हैव बीन लेजिस्लेटेड अपान बाई आर्डीनेन्सेज सच ए स्टेट आफ थिंक्स इज नाट कंड्यूसिव टू दि डेवलपमेण्ट आफ दि बेस्ट पार्लियामेन्ट्री ट्रेडीसन्स"

मान्यवर, जो परम्परा डाली जा रही है वह गलत परम्परा है । हम लोगों की, सदन की भावनाओं को उपेक्षित किया जा रहा है और जो काम सदन को करना चाहिए वह काम अध्यादेश द्वारा सरकार कर रही है । यह एक तरह से सदन की अवमानना करना है । मान्यवर, जो इस तरह के अध्यादेश जारी किये जाते हैं उन पर कोई डिवेट नहीं हो पाती है और मजबूरी में सदन इस पर अपनी मोहर लगाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है वह चाहें विधान सभा हो या विधान परिषद् । इस तरह की परम्परा अच्छी परम्परा नहीं मानी जाती है ।

दिनांक 17-7-54 को स्पीकर ने कहा था---

"दि इशू आफ ऐन आर्डीनेन्स इज अन्डेमोक्रेटिक एण्ड कैनाट बी जस्टीफाइड इक्सेप्ट इन केसेज आर इक्सट्रीम अरजेन्सी आर इमरजेन्सी"

जो इस तरह के आर्डिनेन्स प्रख्यापित किये जाते हैं वह प्रजातांत्रिक नहीं होते हैं । उन्हें कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है । केवल बहुत ही आवश्यक स्थिति में या कोई इमरजेन्सी हो तभी उनको सही ठहराया जा सकता है वरना साधारण समय में इनको सही नहीं माना जाता है ।

"वी एज फर्स्ट लोक सभा, कैरी ए रिस्पान्सबिलिटी आफ लेइंग डाउन ट्रेडीशन्स इट इजनाट ए क्वेश्चन आफ प्रेजेन्ट परर्सनल इन दि गवर्नमेन्ट बट ए क्वेश्चन आफ प्रेसीडेन्ट्स."

आगे स्पीकर ने कहा है कि प्रथम लोक सभा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ट्रिडीशन्स कायम करें अच्छे आने वाले दिनों में लोक सभा और विधान सभाओं के लिये कुछ मान्य परम्परायें बनायें।.केवल एक सरकार की बात नहीं है बल्कि यह परम्पराओं की बात है ।

"एन्ड इफ दिस आर्डीनेन्स इशूइंग इज नाट लिमिटेड बाई कन्वेन्सन ओनली टू इक्सट्रीम एण्ड वेरी अरजेन्ट केसेज दि रिजल्ट, मे बी दैट इन फ्यूचर दि गवर्नमेन्ट मे गो आन इशूइंग आर्डीनेन्सेज गिविंग लोक सभा नो आप्सन बटटू रबर स्टैम्प दि आर्डीनेन्सेज" इस तरह की परम्परायें नहीं बननी चाहिए कि हमारी कार्यकारी इक्जिक्यूटिव इस तरह से काम करे कि विधान सभा होने वाली हो तो इस तरह के अध्यादेश प्रख्यापित किये जायें । मान्यवर, इस तरह की परम्परायें बनी रहें तो भविष्य में जो सरकारें चलेंगी वह बिना कोई बिल विधान सभा या लोक सभा में पास कराये वह उनको अपने रबर स्टैम्प बनाकर चलेंगी । मैं सरकार पर आक्षेप लगाते हुए कहना चाहता हूं कि जब विधान सभा चल रही है तो अध्यादेश कैसे लाये जा रहे हैं, सरकार इस विधान सभा को अपनी जागीर समझती है कि जो उन्होंने कह दिया वह लागू हो तो ऐसा नहीं है । मान्यवर, संविधान में इस तरह का उल्लेख है और इस तरह की नजीरें हैं जिसके संबंध में दिनांक 22-11-71 को लोक सभा डिबेट में स्पीकर महोदय ने कहा या "आर्डीनेन्सेज बाई देमसेल्वस आर नाट वेरी वेलकम स्पेशली सो व्हेन दि डेट (फार सेशन आफ दि हाउस) इज वेरी क्लीयर. इट इज नाट ओनली क्लीयर बट इज आलसो नियर. इन सच केसेज अन्लेस दियर आर वेरी स्पेशली रीजन्स आर्डीनेन्स सुड बी एवायडेड. दिस इज दि रूलिंग व्हीच आई गेव आन टुवेन्टीसेकेन्ड नवम्बर, 1971 एण्ड दि सेम वाज गीवेन बाई माई पीडीसेर्स्स"

मान्यवर, इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि लोक सभा में स्पीकर महोदय ने दिनांक 22-11-71 को कहा था कि इस तरह के अध्यादेश अपने में एक अच्छी परम्परा नहीं माने जाते हैं । इससे साबित हो जाता है कि मान्यवर, यहां तो 17 जुलाई के लिये सदन आहूत किया जा रहा था । 17 तारीख से सदन को आहूत किया गया था । ऐसा भी नहीं था कि सदन 2-4 माह बाद बुलाया जायेगा । कोई ऐसी अरजेन्सी भी नहीं थी कि अध्यादेशों को प्रख्यापित किया जाय । उन्होंने आगे कहा "दिस इज दि रूलिंग ह्विच आइ गेव आन 22 नवम्बर, 1971 एण्ड दि सेम वाज गिवन बाई माई प्रिडिसेसर । यह रूलिंग मैंने 22 नवम्बर, 1971 को दी और इसी प्रकार की रूलिंग मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी दी है । आगे उन्होंने कहा "माई डिस्टिंग्विस प्रेडिसेसर्स हैव मेड आब्जर्वेशन्स इन रिगार्ड टु दीज मैटर्स फ्राम टाईम टु टाईम इन दि पास्ट । दे डिड नाट एप्रूव आफ दि इश्यू आफ आर्डीनेन्सेस आन दि इव आफ पार्लियामेन्ट सेशन । आई एग्री विद देम ।"

मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने समय-समय पर इस बात की रूलिंग दी है और इस बात को स्वीकारा है कि जब हाउस चल रहा हो तो उस समय आर्डिनेन्स जारी नहीं किये जाने चाहिए । मैं भी उनकी बात से सहमत हूं । आगे उन्होंने कहा " आल एबव प्रेसीडेन्ट आर कैरीड इन रेलीवेन्ट लोक सभा डिबट्स क्वोटेड इन प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट बाई मिस्टर एम० एन० कौल एण्ड एस० एल० शकधर एडीटेड बाई श्री सुभाष सी० कश्यप फोर्थ एडीशन " । श्री सुभाष सी कश्यप जी जो लोक सभा के सचिव भी रहे हैं उन्होंने फोर्थ एडीशन में मिस्टर एम० एन० कौल व मिस्टर एस० एल० शकधर की पार्लियामेन्ट प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर तथा लोक सभा की डिबेट्स से इन दृष्टान्तों को उद्धृत किया है ।

बाबू राम शर्मा वर्सेस स्टेट 1961 में यह बात कही गयी है कि "दि सेटिसफैक्शन आफ दि प्रेसीडेन्ट रिगार्डिंग दि एक्जिसटेन्स आफ सर्कमस्टान्सेस दैट रेन्डर इट नैसेसरी फार हेमु टेक इमीडिएट ऐक्शन इज ए सब्जेक्टिव मैटर ह्विच कैन नाट बी प्रोब्ड आर क्वेश्चन्ड इन ए कोर्ट आफ ला । यदि कहीं पर अरजेन्सी है और राष्ट्रपति उन परिस्थितियों से सहमत हैं तो उस पर फिर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है और उसे कोर्ट आफ ला में भी चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है । क्योंकि यह सब्जेक्टिव मैटर है । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

मान्यवर, यह सदन सर्वोपरि है । माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रीगण सदन से ऊपर नहीं हैं । यह सदन ही इस बात का फैसला करता है कि हम कौन सा नियम बनायेंगे और कौन सा कानून बनायेंगे ।

इससे ऊपर जाकर राज्यपाल महोदय पर यह दबाब डाला जाय कि किसी भी कीमत पर वह इन अध्यादेशों को प्रख्यापित करे, बहुत ही अनुचित बात है । इसलिये मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह सरकार अप्रजातांत्रिक काम कर रही है । यह सरकार आज संदेह के घेरे में है । आज पूरे प्रदेश में एक संदेह का वातावरण बन गया है । मुख्य मंत्री और राज्यपाल महोदय की खींचतान के बीच इस प्रदेश में कानून का राज खतम हो गया है, आज प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण बना गया है ।

इसलिये मान्यवर, इन परिस्थितियों में आप स्वयं इस सरकार को निर्देश देने के लिये सक्षम हैं कि जब इस तरह से सदन होने वाला हो तो इस प्रकार से आर्डिनेन्स को प्रख्यापित करने के कदम न उठाये जायं । मान्यवर, राज्यपाल की एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है । वैसे संसदीय कार्य में भी एक कामन कर्टसी होती है, अगर उनके सचिव को इन्हें हटाना ही था तो उनसे एक बार पूछ लेती कि हम आपके सचिव को हटा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है । आपको कोई ऐतराज है । कोई कामन कर्टसी नहीं होगी, कोई विनम्रता, सभ्यता नहीं होगी । यह प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश रहा है, सौहार्द का प्रदेश रहा है, जिसने पूरे देश को तहजीब सिखायी है, तो इस तरह से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में इस प्रदेश का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । मैं दूसरे वक्ता श्री अशोक बाजपेयी जी को बुला रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें मेरे हस्ताक्षर भी हैं । मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लेता हूं । आप लोग कृपया बैठ जायें । इस संबंध में दूसरी सूचना भी आयी है । इसमें श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल जी के हस्ताक्षर हैं । इस विषय पर दो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं । मैं पहले अशोक बाजपेयी जी को सुन लेता हूं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज प्रदेश में अभूतपूर्व संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । जिस तरह से इस सरकार ने विधान सभा का सत्र आहूत होने के बाद पांच-पांच अध्यादेश जारी करने के लिये महामहिम श्री राज्यपाल जी के सामने उपस्थित किया है उससे यह संकट पैदा हो गया है । महामहिम श्री राज्यपाल ने प्रदेश का संवैधानिक मुखिया होने के नाते विधान सभा का सत्र आहूत होने के कारण उन अध्यादेशों को जारी होने से मना कर दिया है ।

मान्यवर, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है । प्रदेश में विधि सम्मत व्यवस्था चले और प्रदेश में लोकतांत्रिक परम्पराओं का अनुरक्षण हो इसका उत्तरदायित्व उसका होता है । देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना के समय लोकतंत्र जनता के लिये, जनता के द्वारा और जनता के हित में इसका परिचालन हो, इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 170 में विधान सभा के गठन का प्राविधान किया गया । विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आयें और जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करें, जनहितकारी कानून बनायें यह उनसे अपेक्षा की जाती है । लेकिन इस सरकार ने नियम कानून को तोड़कर जिस तरह से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया के ऊपर दबाव डालने का काम

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है उससे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया है । मान्यवर, यह पांच अध्यादेश का प्रश्न नहीं है । यह व्यवस्था संविधान में इसलिये की गयी है कि राज्य सरकार प्रदेश में निरंकुश न हो जाये इसलिये बजट का प्राविधान किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 202 में यह कहा गया है कि बजट पारित किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय से भटक रहे हैं । यह इस विषय से संबंधित नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर,मैं विषय पर आ रहा हूं और लेखा जोखा रखा जायेगा । अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, आकस्मिक धन की, तो उसके लिए 204 में व्यवस्था है । आप अनुच्छेद 203 और 205 देखें । यह सरकार मनमाने ढंग से करोड़ों रुपये खर्च करने का काम कर रही है और प्रदेश का संवैधानिक मुखिया होने के नाते वह उसे रोकने का कार्य करता है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सूचना तक ही सीमित रहें । विषय से बाहर आप न जायें । यह कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप से अनुरोध है कि आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । जैसा कि अभी मावलंकर साहब का नाम लिया गया उनकी व्यवस्था को सामने रखा गया । कौल एवं शकधर में समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिये गये उनका दृष्टान्त मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन मान्यवर, परिस्थितियां कैसे बनीं जब यह मनमाने ढंग से सरकार चलाने का काम करे और राज्यपाल उनको रोकने का काम करें और उन पर अंकुश लगाने का काम करे तो उनको अपमानित करने का काम किया गया है ।

महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को उनकी अनुमति के बिना स्थानान्तरित कर दिया गया । उसका मतलब यह है कि राज्यपाल अपना मन चाहा स्टाफ भी नहीं रख सकते हैं । उनके प्रमुख सचिव को जिस प्रकार से हटाया गया है, उससे शासन ने राज्यपाल पर दबाव बनाने का काम किया है, ऐसा कभी नहीं किया गया है, जैसा इस सरकार ने किया है । मैं महामहिम राज्यपाल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का काम किया है । मैं कहना चाहूंगा कि लखनऊ के पार्क पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और जब सी० ए० जी० से लेखा जोखा मांगा गया, तो उनको कोई सूचना नहीं दी गयी है, तो मान्यवर, इस प्रकार से सरकार मनमानी कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने आपकी सभी बातें कह दी हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी परिव्यय को स्वीकृत कराने के लिये एक व्यवस्था है । सदन में लेखानुदान लाने की व्यवस्था है, उसके द्वारा परिव्ययों को स्वीकार कराया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें । बहुत सी सूचनायें हैं और अभी नियम 56 पड़ा हुआ है । माननीय सदस्यों ने और भी सूचनायें दी हैं । उनका भी ध्यान रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित विधान सभा में बैठे हैं और यह बात सभी को ज्ञात है कि कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को है और कार्यपालिका को जो विधायी अधिकार दिये गये हैं वह संविधान के अनुच्छेद 213 में दिये गये हैं और उनके बारे में सारी स्थिति स्पष्ट है । कितनी तात्कालिकता में कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसका भी उसमें उल्लेख है, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं । उनका उल्लेख माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने और माननीय अशोक बाजपेयी जी ने कर दिया है ।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति का राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय पर प्रतिवेदन जो दिनांक 24-7-1972 को प्रस्तुत हुआ, का एक अंश पढ़ना चाहता हूं । उस प्रतिवेदन के पैरा 118 में दिया गया है कि––

> "जब विधान सभा (या विधान परिषद्) के आहूत करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो तो उस विज्ञप्ति के जारी होने के उपरान्त कोई अध्यादेश जारी न किया जाये और केवल विषम परिस्थिति हो जाने पर ही अध्यादेश का सहारा लिया जाये जबकि सदन को आहूत करके विधेयक पारित करना सम्भव न हो, विशेष तौर पर जबकि अल्प सूचना पर भी सदन को आहूत करने का विधान सभा के नियमों में प्राविधान है । किन्तु उस समय भी विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति की सहमति प्राप्त करना उचित होगा ।"

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इनके नेता और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा के नेता विपक्ष श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 16 नवम्बर, 1971 को लोक सभा में कहा था, वह लोक सभा के वाद विवाद में अंकित है । मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ना चाहता हूं––

> ".....मेरी प्रार्थना यह थी कि आप अध्यक्ष के नाते इनको फटकार लगाइये । ये आर्डिनेन्स द्वारा राज्य चलाना चाहते हैं । मावलंकर साहब ने ऐसा किया था, आप उन की परम्परा को कायम रखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिये"

तो आपके नेता ने लोक सभा में अध्यक्ष जी से कहा था कि आप इन्हें फटकार लगाइये । इस संदर्भ में मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इन्हें फटकार लगायें । भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह सरकार टिकी हुई है तो जो वहां पर स्पीकर दिल्ली साहब ने रूलिंग दी है अंग्रेजी में है मैं उसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा । ज्यादा लम्बा नहीं पढ़ूंगा । उद्धरण देना चाहता हूं ।

यह 16 नवम्बर 71 की डिबेट है लोक सभा की जिसमें उन्होंने कहा है "ऐज फार दि अर्डिनेन्स आर कन्सर्न्ड आई परसनली थिंक इट इज नाट ए लाइट मैटर टू बी इग्नोर्ड सरटेन अबजरबेसन्स हैव बीन मेड बाई मे प्रीडीसेसर्स मि० मावलंकर बेस्ड आन वेरी साउण्ड जजमेन्ट देयर वाज ए ब्रीफ स्पेल आफ इण्टरसेशन नाट मोर दैन थ्री मन्थस एण्ड देयर ए नम्बर आफ आर्डीनेन्सेज क्रीच कुड परहैन्स वेट ।

आई वील नाट यूज दि वर्ड व्हीच श्री बाजपेई सजेस्टेड बट आई वुड इन्वाइट दी अटेन्सन आफ दि गवर्नमेन्ट टू सी दैट देयर इज रीयल इमरजेन्सी आर अरजेन्सी जस्टीफाइंग दि इश्यू आफ दि आर्डीनेन्सेज देयर सुड नाट बी मच आफ हरी एबाउट दीज आर्डीनैन्स दैट कैन वेट फार दी सेशन आफ पार्लियामेन्ट''

उन्होंने आर्डिनेन्सेस के संबंध में कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आर्डिनेंसेस कोई मामूली मैटर नहीं है जिसे नकारा जा सके । जैसा कि मेरे पूर्व के अध्यक्ष ने कहा है कि मैं वाजपेयी जी के भाषा को नहीं प्रयोग करूंगा फिर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा जब तक कोई इमरजेन्सी या अरजेंसी न आ जाय आर्डिनेंस जारी करना जस्टिफाइड नहीं है । पार्लियामेंट के सेसन के लिये वेट करना चाहिये ।

''फिर आगे 22 नवम्बर, 1971 के डिसकसन में ढिल्लों सांहब ने कहा आई कैन से इज दैट आई डू नाट एप्रूव आफ ऐन आर्डीनेन्स जस्ट ऐट दि टाइम व्हेन दि हाऊस इज एवाउट टू मीट''

जब सदन चलने वाला ही हो तो मेरी राय में आर्डनेंस जारी नहीं होना चाहिये ;

श्रीमन्, यहां तो विधान सभा आहूत नहीं होनी थी बल्कि आहूत हो चुकी थी । 17 ता० से सदन बैठने वाला था ठीक उसके एक दिन पूर्व अध्यादेश जारी करने के लिये महामहिम राज्यपाल जी से कहा। मैं सरकार के आचरण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं इसके आचरण और कारनामों को प्रदेश की जनता देख रही है । इनकी पूरी सोच के कार्य प्रणाली अलोकतांत्रिक हैं । जब महामहिम राज्यपाल ने इनकी अनुचित बात नहीं सुनी तो ये उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं । और उनके प्रमुख सचिव का स्थानानतरण कर दिया । सरकार के असंवैधानिक आचरण पर उठे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर कार्य-स्थगन को बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह लोक तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं । यह विधान सभा के विधायी कार्य भी कार्यपालिका के माध्यम से करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी पूरी बात आ गयी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

एक मिनट का समय अपनी बात समाप्त करने के लिये दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं संवैधानिक बात रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले तो यह बतलायें कि जिन अध्यादेशों के बारे में सूचना दे रहे हैं क्या वह अध्यादेश प्रख्यापित हुये हैं ? जब यह अध्यादेश प्रख्यापित ही नहीं हुये हैं तो यह सारे तर्क कहां तक उचित हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं वही निवेदन करने जा रहा हूं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम 289 में यह प्राविधान है कि राज्यपाल के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है । जिस औचित्य की बात कही जा रही है वह कल्पना पर आधारित औचित्य का प्रश्न है इसलिये औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । मेरा निवेदन है कि इसको निरस्त करने की कृपा करें, सदन का समय कीमती है ।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा नहीं हो रही है उन्होंने सरकार के द्वारा इन अध्यादेशों को भेजे जाने की बात कही है ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, श्रीमन्, आपकी पीठ से सदैव निर्देश होते रहे हैं, जजमेंट भी तमाम मौजूद हैं कि जब सदन आहूत कर लिया जाय ।

मुख्य मंत्री सदन के बारे में संस्तुति राज्यपाल को भेज दें और राज्यपाल उस संस्तुति के आधार पर सदन को आहूत करने के लिये सूचना जारी कर दें तो फिर आर्डिनेंस नहीं लाये जाने चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने 5 दिन पहले 5 अध्यादेशों को भेज दिया । मान्यवर, आप नियम 213(2) को देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे सामने हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संविधान की धारा 213(2) में बड़ा स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल किसी अध्यादेश को स्वीकार भी कर लें तो यह अध्यादेश 6 महीने के अन्दर जब तक दोनों सदनों से पास नहीं हो जायगा तब तक वह ऐक्ट नहीं बनेगा अन्यथा वह 6 महीने के बाद समाप्त हो जायगा । मान्यवर, जब विधान सभा का सत्र आहूत हो चुका था तो अध्यादेशों को राज्यपाल के पास भेजने का क्या औचित्य था, सरकार को क्या जल्दी थी । अगर मुख्य मंत्री को आवास देने के बारे में था तो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के बारे में उसमें डाल देते । इस सदन को अधिकार है कि कौन सा आवास मुख्य मंत्री के लिये, कौन सा आवास मंत्रियों के लिये और कौन सा आवास विधायकों के लिये होगा । अपने किसी चहेतो को कारपोरेशन में बैठाने के लिये अध्यादेश लाना इस सदन का अपमान है । इस सरकार की नीयत इस सदन का अपमान करने की है और यह सरकार नियमों को तोड़ रही है ।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव को कैसे हटाया गया है मैं उसमें जाना नहीं चाहता । यह सरकार नियमों को तोड़ रही है । जब सदन आहूत हो गया था तो क्या जरूरत थी कि 5 अध्यादेश राज्यपाल को भेजे गये । राज्यपाल ने इस सदन के अपमान को बचाया और उनको वापस कर दिया, उन्हें बधाई देनी चाहिये । मैं मान्यवर, चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसमें स्थिति स्पष्ट की जाय ।

(श्री जगदम्बिका पाल को पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई नई बात रखें जो कहा गया है उसकी पुनरावृत्ति न करें ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा । मेरी तो श्रीमन् आपसे विनम्रतापूर्वक विनती है यदि सदन की मर्यादा पर सदन की सार्वभौमिकता पर, सदन की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो सदन के मुखिया होने के नाते इस सदन के सम्मान की रक्षा का दायित्व आपके कंधों पर आता है । यह जो आज औचित्य का प्रश्न है यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है । जब इस सदन के समक्ष विधेयक बनाने की सारी शक्तियां माननीय सदस्यों को प्राप्त है । इस प्रदेश की जनता के कल्याण के लिये कानून नियमों का परिचालन इस सदन के माध्यम से होता है ।

मान्यवर, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सदन के आहूत होने के बाद पांच अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिये भेजे गये जिन्हें महामहिम राज्यपाल जी ने वापस कर दिया । समय-समय पर इस सदन की गरिमा की रक्षा के लिये आपकी पीठ से सरकार को निर्देश दिये गये हैं कि सदन आहूत होने के बाद अध्यादेश जारी नहीं किये जाते । तो ऐसा क्या कारण था कि इसके बावजूद भी पांच अध्यादेश प्रख्यापित किये गये । यह अध्यादेश प्रख्यापित न हुए परन्तु इसके बावजूद जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया है महामहिम राज्यपाल वह मुख्य मंत्री जी के बीच अन्तर है ।

आज सरकार कन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही है । तमाम जनता के बीच में समाचार पत्र के माध्यम से यह सूचना है कि भण्डारी जी ने मुख्य मंत्री मायावती जी को नियम विरुद्ध कार्य करने के संबंध में पत्र भेजा है ।

श्री अध्यक्ष–

समाचार पत्र का यहां पर कोई हवाला नहीं दिया जायेगा । आपकी बात आ गयी है । अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज ऐसी बात का जवाब नहीं देंगे तो पूरे प्रदेश में यह खबर है कि राज्यपाल और मुख्य मंत्री जी के बीच अन्तर है । औचित्य के प्रश्न के रूप में इसका जवाब नहीं आयेगा तो इससे बड़ा संवैधानिक संकट और कोई नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी काम बहुत है । मेरे पास नियम–56 की बहुत सूचनायें हैं और उसमें यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

श्रीमन् मैं आभारी हूं मा० नेता विरोधी दल का और आपका कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । मान्यवर, आपने तमाम सदस्यों को सुना मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 संदर्भित हुआ है और लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मावलंकर जी द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है उनको भी आपके संज्ञान में लाया जा चुका है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन आहूत हो जाने के बाद सरकार के सामने ऐसी क्या इमरजेन्सी थी कि पांच-पांच अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिससे प्रदेश की समरसता समाप्त हो ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश की समरसता समाप्त करने की दृष्टि से प्रदेश तो दूर रहा महामहिम राज्यपाल को भी नहीं बक्शा गया । हम महामहिम राज्यपाल जी के आभारी हैं कि उन्होंने इन अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की अनुमति नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ कह रहे हैं वह सूचना से बाहर है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

| × × × |

श्री अध्यक्ष–

यह आप जो कह रहे हैं यह सब सूचना के बाहर है । इसके लिये दूसरी प्रक्रिया है । आप जो यह कह रहे हैं यह सब नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

| × × × |

(व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, नियम 300 के अन्तर्गत जो अभी औचित्य का प्रश्न उठाया गया है । उसकी ग्राह्यता के लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नियम–300 को देखिये । इसमें साफ लिखा है जो विषय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हों वह प्रश्न 300 के रूप में नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार किये जा सकते हैं। चर्चा के लिये तो श्रीमन् आपके समक्ष आपके संज्ञान में यह सारा का सारा प्रकरण है इस तानाशाही सरकार ने और उसकी मुखिया मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल के पास पांच-पांच अध्यादेश, उस समय जब सदन आहूत कर लिया गया है । उसके बाद राज्यपाल जी के पास भेजा, श्रीमन्, राज्यपाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के उप नियम (2) को देख लें ।

श्री धर्नीराम वर्मा–

पहले अप उप नियम–। देख लें । आपके संज्ञान में है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे संज्ञान में आ गया है आप उप नियम (2) को देख लें । उप नियम 3 में लिखा है कि । तथा 2 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

पांच अध्यादेशों को महामहिम राज्यपाल ने वापस कर दिया इसके लिये मैं उन्हें बार-बार धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो राज्यपाल जी का अपमान करने की कोशिश की.....

नोट :– | × × × | यहअंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना के बाहर की बात है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, क्या आप माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर खेद व्यक्त करने को कहेंगे । जो उन्होंने मनमाने तरीके से तानाशाही तरीके से राज्यपाल के अधिकारों का हनन करने के लिये इस सदन का अपमान करने का जो कार्य किया है उसके लिए मान्यवर, आपको चाहिए कि मुख्य मंत्री जी की आप भर्त्सना करें और साथ ही साथ उनसे खेद व्यक्त करने के लिये कहें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो कुंवर रेवती रमण जी को बधाई देना चाहता हूं । एक अकेदमी बहस अपनी तरफ से चलाने का प्रयास किया गया है । जबकि नियम 300 जिसको नेता विरोधी दल रख रहे थे, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा– "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।"

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया जा रहा है यह सदन की कार्यवाही चलाने में जो विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली है, इसमें लिखा है निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा, अनुच्छेद 213 में लिखा है––

श्री जगदम्बिका पाल–

167 है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने उनकी बातों को गम्भीरता से सुना, मेरा ज्ञान वर्धन हो गया जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे या नियमों की जानकारी मुझे नहीं है, तो वह जानकारी कर लूंगा जो बातें आई हैं

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

यहां पर जिन नियमों का उल्लेख किया गया है या संविधान के जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, मैं इस संबंध में एक-एक करके जवाब देना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 213(1) को देखें । उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उसके लिये आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों ।

कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 के (ब) में यह लिखा हुआ है कि सत्र का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनु० 174(1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम उपवेशन से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो :– सत्र 17 तारीख से शुरू हुआ तो 17 तारीख से पहले कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है । अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के समाधान का प्रश्न है । इसके बारे में मैं सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देता हूं । सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम पंजाव राज्य ए० आई० आर० 1974 सुप्रीम कोर्ट

21·92 के अपने निर्णय के पैरा 3 में कहा है कि राज्यपाल के समाधान का तात्पर्य राज्यपाल के व्यक्तिगत समाधान से नहीं बल्कि मंत्रि परिषद् के समाधान से है जिसके परामर्श से राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है । यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है । महामहिम राज्यपाल का समाधान किसी अध्यादेश के बारे में यह मंत्रि परिद् का समाधान होगा । इस तरह से यह जो अध्यादेश के बारे में कहा गया है तो यह तो मंत्रि परिषद् का अधिकार था, उसे मंत्रि परिषद् ने भेजा था, इस बात को लेकर जो लोग काफी चिन्तित नजर आ रहे हैं उनकी जब सरकारें रही हैं उस समय इन लोगों ने भी अध्यादेश जारी किये..... संक्षेप में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । 1987 के द्वितीय सत्र की अधिसूचना 20-5-1987 को जारी हुई और 18-6-1987 को एक अध्यादेश जारी किया गया । 1988 में उस समय नरेश चन्द्र अग्रवाल की सरकार थी । 29-8-1988 को सत्र आहूत किया गया व 3-10-1988 को दो अध्यादेश जारी हुए । 1990 में 18-12-1989 को सत्र आहूत किया गया व 10-1-90 को 5 अध्यादेश जारी कराए गए । 19-2-90 को सत्र आहूत किया गया तथा 5-3-1990 को एक अध्यादेश जारी किया गया ।

इसी तरह से 1990 के तृतीय सत्र में 25-5-90 को सत्र आहूत किया गया तथा 14-5-90 को 4 अध्यादेश जारी किये गये इसी तरह से 1991 से 7-11-91 को सत्र आहूत किया गया 21-1-91 को 3 अध्यादेश जारी किये गये । इसी तरह से 1991-92 के तृतीय सत्र 1993–94, 94–95 के द्वितीय सत्रों में अध्यादेश जारी हुए । इस तरह से तमाम सूचनायें हमारे पास हैं । यही नहीं जिस पार्लियामेंट का हम अनुसरण करते हैं वहां की भी मेरे पास सूचनायें हैं वहां पर 23-3-80 को सत्र आहूत किया गया तथा 7-3-80 को एक अध्यादेश जारी किया गया । इसी तरह से 24-4-1980 को सत्र आहूत किया गया व 24-5-1980 को व 5-6-1980 को 2 अध्यादेश जारी किये गये । इसी तरह से 15-10-80 को सत्र आहूत किया गया और 25-10-80 में अध्यादेश जारी किया गया । इसी तरह से एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, रीसेन्ट का भी है । उसमें भी इसी तरह का सत्र आहूत किया गया । 25-6-96 को सत्र आहूत हुआ । 27-6-96 को अध्यादेश जारी किया गया । 2-11-96 को सत्र आहूत किया गया और 14-11-96 को अध्यादेश जारी किया गया । मान्यवर, जितने माननीय सदस्य इस विषय पर ज्यादा चिन्तित हैं, उनके कार्यकाल का भी उद्धरण दिया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई नयी परम्परा नहीं है । संविधान में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है ।

* श्री अरिमर्दन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने इन्हें परिषद् में नामित नहीं किया इसीलिये ये उनसे नाराज हैं इसलिये बात को घुमा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप बैठ जायं । संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दें ।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो हमारे सहयोगी अरिमर्दन सिंह ने कहा है वह सही है । संसदीय कार्य मंत्री का एम० एल० सी० में नाम गया था, लेकिन उनका नाम उड़ा दिया गया इसलिये झूठी बातें पड़कर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, सही बात नहीं कह रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस पर मेरी घोर आपत्ति है । यह महामहिम राज्यपाल महोदय के आचरण से सम्बन्धित है। कदापि इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है । माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं कम से कम नियमों और संसदीय परम्पराओं का अनुपालन करें । यह गरिमामय सदन है, इसकी गरिमा को ध्यान में रखें ।

मान्यवर, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने कहा है कि यदि अध्यादेश जारी हो गये होते तो वह लागू नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 213 (2) में लिखा हुआ है, आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा––. "इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है ।" कितने समय तक लागू होगा, इसमें 6 सप्ताह का समय दिया हुआ है । इसकी तात्कालिकता के बारे में माननीय सदस्य आंकलन कर रहे हैं, इससे हमारे नेता विरोधी दल स्वयं परिचित हैं कि आवास की क्या स्थिति है ?

श्री धनी राम वर्मा–

6 महीने से तो मुझे आवास नहीं दिया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक कहां गया कि महामहिम राज्यपाल और सरकार के बीच में विवाद का, तो ऐसी कोई बात नहीं है । महामहिम राज्यपाल का पूरा विश्वास मंत्रि परिषद् में और मंत्रि परिषद् का महामहिम राज्यपाल में है । मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं वह निराधार हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अध्यक्ष से जो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वह सत्य से परे है ।

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल जी आप बैठ जायं । संसदीय कार्य मंत्री जी क्या अभी कोई बिन्दु शेष रह गया है ? अब समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवा लें हमारे वर्मा जी कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित हैं और यह तय हो जाय कि राज्यपाल और मुख्य मंत्री में कटुता है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं यह सूचना का विषय नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है । अन्त में मैं आपकी पीठ से पिछले सत्र में आप ही के द्वारा जो रूलिंग दी गयी है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 (ब) को देखने की कृपा करें जिसमें दिया हुआ है कि सत्र का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174(1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम उपवेशन से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो । इस प्रकार मान्यवर, नियम 300 के तहत कहीं से भी यह औचित का प्रश्न नहीं बनता, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी के हस्ताक्षर एवं अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से नियम 300 की जो सूचना प्राप्त हुई है, उस पर मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह जी व अन्य सदस्यों के विचार सुने। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना । जिन 5 अध्यादेशों का उल्लेख हो रहा है, वह अध्यादेश अभी तक प्रख्यापित नहीं हुए हैं । माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने जिन दृष्टान्तों का हवाला दिया, वह दृष्टान्त उस परिस्थिति से संबंधित हैं, जब अध्यादेश प्रख्यापित हो गये हों । इसीलिये वह दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते ।

संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रि परिषद् की राय महामहिम राज्यपाल के ऊपर बाध्यकारी है । तात्कालिकता के बारे में जो कहा गया है, उसके संबंध में भी बता देता हूं। कई निर्णय इस बात के हैं कि जब महामहिम राज्यपाल यदि मंत्रिपरिषद् की राय से सहमत नहीं होते तो किसी भी अध्यादेश को या किसी भी प्रकरण को पुनर्विचार के लिये वापस कर सकते हैं, मंत्रि परिषद् को । यदि मंत्रि परिषद् फिर उसे राज्यपाल को भेजती है तो फिर हर हाल में वह बाध्य हैं । इस मंत्रि परिषद् ने 5 अध्यादेश महामहिम राज्यपाल के पास भेजे, किसी भी कारण से उन्होंने हस्ताक्षर किये अथवा नहीं किये। इसकी जानकारी अभी अध्यक्ष पीठ को नहीं है और न ही किसी माननीय सदस्य ने किसी कारण का उल्लेख ही किया ।

नियम 300 के अन्तर्गत जो अनिवार्य शर्तें हैं, उसके संबंध में भी उल्लेख करना चाहूंगा । औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। आप लोगों के द्वारा जो सूचना दी गयी है उसमें कोई भी ऐसे अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है, निर्वचन या प्रवर्तन अथवा सदन के कार्य को विनियमित करने के संबंध में बात हो । नियम 300 के उप नियम (2) को भी देखें इसमें है–औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । इस प्रकार यह सूचना उपनियम 2 को भी पूरा नहीं करती । अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

(श्री मित्रसेन यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं पुनर्विचार के लिये आपसे निवेदन करता हूं । आपने जो व्यवस्था दी है, उस पर पुनर्विचार कर लें । आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है और सारा प्रदेश भ्रमित हो रहा है कि सरकार और महामहिम राज्यपाल के बीच शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया है । मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं यह गृहयुद्ध में परिवर्तित न हो जाय और इससे सारा प्रदेश प्रभावित हो, इसलिये मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलाकर खेद प्रकट करने के लिये कहें । उन्होंने जो अध्यादेश सदन के आहूत हो जाने के पश्चात प्रख्यापित करने के लिये राज्यपाल के पास भेजे हैं, वह उचित नहीं है । वह गलत था और उन्होंने उसके प्रतिक्रियास्वरूप जो उनके सेक्रेट्री को हटाया है वह भी गलत है इसलिए मैं इस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि आप उनसे खेद प्रकट करने के लिये कहें ।

(व्यवधान)

विधान सभा के तीन अधिवेशन और कम से कम 90 दिन की बैठक होने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इस सदन की बैठक बुलाने और अधिवेशन से सम्बन्धित है । आपने ठीक ही कहा कि नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न नहीं आता है जो इस सदन की कार्यवाही के विनियमन से सम्बन्धित होता है ।

जब सदन चल रहा है मेरा प्रश्न उसके अन्तर्गत है । मेरा ख्याल है कि इतिहास में यह पहला मौका है जब हमारे इस सदन की बैठक बहुत कम समय की हो रही है । हमारे नियम में कम से 5) दिन सदन की बैठक होनी चाहिए । मुख्यतः वर्ष में तीन बैठकें होती हैं जिसमें बजट सत्र होता है और वर्षा कालीन सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है । मान्यवर, दो ही सत्र हमारे हो रहे हैं दोनों ही की बैठकों को गिन लें तो सदन में 22 दिन की बैठक होने जा रही है इससे असर क्या पड़ता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, मान्यवर, इस पक्ष के लोग हों या चाहे उस पक्ष के लोग हों सभी अपने इस विधायी कार्य से जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं, सवालों को उठाना चाहते हैं ।

प्रश्नों के जरिये, नियम 300, 301, 51, 56, 311 और औचित्य के प्रश्न द्वारा समस्याओं को उठाना चाहते हैं और इससे सरकार के कार्यों का पर्दाफाश होता है । इससे सरकार के कार्यों का, उपलब्धियों का सीधा नक्शा हमारे सामने आता है । हमें बोलने का मौका मिलता है, हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलता है । मान्यवर, बजट सत्र में हमारे जो विभिन्न बजट पेश होंगे । क्या कोई माननीय सदस्य ऐसा है जो उस बजट के प्रश्न पर चाहे वह शिक्षा विभाग का हो, निर्माण विभाग का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, किसी भी विभाग का बजट हो वह अपने क्षेत्र की समस्यायें रखना चाहता है, जनता की समस्याओं को रखना चाहता है । लेकिन मान्यवर, इसमें जिस प्रकार से समय दिया गया है सभी बजट को रखने में उससे तो ऐसा लगता है कि मंत्री जी को ही पूरा समय नहीं होगा तो माननीय सदस्य किस समय अपनी बात रखेंगे तो यह जो सदन का समय कम किया जा रहा है यह जो हमारे विधायी कार्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है यह उचित नहीं है ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य का संरक्षण आपसे मिल सकता है यह हमें आशा है । हम लोगों ने निर्विरोध आपको इस माननीय कुर्सी पर इस सदन की महान कुर्सी पर हम लोगों ने एक राय से बैठाया है । लेकिन अगर इस सदन के कार्यों का हनन होगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमें अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का समय नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा । मान्यवर, इस नियम को बनाने वाले आप ही हैं, हम लोग हैं इस सदन में मायावती ही मुख्य मंत्री नहीं हैं इस सदन के माननीय नेता कल्याण सिंह जी भी मौजूद हैं, माननीय राम नरेश जी मौजूद हैं और इस सदन के तमाम वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी मौजूद हैं माननीय आयोग के चेयरमैन भाई प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं सब लोगों को मालूम है इस नियमावली की जिस प्रकार से कटौती की जा रही है विधायी कार्यों का हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । मैं समझता हूं कि आपसे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा जो इसकी रक्षा कर सके । इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी ने बहुत गम्भीर विषय आपके समक्ष रखा है । श्रीमन्, सदन के तीन अधिवेशन होते हैं इसमें यह बजट सत्र है । बजट सत्र में एक बजट पर एक दिन चर्चा होती थी अब एक-एक दिन में 3-3 बजट, 2-2 बजट हैं यह क्या हो रहा है ? बजट पर चर्चा के लिये कम से कम 22 दिन होने चाहिए और यह पूरा सत्र ही 22 दिन का हो रहा है । यह हम लोगों के साथ नाइन्साफी हो रही है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और कुंवर रेवती रमण सिंह जी की बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सदन में हम अपनी बात को अच्छी तरह से रखने के लिये यहां सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखें । मान्यवर, जो भी सत्ता में बैठता है उसकी मनोभावना हो जाती है कि सदन कम से कम चले लेकिन सबसे ज्यादा सदन चलाने की जिम्मेदारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिपक्ष की है । इसलिये अनुरोध है कि सदन अधिक से अधिक चलाने के लिए आप माहौल बनायें जिससे प्रदेश के आर्थिक ढांचे पर सही चर्चा हो सके ।

आप से अनुरोध है कि जो परम्परा है इसके अनुरूप 90 दिन के उपवेशन के साथ ही साथ बजट सत्र कम से कम 22 दिनों में एक बजट पर एक दिन चर्चा अवश्यम्भावी हो । मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करते हुए मैं समझता हूं कि आप सदन की भावना का आदर करेंगे ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, श्री मित्रसेन यादव जी ने नोटिस में अनुच्छेद 147 का उल्लेख किया है जिसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें टाइप की गलती हो गयी है, इसलिए 147 के स्थान पर अनुच्छेद 174 है । इसलिये उसे 174 मान लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस उपवेशन के बारे में बात की जा रही है यह नियमावली के नियम 14 में लिखा है जिसे मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं–– अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे ।

मान्यवर, साधारणतया शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतया उपवेशन 90 दिन होने चाहिए । मान्यवर, 1962 से मैंने जानने की कोशिश की है तो 90 दिन उपवेशन सदन कभी नहीं चला है ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

अच्छी परम्परा को याद रखें, खराब की नहीं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इस तरह की बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो अच्छा होता लेकिन आपका कहना ठीक नहीं है । मान्यवर, कहावत है कि "सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद ।" मान्यवर, जिन्होंने एक दिन में बजट पास किया हो वह 90 दिन की मांग करते हैं । मान्यवर, हम तो चाहते हैं कि आप लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण बनायें जिससे यहां अच्छा डिस्कसन हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मित्रसेन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है । जब संविधान बना था और जब यह प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनी थी, जिसे हमारे इसी आदरणीय सदन ने स्वीकृत किया है, सभी माननीय सदस्यों का यही विचार था कि जितनी अवधि का उल्लेख नियम–14 में किया गया है साधारणतया उसी अवधि तक सत्र चले ताकि सभी माननीय सदस्यों को विचार-विमर्श करने का अधिक मौका मिल सके और सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सभी को सुविधा होगी ।

इधर विगत कई वर्षों से यह बात सामने आयी है कि सदन के उपवेशनों की संख्या घटती चली जा रही है और जो लोग संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं,उनके लिये यह चिन्ता की बात है । यद्यपि तकनीकी तौर से नियम–14 में शब्द "साधारणतया" प्रयोग होने के कारण सरकार के लिये काफी ढील की गुंजाइश हो गई है । जो कार्यक्रम आया है, उसे सदन ने ही स्वीकार किया है परन्तु मैं अपेक्षा

करना हूं कि भविष्य में चाहे जो भी सरकार हो, जिस पार्टी की भी सरकार हो उसे इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सदन कम से कम उतने दिन तो चलना चाहिए, जितने दिन का नियम-14 में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ही मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर के संलग्नक में लोक निर्माण मंत्री के हस्ताक्षर न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है, मैं समझता हूं कि इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विभाग के मंत्री जी ने पत्र के उत्तर के साथ जो संलग्नक दिया है, उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। पत्र में तो हस्ताक्षर हैं परन्तु संलग्नक में नहीं हैं, इसलिये संलग्नक में भी हस्ताक्षर हो जायं। अब नियम-301 की सूचनायें समाप्त होती हैं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995 ++

संसदीय वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस० आर० 549/ग्यारह-95-5(8)(126)-94, दिनांक 10 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995, जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 16 अगस्त, 1995 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 को बारहवीं विधान सभा का विघटन हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी, को विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कार्य सूची के मद संख्या 5, 6, 7 व 8 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 *

संसदीय वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- ++ छापी नहीं गयी।

* दिनांक 27-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य-स्थगन ले रहा हूं । जो नियम–311 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको नियम–56 में ले लिया गया है ।

आज दिनांक 27-7-97 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु गुना जायेगा ।

शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद कुमार, नरेश चन्द्र अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, वीरेन्द्र सिंह, अखिलेश सिंह और सतीश शर्मा जी की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेशनल हेराल्ड पत्र समूह के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से किये गये बर्बर अत्याचार के संबंध में है । श्री प्रमोद जी हैं नहीं, मैं श्री जगदम्बिका पाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय पारसनाथ यादव जी के मामले को पहले ले लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने पाल जी को पहले बुला लिया है । उसके तुरन्त बाद मैं पारसनाथ यादव जी वाला मामला ले लूंगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा ।

(श्री रंगनाथ मिश्र जी के खड़े होकर बोलने पर)

---

† दिनांक 27-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय रंगनाथ जी इस सदन को डिसआर्डर कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रंगनाथ मिश्र जी, आप थोड़ी देर के लिए अध्यक्ष पीठ पर आकर बैठ जायें, अधिष्ठाता के रूप में ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया । यह कदाचित आजाद भारत में पहली घटना होगी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर प्रदेश की सरकार रहती है वरिष्ठतम अधिकारी रहते हैं, पत्रकारों पर, जो चौथा स्तम्भ कहलाया जाता है, पत्रकार जो कि निष्पक्ष भावना से समाचार-पत्रों के माध्यम से समाचार हम तक पहुंचाते हैं, 15 जुलाई, 1997 को इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाठी डन्डों से मारा-पीटा गया और आज तक जिन लोगों ने उन्हें मारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अंग्रेजों की लड़ाई में इन अखवारों ने नेशनल हैराल्ड, कौमी एकता और नवजीवन ने, अग्रणी भूमिका निभायी और कई बार यह अखबार बन्द हुए लेकिन कैम्पस में घुसने का साहस अंग्रेजों ने नहीं किया । इतनी बड़ी घटना हो गयी और इसका संज्ञान तक नहीं लिया गया । फिर प्रेस काउन्सिल आफ इंडिया ने इस मामले को उठाया और कहा कि हमारी कमेटी वहां जायेगी और इसकी जांच करेगी । मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है पत्रकार जो कि निष्पक्ष भावना से कार्य करते हैं और अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, के ऊपर इस तरह का कार्य किया गया । उन्हें 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और वह डी०एल०सी० आफिस से लौट रहे थे । कैसरबाग चौराहे पर एस०पी० सिटी ने उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर मारा जब वरिष्ठ पत्रकार प्रमुख सचिव से मिले और आई०जी० वहां पर गये, तो उन लोगों को मारा जा रहा था और जो लोग बलरामपुर अस्पताल में चिकित्सा के लिये गये थे , उनको चिकित्सा से वंचित किया गया ।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए ।)

हमें पूरी उम्मीद है कि यह कुर्सियां मन और हृदय को बदल देती हैं । आप वहां पर विराजमान हुये हैं, तो आप का मन और हृदय दोनों बदल चुका होगा । मान्यवर, इसी घटना को लेकर लखनऊ के सभी पत्रकार संगठनों ने आज एक बड़ा जलूस निकाला और जलूस निकाल कर विधान सभा के समक्ष अपना रोष प्रकट किया है ।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं और उनमें से एक स्तम्भ पत्रकारिता है और पत्रकारिता को अपने न्याय के लिये विधान सभा के समक्ष धरना देना पड़ रहा है । पत्रकारों की लेखनी से लोगों की विचार धारा परिलक्षित होती है । उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जा रहा है और यह सरकार मूक बैठी है । उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, एस०पी० सिटी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, उसको निलम्बित किया जाना चाहिये । मान्यवर, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया की रिपोर्ट आने के पहले ही इस सरकार को इस मामले की जांच करा कर कार्यवाही कर लेनी चाहिये ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे कुछ कहने का समय दे दें । माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, आज सारा राष्ट्र स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और पत्रकारों पर बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा है । अगर देश में पत्रकार और पत्रकारिता न होती तो हमारा देश आजाद न होता । उन्होंने अपनी लेखनी से लोगों की विचारधारा को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया और मान्यवर जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता जेलों में बन्द थे, तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पत्रकारों ने उनके विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया । मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार करने के लिये दो बाते होनी चाहिये, एक तो अविलम्बनीयता और दूसरी लोक महत्व । तो मान्यवर, यह घटना 13 जुलाई की है, मुश्किल से 7–8 दिन बीते हैं । इस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, तो यह अविलम्बनीयता की बात है और दूसरी बात लोक महत्व की है, तो मान्यवर, लोक तंत्र की रक्षा के लिये और उसको जीवित रखने के लिये 4 स्तम्भ होते हैं । उन 4 स्तम्भों में एक स्तम्भ पत्रकारिता का है । इन चारों स्तम्भों में अगर एक भी स्तम्भ कमजोर होता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है । इसमें दोनों बातों का समावेश है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सारे सदन को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें ।

विधान सभा से एक फर्लांग की दूरी पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, यह उनकी निरंकुशता की निशानी है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि लोक तंत्र की रक्षा के लिये इस घटना की न्यायिक जांच करायें और दोषी लोगों को दंडित करें और हाई कोर्ट के जज द्वारा इस प्रकरण की पूरी जांच करायी जाये ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सरकार के नाक के नीचे पुलिस इस प्रकार का अत्याचार कर रही है, पुलिस लाठियों से पत्रकारों को पीट रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा–)

माननीय पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस घटना के बारे में जैसे ही जानकारी मिली माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी जांच लखनऊ के कमिश्नर से कराने का फैसला लिया । इसी से पता चलता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी तत्परता के साथ काम कर रही है । इसलिये जो आरोप लगाये गये हैं वह निराधार हैं । जहां तक नियम 56 का प्रश्न है, यह मामला नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसे अग्राह्य करें ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

इस घटना की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जो आरोप लगाये हैं । यह 16 तारीख की घटना है सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कि किस तरह से दौड़ा-दौड़ा कर लाठी चार्ज हुआ । यह सरकार प्रजातंत्र में 15 करोड़ की रक्षा करने की बात करती है लेकिन प्रदेश की राजधानी में पत्रकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है । सिनेमाघर के मैनेजर की रक्षा नहीं कर पा रही है ।

अम्बेडकर पार्क में लगे हुये अभियन्ता की रक्षा नहीं कर पा रही है, जनमानस में किसी की रक्षा नहीं कर पा रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद, माननीय संसदीय कार्य जी को सुनने के बाद, यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

(श्री पारसनाथ यादव को पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पारसनाथ यादव जी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उनके ऊपर कथित प्राणघातक हमला होने के संबंध में उनकी बात आ जाय ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं, आपका बहुत आभारी हूं कि बड़े प्रयास के बाद आज इस घटना की सूचना को इस सम्मानित सदन में रखने का अवसर दिया और मैं अपने मित्र और पड़ोसी भाई रंगनाथ जी का भी आभारी हूं । आज जिस घटना की सूचना मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं वह घटना ....

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, यह जो नेशनल हैरल्ड की घटना है यह किसी एक व्यक्ति की या एक तबके की समस्या नहीं है । यह घटना समाज और राष्ट्र से जुड़े पत्र समूह की समस्या है । समाचार पत्र समाज और राष्ट्र का दर्पण होता है । जिस तरह से नेशनल हैरल्ड समूह के पत्रकारों को खदेड़ा गया और पीटा गया वह हम सब के लिये शर्म की बात है । उन लोगों का अपराध क्या था, केवल इतना अपराध था कि वे अपनी 7 महीने से बकाया तनख्वाह मांग रहे थे । कितने अफसोस की बात है जब पूरा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके पुरुष्कार में हम उन्हें क्या दे रहे हैं उनको लाठी डंडों से पीट रहे हैं । यह सोचने की बात है ।

मैं चाहूंगा सदन के माध्यम से हम प्रस्ताव करें कि आगे आने वाले समय में जो व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़े हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार न हो । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा हो रहा है । आप समझ सकते हैं कि गांव-गांव में बी०जे०पी० ब०स०पा० की सरकार में क्या हो रहा है वह किसी को नजर नहीं आ रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के जानमाल की रक्षा करना इस सरकार की प्राथमिकता है

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

बबराला और गीडा की घटनाओं में क्या हुआ उससे मालूम हो जायेगा ।

श्री पारसनाथ यादव–

इस विधायिका के ऊपर एक हमला हुआ है । जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जीवन में कैसे काम करें, कैसे जनता की सेवा करें, इस पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है । वैसे मान्यवर, इस धरती पर कोई अमर नहीं है एक न एक दिन सबको इस धरती से जाना होता है मैं आप बीती जो कहानी बताने जा रहा हूं ।

मान्यवर, मैं अपने आवास निगोह थाना बरसठी जनपद भदोही जो हमारा मूल निवास है । सबेरे पौने छः बजे टहल कर आवास के सामने सड़क उत्तर से दक्षिण को जाती है । 15 फुट की दूरी पर बैठा था । दक्षिण तरफ से एक मारुति नीले रंग की कार उत्तर को जा रही थी । मेरे उत्तर बगल में मेरा लड़का जो कक्षा 8 का विद्यार्थी है, मेरी गाड़ी की सफाई कर रहा था । उसी बाजार का एक चाय की दुकान वाला नारायण गुप्ता मेरे बगल में बैठकर कुछ बात कर रहा था । सबेरे उस गाड़ी को देखकर जिसके शीशे काले थे और बन्द थे मैं सशंकित जरुर हुआ कि सुबह का समय जब लोग मार्निंग वाक करते हैं, टहलते हैं यह गाड़ी बन्द जा रही है । लेकिन फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया । शादी विवाह का समय था । मैंने सोचा कहीं बारात से लौटी होगी । वह गाड़ी पुनः लौटी ।

15 फुट की दूरी पर बायीं तरफ का शीशा खुला दो लोग आगे व पीछे की सीट पर बैठे थे । पीछे का व्यक्ति 455 बोर का रिवाल्वर और आगे का व्यक्ति ए०के–47 लिये हुये था । मेरी तरफ करके चलाना चाहा । मैं जल्दी से चिल्लाते हुये पीछे के पूरब साइड के कमरे में जहां मेरा सुरक्षा कर्मी गनर था

उसको आवाज दी तब तक उसने फायर खोल दिया । मेरा ट्रैक्टर ट्राली सहित खड़ा था मैं कुर्सी से गिरते हुये ट्राली के नीचे से होते हुये वह कमरा जहां भूसा रखा हुआ था वहां गिर पड़ा । वह लोग फायर खोलते हुये धीरे-धीरे कार को बढ़ा रहे थे । भूसे में गिरते हुये देखकर उन्होंने सोचा कि गोली लग गई है वह भाग गये । मैं उनको भागते हुये देखकर कमरे से बाहर आया और गनर के साथ तीन किलोमीटर तक उनका पीछा किया लेकिन हमलावार पहले ही निकल चुके थे । उनका पता नहीं चला । मैंने लौटकर थाना बरसठी में सूचना दी । 307 का मुकदमा कायम किया । 25-5-97 को मुकदमा कायम किया और आज यह सूचना जो अविलम्बनीय है । सदन के माननीय सदस्यों की जिन्दगी से जुड़ी है, इसलिये लोक महत्व की भी है ।

जनतंत्र में इस अदालत में आकर निष्पक्ष कार्य कैसे कर सकेंगे जब हम स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं । बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी मेरी सुरक्षा में जो गनर मेरे साथ लगा था, एक यस०एल०आर० के साथ एक और सिपाही लगा दिया गया जबकि मैंने मुख्य मंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल और प्रमुख सचिव (गृह) और मुख्य सचिव को टेलेक्स दिया है टेलीग्राम करके यह सूचना दी है कि मेरे ऊपर इस तरीके से प्राण घातक हमला हुआ है मेरी सुरक्षा की जाय । स्थानीय अधिकारियों, डी०एम० एस०डी०एम०, डी०आई०जी०, आई०जी० सबको सूचना दी है । उस सूचना के बाद मान्यवर, केवल एक सिपाही मेरे साथ बढ़ा दिया गया वह सिपाही असलहा लेकर मेरे साथ चल रहा है । बाद में उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे आपके घर पर गारद लगाई गई । गारद के नाम पर दो सिपाही लगाये गये हैं वह सिपाही साल दो साल के बाद रिटायर होंगे वह राइफल के साथ लगाये गये हैं मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग पीरियड में उस रायफल से फायर हुआ होगा उसके बाद शायद ही गोली चली हो ।

मान्यवर, जहां, ए०के० 47 चल रही हो वहां यह क्या काम करेगी । मान्यवर, गारद जो होती है वह एक हेड तीन सिपाही की होती है मैंने मांग की थी कि मेरे परिवार की मेरी सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था की जाय । तत्काल सुरक्षा इसलिये चाही है कि मेरे घर पर 8-10 दिन के बाद टेलीफोन आता है, अब भी आ रहा है जिसकी सूचना मैंने पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी को दे रहा हूं जब टेलीफोन आता है और उसे मेरा बच्चा उठाता है तो कहा जाता है तुम्हारे पिताजी एक हफ्ते के मेहमान हैं । मैंने कोई कुसूर नहीं किया है मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एम०एल०ए० होकर जनसेवा करता हूं । मैं चार बार एम०एल०ए० चुना गया हूं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं । सार्वजनिक जीवन में जनता की बात कहता हूं । जनता की सेवा करता हूं । सार्वजनिक जीवन में लोगों के साथ काम करने में इस तरह की घटना होगी तो आप जैसे चिन्तक से मैं उम्मीद करता हूं कि एक इस तरह की सेमिनार या चर्चा होनी चाहिये कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में कैसे लोग काम करेंगे ।

मैं श्रीमन् अपनी सुरक्षा तथा अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूं जिससे निर्भीक और निडर होकर काम कर सकूं । मेरी आपसे मांग है कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाय । मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के लिये आप सरकार से कहें । जब तक यह नहीं मिलती है तब तक असलहा लेकर जो दो सिपाही चल रहे हैं एस०पी० उनको हटाना चाहता है कहते हैं कि उन सिपाहियों को वेतन नहीं मिलेगा । विधायक को एक गनर मिलना चाहिये अलग से पैसा देंगे तो सुविधा मिलेगी । मान्यवर, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि अलग से पैसा दूं । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि असलहा सिपाहियों को नियमित करें और इन सिपाहियों को ए०के० 47 दी जाय । तब तक मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तब तक इन सिपाहियों को ए०के० 47 दी जाय । इस प्रकरण में डेढ़ महीने बीत गये हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है । कोई पूछने नहीं आया यह बड़े माफिया डान हैं ।

षड़यंत्रकारी कौन हैं इसकी जांच होनी चाहिये इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है । इसमें मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में सी०बी०आई० से जांच होनी चाहिये । अगर इसमें कठिनाई हो तो आप सरकार को निर्देशित करें कि इसमें उच्च स्तरीय जांच करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी करे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं । इसी मांग के साथ मैं अपेक्षा करता हूं

और आप से उम्मीद करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग इस घटना पर क्या कहेंगे ? पारस नाथ यादव जी से अच्छा वर्णन अब और कौन इस विषय पर कर सकता है ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, अपराध जगत से जुड़े हुये लोग आज इतना भयमुक्त हो गये हैं कि वह सुबह टहलने जाते एक विधायक के पीछे घूमते हैं जिससे सामान्य जन की सेवा करने वाले जनसेवक आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । श्री पारस नाथ जी के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर तो आप व्यवस्था देंगे ही लेकिन इसके साथ आप यह भी देखें कि हमारे अन्य साथियों की भी पूरी सुरक्षा हो सके ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, पारसनाथ जी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी साथी के साथ इस तरह की घटना होगी तो हम सबको पीड़ा होगी । श्री पारस नाथ यादव जी का पूरा परिवार देश की सेवा करता रहा है । इनके भाई ध्रुब लाल जी साहिबाबाद के कोतवाल थे विदेशी पर्यटकों की रक्षा में उनकी जान गई थी जिसकी विदेशी लोगों ने भी प्रशंसा की थी और उनकी हत्या पर संवेदना व्यक्त की थी । दूसरे भाई भी इनके पुलिस सेवा में थे उन्नाव में रहते हुये एक डकैती की तफ्सीस में वह मारे गये तो जिस परिवार के लोग देश की रक्षा में मारे गये हों उनके परिवार का एक विधायक के ऊपर पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया गया ।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रकरण है यहां यह भी कहना जरूरी है कि इनके दोनो भाई देश की सेवा करते हुये मारे गये । इनकी विधायक रहते हुये हत्या की कोशिश की जायेगी तो यह किसी षड़यंत्र के तहत किया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिये तथा इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आप निर्देश दें ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो 25–5–1997 की घटना है यह पौने छह बजे घटित हुई । जिसको हमारे साथी पारस नाथ जी ने आपके संज्ञान में लाया हम लोगों के संरक्षक आप ही हैं अगर आप से नहीं कहा जायेगा तो किससे, कहा जायेगा । इस समय जो ए०के० 47 रायफलें लिये हुये लोग घूम रहे हैं तो यह रायफलें कहां से आई यह इसीलिये आ रही हैं कि घटना के दो-दो महीने बाद तक भी पुलिस या दरोगा भुक्तभोगी से बात करने नहीं जायेगा तो इसी तरह से ए०के० 47 का नंगा नाच होगा ।

यह ए०के० 47 कहां से आ रहा हैं उनको कौन पनाह दे रहा है ? इसमें हंसने की बात नहीं है यह केवल एक विधायक की सुरक्षा का मामला नहीं है इस तरह की घटना किसी के साथ जो सार्वजनिक जीवन में काम करता है घटित हो सकती है यह असलहे किसके संरक्षण से जमा हो रहे हैं सत्तारूढ़ दल के सदस्य सत्ता के मद में मदहोश न हो इस पर हंसी से काम नहीं चलेगा इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये तथा हमारे साथ श्री पारस नाथ जी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

*श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, आपके संरक्षण में एक निवेदन है जनता के द्वारा चुने जाने के बाद इस सम्मानित सदन के सदस्य होने के बाद हमारे बहुत सारे साथी चाहे किसी पक्ष के हों हमलावरों की गोलियों के शिकार हुये हैं और यह सिलसिला जारी है । आप सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं आप हमारे संरक्षक हैं आप ही हमारे हकों की रक्षा करते हैं यह सरकार अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि विधायकों की

नोटः– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षा किस तरीके से हो । आये दिन इस तरह की घटनायें होती हैं । माननीय पारसनाथ जी की घटना एक अभूतपूर्ण घटना है अगर ट्रैक्टर, ट्राली न होती तो शायद आज हमारे बीच न होते । गोलियों से उस ट्रैक्टर ट्राली की सारी चादर छलनी हो गई । गोलियों की तड़तड़ाहट से उस क्षेत्र के लोग भयाक्रांत हो गये । आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । सरकार ने संज्ञान तक नहीं लिया । मान्यवर, हमारी हकों की रक्षा आप ही कर सकते हैं । इस सरकार को निर्देश दीजिये कि जो लोग बदमाशों की चपेट में हैं उनकी रक्षा की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बाबू राम यादव जी सारी बातें विस्तार से आ गई हैं स्वयं श्री पारसनाथ यादव जी ने उसका उल्लेख किया है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एक शिकायत आपके द्वारा सरकार से करना चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जान को सस्ता मानकर सरकार चल रही है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी सुरक्षा ज्यादा की जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सम्मानित सदन के माननीय सदस्य हैं का मामला है यह कोई दलगत विषय नहीं है । जिन परिस्थितियों में चाहे किसी पक्ष के विधायक हो क्षेत्र में काम कर रहे हैं सबके मन में असुरक्षा है । जिस तरह से समाज में हिंसा बढ़ रही है, जिस तरीके से परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है केवल-उसकी तरफ इंगित कर रहा हूं जिसकी परिणति श्री पारसनाथ यादव पर हमले के रूप में है । किसी भी विधायक को अपने क्षेत्र में चाहे दिन हो या रात हो उसे जाना पड़ता है ।

जब वह कहीं हिंसा का विरोध करता है, अपराधियों की ज्यादतियों का विरोध करता है, अत्याचार का विरोध करता है या प्रदेश में इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है तो आज उसको टेलीफोन से, पत्रों से धमकियां दी जा रही है । मान्यवर, जिस तरह का वातावरण हो रहा है तो इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करवा लें अन्यथा विधायकगण गुण्डों और अपराधियों का विरोध नहीं कर पायेंगे, अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पायेंगे और इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों की हत्यायें हो चुकी होंगी जिनकी फेहरिस्त लम्बी होगी । इसलिये मान्यवर, मेरा नम्र निवेदन है कि इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा–)

श्रीमन्, आपने हमारे माननीय सदस्यों को सुना, इसमें दो चीजें रखना चाहता हूं । पहली चीज यह कि घटना घटित हुई और हमारे एक माननीय विधायक ने सुरक्षा की मांग की है । सरकार को आज ही आपके माध्यम से घोषणा करनी चाहिये कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी जायेगी । जिससे सभी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों में जो भय और आतंक का वातावरण पैदा हो गया है वह दिल दिमाग से निकल जाये और वे खुलकर काम करें अन्यथा सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के मन में भय व्याप्त हो जायेगा कि पता नहीं कब हमला हो जाये और लोग समाज और राष्ट्र के हित में काम नहीं कर सकेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, श्री पारसनाथ यादव जी की इस घटना को सरकार ही नहीं आपने भी बहुत गम्भीरता से लिया है उसका यही प्रमाण है कि आज नियम 56 में सातवें नम्बर पर जो सूचना थी उसको विशेष उल्लेख के तहत सुना है । मान्यवर, पारसनाथ यादव जी के साथ एक गनर और एक कान्सटेबिल एस०अल०आर० के साथ लगाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी पारसनाथ यादव जी की सुरक्षा करने की थी । उन लोगों ने सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन नहीं किया । उन्हें तत्काल निलम्बित किया और इसके बाद पारसनाथ जी ने जिस नीले रंग की मारुति का, तथा जो दो बड़े अपराधी व्यक्तियों का नाम अपने

बयान में लिया था, उन लोगों को 4 जून को वाराणसी में एक [× × ×] थाना बड़ागांव तथा दूस [× × ×] थाना कैन्ट की पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि पारसनाथ यादव जी ने जो बयान में किसी अपराधी के बारे में बताया, उसके संबंध में बताना चाहूं कि मैंने न किसी अपराधी का नाम लिया और न मैंने किसी के नाम से नामजद एफ०आई०आर० कराई है ।

यह सदन है और सदन की आवाज पूरे प्रदेश में, देश में जाती है । अपराधी माफिया डान है पूर्वांचल के, वह सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं । अगर आज यह संदेश प्रदेश में चला जायेगा कि जिन लोगों का इनकाउन्टर पुलिस ने किया है, इनका नाम पारसनाथ जी ने बताया तो मैं और भ असुरक्षित हो जाऊंगा । इसलिये कृपया इसे संशोधित कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा । कृपया इस प्रकार समझें कि तफतीश में नाम आये हैं ।

श्री पारसनाथ यादव–

पुलिस ने जो किया, उसके लिये साधुवाद देता हूं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी, उसी के आधार पर मैंने यह बात कही । यदि पारसनाथ जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया तो ठीक है । फिलहाल पुलिस कार्यवाही करने में सफल हुई है । इसकी विवेचना काफी तत्परता से की जा रही है और सी०आई०डी० का भी सहयोग लिया जा रहा है ।

माननीय पारसनाथ जी इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं केवल इनका ही नहीं, जब हम पूरे प्रदेश की एक-एक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व संभाले हुये हैं तो इनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी इनके घर पर गारद लगा दी गई है और इनके साथ कार्बाइन लेकर एक कांस्टेबिल तथ एस०एल०आर० लेकर दो कान्स्टेबिल लगा दिये गये हैं । जब यह अपने जौनपुर जाते हैं तो अलग से द और सुरक्षा कर्मी लगाये जाते हैं । श्री पारसनाथ यादव जी से हम बात कर लेंगे । सरकार को इनकी सुरक्षा का पूरा-पूरा ख्याल है । साथ ही जो आरोप सरकार के ऊपर लगाये गये हैं, वह आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं ।

श्री पारसनाथ यादव–

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि दो एस०एल०आर० लगाये गये हैं और जब जौनपुर जाता हूं तो अलग से पुलिस बल मिलता है मान्यवर, गारद लगाने की बात भी कही गई । उसके संबंध में बता दूं कि गारद में 4 लोग होते हैं, एक हेड और 3 सिपाही, यह नहीं लगाये गये हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि वह पूरी जानकारी कर लें ।

मान्यवर, आप निर्देशित करें कि एस०एल०आर० की जगह ए०के० 47 के गनर लगाये जायें और जेड श्रेणी की सुरक्षा यदि केन्द्र सरकार करती है तो यदि उसमें रिकमेंडेशन आवश्यक है तो आप इसकी संस्तुति कर दें, जिसमें हम केन्द्र सरकार से इसे करा सकें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक गारद के बारे में है जो माननीय पारसनाथ जी ने बताया है उसमें जो भी नियमानुसार गारद की श्रेणी में आता है उसका पूरा इंतजाम किया जायेगा । पारसनाथ जी की सुरक्षा का पूरा-पूरा इंतजाम किया जायेगा ताकि पारसनाथ जी की पूरी सुरक्षा रहे इसके लिये सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी ।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, ऐसा करें कि माननीय पारसनाथ यादव जी आपसे परामर्श कर लें । आपने बताया है कि गार्ड बूढ़े, कमजोर हैं, रिटायर होने वाले हैं तो इनके यहां हृष्ट-पुष्ट गार्ड लगा दीजिये और एक आध संख्या बढ़ाने की बात है उस पर विचार कर लें और किस प्रकार के हथियार दिये जायं उस पर भी विचार कर लें ताकि इनकी और इनके परिवार की सुरक्षा हो सके ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मैं यहां कह रहा हूं कि मेरी सुरक्षा की बात है तो इनको कौन सी परेशानी है ? यह एस०एल०आर० वाले मेरे साथ दो सिपाही लगाये गये हैं और बहुत से लोगों के साथ ए०के० 47 के गनर लगाये गये हैं । मान्यवर, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, ए०के० 47 के साथ सिपाही को लगाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष–

इस बात के लिये आप माननीय मंत्री जी से बात कर लें और कोई बात होगी तो मैं, आप और माननीय संसदीय कार्य मंत्री तीनों इसमें बैठकर विचार कर लेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसके साथ मैं नियम 56 की इस सूचना को निरस्त करता हूं । तीसरी सूचना माननीय राजधारी सिंह की है, वह नहीं हैं । चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 में दी गई सूचना पर पक्ष रखने का मौका दिया ।

मान्यवर, मैनपुरी जनपद में मई, 1947 में हुई घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, नवीन मंडी आगरा रोड पर स्थित है । नवीन मंडी में सब्जी मंडी, फल विक्रेताओं की अलग से मार्केट है । वहां पर घटना के दिन 40–50 सब्जी मंडी के विक्रेताओं की दुकानों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई जिससे लाखों रुपये की सम्पदा नष्ट हो गई । मान्यवर, वहां पर सैकड़ों असामाजिक तत्व इकट्ठा हुये थे बड़ी दर्दनाक घटना हुई है ।

वहां स्थानीय पुलिस देखती रही और आतंकवादी, असामाजिक शक्तियां और अपराधी लोग यह घटना करते रहे इसके बाद तमाम सैकड़ों की संख्या में जुलूस बना करके वह शहर के अन्दर घुसे पुरानी सब्जी मंडी में वहां पर भी लूट की गई और आग लगाई गई इसके बाद वह आतंकवादी मशाल जुलूस लेकर कटरा स्थित अल्पसंख्यकों के मकान पर जाकर उसे लूट लिया और आग लगा दिया । उस समय यहां के एक माननीय मंत्री जी वहां जश्न मना रहे थे । उसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने परिवहन निगम की एक बस में आग लगा दी । उसके बाद में डिग्री कालेज में एक छात्र जो परीक्षा दे रहा था, जब वह परीक्षा देकर निकला तो उसे फांसी लगाने की कोशिश की गई । इसलिये कि वह मुस्लिम समुदाय के थे । मान्यवर, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं । मैं आपकी पीठ के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि ज्यादातर जो दुकाने जलाई गई, वह मुसलमानों की थीं जिनके मकान जलाये गये वह मुसलमान थे ।

मान्यवर, मैं सदन का सेन्टीमेंट उभारकर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं माननीय पीठ से कि जो आतंकवादी थे, सम्प्रदायवादी थे, अपराधी लोग थे वह आर०एस०एस०, बजरंगदल और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे । आप यह कहेंगे कि कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मात्र 13 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है जबकि सैकड़ों आदमी लूटमार में शामिल थे । मैं कहना चाहता हूं कि नाजायज असलहाधारी कट्टा लेकर जुलूस निकाला गया ।

पुलिस ने उस दिन तो असलहे कब्जे में ले लिए लेकिन दबाव के कारण उनको वापस कर दिया गया । यद्यपि इस घटना के बारे में बहुत से मंत्री भी वहां गये, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां गये और श्री कल्याण सिंह जी भी गये । इस घटना की गम्भीरता को लेकर शासन ने मात्र 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जो बहुत कम था क्योंकि एक करोड़ की क्षति हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, संक्षेप में मैं दो बातें कहना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि वहां के पुलिस कप्तान क्यों बदले गये ? मान्यवर, इस घटना के आतंकवादी पकड़े नहीं गये जब कि उन्हें उसी दिन पकड़ना चाहिए था । नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए था । लेकिन वह घूम रहे हैं । इसलिए मांग करता हूं कि इसमें कोई उच्चस्तरीय जांच करायें और पीड़ित लोगों को अधिक मुआवजा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मण्डी, आगरा, में आग दुकानों में लगायी गयी पुलिस खड़ी रही, दमकल आये लेकिन उन्हें आग नहीं बुझाने दिया गया । वहां भीड़ ने जुलूस बनाकर शहर में दुकानों में आग लगाई और उन्हें लूटा लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया और न सरकार ने ही कुछ किया । सरकार ने मुआवजा में थोड़ा रुपया दिया है जबकि एक करोड़ रु० का नुकसान हुआ है इसलिए उन्हें अधिक मुआवजा दिया जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस घटना को सरकार ने गम्भीरता से लिया है और जो चार नामजद अभियुक्त थे उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है । इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा शेष लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, जहां तक सम्पत्ति की क्षति का मामला है, तो जिनकी क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन करके उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है ।

मान्यवर, अरविन्द सिंह जो कि इस घटना में मरे थे, उनकी मां को एक लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गयी है । इस प्रकार सरकार इस मामले में बहुत तत्परता से कार्यवाही कर रही है । इस प्रकार मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत यह मामला नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य और श्री बाबूराम यादव की बातों को मैंने सुना और संसदीय कार्यमंत्री जी को इनके विरुद्ध सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम–56 के अन्तर्गत यह अग्राह्य है, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे बना हुआ तुर्तीपार श्रीनगर टी० एस० बंधा के 63.75 कि० मी० एवं 64 कि० मी० के मध्य चांछपुर में बांध टूट जाने से भयंकर बाढ़ का खतरा बन गया है और लगभग 250 गांव जलमग्न होने की स्थिति में आ गये हैं भारी जान-माल, खेत-खलिहान एवम् मकानों

को भयंकर क्षति होने वाली है । इस विकट आपदा से बचने के लिए वहां की जनता अपनी रक्षा के लिए सरकार से अपेक्षा कर रही है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस खतरे का भान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पहले से ही था परन्तु समय रहते उन्होंने उस तटबन्ध की रक्षा नहीं की । इसलिए मान्यवर, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इस संबंध में प्रभावशाली कदम उठाये और इस तटबन्ध की रक्षा करे ताकि समय रहते वहां के लोगों की रक्षा हो सके और जान-माल की रक्षा हो सके ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचनायें हम लोगों की तरफ से दी गई है । मैंने भी एक सूचना दी है आगरा में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में । इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उसे नियम–56 में सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे । यह एक गम्भीर प्रश्न है, इसलिए पहले इसे आप सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजधारी जी की सूचना के संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का पहले उत्तर आ जाय, उसके बाद में आपको इस संबंध में बता दूंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, श्री राजधारी जी ने जिस संबंध के बारे में जिक्र किया है उसकी तुरन्त मरम्मत करानें के लिए, वहां पर आवश्यक सामग्री जैसे बोल्डर आदि उपलब्ध करवा दिये गये हैं ताकि इस तटबन्ध को सुदृढ़ किया जा सके । जिलाधिकारी को भी तुरन्त निर्देश दे दिये गये हैं कि जिन लोगों के मकान व झोपड़ियां डूब गई हैं, उन्हें तुरन्त राहत पहुंचायी जाय जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा 2 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है । इसके साथ ही तटबंध को मजबूत करने के लिए वहां पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियन्ता के साथ पूरी टीम लगवा दी गई है । जो प्रभावी तरीके से वहां पर कार्य कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजधारी जी को ग्राह्यता पर तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

नियम–311 के अन्तर्गत मुझे आज सुबह 6 सूचनायें प्राप्त हुई थी और 13 सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थीं । इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई । मैंने नियम–311 की 6 सूचनाओं को नियम–56 के साथ मिलाकर, नियम–56 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शलाका के आधार पर निकाला ।

शलाका के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं कि 5 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जाता है और शेष 5 पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस प्रकार 10 सूचनायें ली जाती हैं । शलाका निकाली गई, जो 10 सूचनायें उसमें आई हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूं । 4 सूचनायें तो हो गई हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, एक सूचना जो आप अपने विवेक से लेते हैं उसमें आप आगरा में जो घटना हुई है, उसे ले लें । क्योंकि यह एक ज्वलन्त समस्या है ।

श्री अध्यक्ष–

नेशनल हेरेल्ड कर्मियों के ऊपर तथा पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार की सूचना प्राप्त हुई है उसे मैंने अपने विवेक से लिया है और शेष सूचनाओं को लाटरी से निकाला गया है।

(व्यवधान होने पर)

अब तो ले लिया गया है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आगरा की समस्या ज्वलन्त है। साम्प्रदायिक दंगा हुआ। इसको आप आवश्यक रूप से अपने विवेक से ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको तो मालूम ही होगा। मैंने एक सूचना विवेक से पहले ही ले ली है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं अध्यक्ष रह चुका हूं इसीलिए कह रहा हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है इसको आप सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आप कल इसको पहले ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बता देता हूं कि कौन-कौन सी सदस्यों की सूचनाएं ली गयी हैं। पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद कुमार, नरेश चन्द्र अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, वीरेन्द्र सिंह, अखिलेश कुमार सिंह और सतीश शर्मा जी की जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेशनल हेराल्ड पत्र समूह के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से किये गये बर्बर अत्याचार के संबंध में है, को मैंने अपने विवेक से लिया है। दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की, तीसरी सूचना श्री राजधारी की, चौथी सूचना सर्वश्री राम आसरे पासवान, नरेश चन्द्र अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, अखिलेश कुमार सिंह और रामनरेश यादव जी की है।

पांचवी सूचना सर्वश्री समर पाल सिंह जी, राजपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह व दयाशंकर वर्मा जी की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली के गंभीर संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसके अतिरिक्त छठी सूचना सर्वश्री चन्द्रपाल सिंह यादव व ओम प्रकाश जी की, सातवीं सूचना सर्वश्री पारसनाथ यादव, गौरी शंकर (एडवोकेट), राम सिंह सैनी व मित्रसेन यादव जी की थी, जिसे मैंने दूसरे नम्बर पर सुना। आठवीं सूचना सर्वश्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि व राम स्वरूप सिंह जी की, नौवीं सूचना सर्वश्री धनीराम वर्मा, शिवपाल सिंह, अशोक बाजपेई, अवधेश प्रसाद व बकार अहमद शाह की तथा 10वीं सूचना सर्वश्री कौकब हमीद, राजपाल सिंह दयाशंकर वर्मा, समरपाल सिंह व गजेन्द्र सिंह जी की है। ये सूचनाएं हैं, जो शलाका के आधार पर निकाली गयी हैं। जो नहीं आयी हैं उन्हें आप कल दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह जो आगरा वाली समस्या है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप कल उसे अपने विवेक से ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कल जो सूचनाएं आयेंगी उसके आधार पर देखा जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 56 में दिया है, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना शलाका में नहीं आयी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया है, वह शिरोधार्य है, लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी होती हैं जो बहुत संवेदनशील होती हैं, तो आगरा की जो घटना है वह उसी प्रकार की है ।..

श्री अध्यक्ष–

जब कल सूचना आयेगी तो मैं देख लूंगा । कल के बारे में आज हमारी प्रतिबद्धता न लें ।

चौथी सूचना सर्वश्री राम आसरे पासवान, नरेश चन्द्र अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, अखिलेश कुमार सिंह और रामनरेश यादव की बस्ती जनपद के दरिया खां मुहल्ले में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात को लेकर हुये संघर्ष के संबंध में हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर मुझे पहले सुन लें, मेरे क्षेत्र का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में एक ही सूचना ली जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा भी नाम है । मान्यवर, बस्ती की इस गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अपनी सरकार पर ली है, वहीं इस सरकार के प्रशासन की लापरवाही के कारण कई अप्रिय घटनायें हो गयीं ।

बस्ती में अब्दुल अजीज जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी, उसकी हत्या हो गयी और 8 लोग जिला अस्पताल में जूझ रहे हैं । अल्प संख्यकों के पूजा स्थल पर नमाज अदा करने के लिये दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद लगातार कई महीनो से चला आ रहा था और ऐसी आशंका थी कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है । हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से बार-बार कहा कि कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय घट सकती है । यह बात कई बार प्रशासन के संज्ञान में लायी गयी, लेकिन मान्यवर, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया । और 20 जुलाई को दरिया खां मुहल्ले में दोनों पक्ष जमा हुये । एस० डी० एम० और पुलिस को सूचना दी गयी कि दोनों पक्ष एकत्र हैं, पहले से ही पुलिस को इत्तिला होने पर वह 9 बजे तक मौके पर पहुंची नहीं और यह हादसा हो गया ।

मान्यवर, अगर पुलिस पहले ही समय पर पहुंच जाती तो यह घटना न होती । वहां पर पथराव हुआ, दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ और लोग गंभीर रूप से घायल हुये, यह बड़ी गंभीर बात है । दो पक्षों में झगड़ा होता है और लोगों की जान जा रही है लेकिन पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा रहा, पुलिस समय पर मौके पर नहीं आयी । अगर प्रशासन समय रहते चेत जाता तो यह अप्रिय घटना न

घटता । बस्ती में इतनी बड़ी घटना हो गयी और प्रशासन ने इसको लम्बित रखा, उसका कोई सर्वमान्य हल खोजने का प्रयास नहीं किया गया और वहां पर तनाव पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी ।

एक नवजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, लकिन उसके परिवार वालों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करायी जाये और जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । कम से कम इसकी जांच तो होनी ही चाहिए ।

मान्यवर, कम से कम इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए । इतनी बड़ी घटना हो गयी और मृतक के परिवार वालों को कम से कम समुचित मुआवजा दिया जाय क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । इस घटना को शासन को गंभीरता से देखना चाहिए ।

श्री राम आसरे पासवान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, दरियाखां मुहल्ले में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई । एक ही समुदाय के दो पक्षों के लोगों में नमाज पढ़ने के मामले में हाथापाई हो गयी, लड़ते-लड़ते वह सड़क में आ गये और दो घंटे तक पथराव हुआ । पूरा वहां का प्रशासन बैठा रहा, पंगु बना रहा । अगर वह सतर्क रहा होता तो इस घटना को बचाया जा सकता था । इस आपसी पथराव में अब्दुल अजीज को पत्थर लगा और वह धराशाही हो गया । 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं ।

समय पर कार्यवाही हो गयी होती तो स्थिति नहीं बिगड़ती । बार-बार बताने के बावजूद प्रशासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया । दो घंटे तक पथराव हुआ और अब्दुल अजीज जब मर गया तब पुलिस वहां जाती है । तो इससे साफ जाहिर है पुलिस प्रशासन ने जानबूझ कर घटना कराई । मेरी मांग है मृतक अजीज के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार को कोई सहारा देने वाला नहीं है ।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह जो बस्ती में कांड हुआ है इसमें एक ही समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे । आपस में एक ही समुदाय के जो बरेली और देवबन्दी गूर में होता है झगड़ा हो गया । इसकी इतला पहले से प्रशासन को जा चुकी थी लेकिन प्रशासन आनाकानी करता रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि एक की मौत हो गयी । तो मेरी मांग है कि मृतक के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाय और दोषी लोगों को सजा दी जाय यह जरूरी है नहीं तो यह विवाद बढ़ेगा तो दिक्कत आ जायेगी प्रदेश भर में तनाव होगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है आपस के विवाद के कारण यह घटना घटित हुई । इसे पुलिस ने काफी तत्परता से लिया है और वहां पर प्रभावशाली कार्यवाही भी की गयी है । वहां शांति कायम करने के लिये पर्याप्त पुलिस बल गया है । वहां पर इस समय पूर्णरूप से शांति है । इसकी जांच हो रही है ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जांच कौन कर रहा है ?

श्री कौकब हमीद–

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं जांच हो रही है यह गंभीर घटना है, यह राजनीतिक विषय नहीं है किस स्तर पर जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

एक ही समुदाय के दो गुटों में जैसा हमीद साहब ने कहा बरेली और देवबन्दी विचारधारा का मामला है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ला–एण्ड आर्डर बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है, परन्तु सरकार इसके लिये सचेष्ट है और किसी हालत में प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जायेगी । प्रदेश में शांति कायम रखी जायेगी और हर आदमी के जानमाल को महफूज रखा जायेगा । यह नियम 56 में नहीं आता है ।

श्री कौकब हमीद–

जांच किस से कराई है ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तो एफ० आई० आर० दर्ज हुई है (व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य को सुनने के बाद मैं इसे निरस्त करता हूं यह नियम 56 में चर्चा करने योग्य नहीं है । मेरे पास शेष 5 सूचनायें है सामान्यतया ऐसे में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते तो एक-एक कर सुन लेता हूं लेकिन संक्षेप में अपनी बात कह दें । इसमें श्री समर पाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह और श्री दया शंकर वर्मा जी का नाम है । (व्यवधान) सामान्यतया इसमें शासक का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह गंभीर मुद्दा है मैं संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा । यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है । आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली का भयंकर संकट है । हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो और भी कठिनाई है । गांवों में मात्र एक घंटा बिजली आ रही है । आप भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं कि यह सरकार लगातार दावा करती है कि 16 घंटे 18 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि दो तीन घंटों से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । इस समय धान की रोपाई हो रही है लेकिन बिजली न होने से किसान को पानी नहीं मिल रहा है, किसान की फसल सूख रही है । सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है । हर एक चीज की एक उम्र होती है बिजली की लाइनें 25–30–40 साल पुरानी हो गयी है ।

सरकार के बिजली बोर्ड के पास लाइनों को बदलने के लिये बिजली के तार नहीं हैं । तार टूट जाते हैं जिससे किसानों के खेतों में आग लग जाती है, फसल जल जाती है तथा जानवर मरते हैं और आदमी

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी मरते हैं लेकिन जब किसान तार बदलने की बात कहता है तो उससे कहा जाता है कि तार नहीं है, सारा तार मुख्य मंत्री के गांव में बिजली घर बना है वहां चला गया है । मेरठ, मुजफ्फरनगर में जितने ट्रांसफारमर्स लगे हैं उनमें से 90 प्रतिशत जले हुये हैं लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगती है । किसान लगातार अभियंताओं के घर चक्कर लगाता है लेकिन किसान की समस्या का हल नहीं निकला पाता है । 6-6 महीनों से ट्रांसफारमर्स जले पड़े हैं आज तक बदले नहीं गये हैं । किसान को बिजली नहीं मिल रही है लेकिन उसके यहां लगातार बिल जा रहे हैं और किसान बिजली बिल अदा कर रहा है । जो सब स्टेशन हैं वह ओवरलोडेड हैं ।

बिजली घरों पर उनकी क्षमता से ज्यादा लोड है लेकिन सरकार उदासीन है इस विषय पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । यह किसान से जुड़ी समस्या है इसका हल सरकार को प्राथमिकता के आधार पर निकालना चाहिये । पहले कहा जाता था कि किसान बिजली के बिल अदा नहीं करता है लेकिन इस साल किसानों ने बिजली के बिल अदा कर दिये हैं । एक तरफ किसानों ने बिजली के बिल अदा कर दिये हैं वहीं बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपया बकाया है जिसको सरकार वसूल नहीं रही है । कहा जाता है कि बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है, पैसा कहां से आये जब सरकार पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया वसूल नहीं रही है । किसान पर बकाया होने पर आर० सी० काट दी जाती है, किसान की बिजली काट दी जाती है लेकिन सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपया बकाया है । जितनी कलेक्ट्रेट हैं, विकास भवन हैं एक नये पैसे का बिल भी उन्होंने अदा नहीं किया है । 4सौ करोड़ रुपया सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया है । मान्यवर, यह बड़े लोक महत्व का प्रश्न है । किसान बिजली को लेकर आंदोलित हैं । बड़ौत में उनका धरना चल रहा है किसानों ने रास्ता जाम कर रखा है । दौराला में ज़ी० टी० रोड पर जाम लगाया है ।

भारतीय किसान यूनियन मेरठ लगातार 10 दिनों से धरने पर है । हम लोग यहां पर बबराला पर चर्चा करते हैं, गीडा पर चर्चा करते हैं कि गोली चलायी गयी लेकिन जो मूल किसानों की समस्या है उसको नहीं कहते हैं । कहते हैं कि मुआवजा दे दिया जाय । अगर मूल समस्या को दूर किया जाय तो धरना आदि की नौबत न आये । मेरे यहां का किसान बिजली को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है । यह बहुत लोकमहत्व का प्रश्न है और यह विषय तात्कालिक है । इसके ऊपर आप चर्चा अवश्य कराइये । आप इसके लिये कोई समय निर्धारित करें । यह गम्भीर विषय है ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है और सारे माननीय सदस्य इससे सहमत हैं । आप चाहें तो इस पर सदन की अनुमति ले लें और कार्य मंत्रणा में तय कर लें इस पर आप चर्चा अवश्य करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपको इसके लिये बहुत से अवसर मिलेंगे । बजट पर सामान्य चर्चा के समय आपको समय मिलेगा, विभाग का अनुदान आयेगा, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, इस समस्या को लेकर स्थिति विस्फोटक हो सकती है । किसानों पर गोली चल सकती है और उसके बाद हम लोग यहां बैठकर रोते रहेंगे । आप इस पर चर्चा अवश्य करा दें ताकि सरकार इस संबंध में कोई काम करे ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं भी इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना के ऊपर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

अगली सूचना चन्द्र पाल सिंह यादव जी की है।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह नये सदस्य हैं। इन्हें भी कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो सुन ही रहा हूं। आप भी कह लीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर चर्चा स्वीकार करवा लें।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी सहमत होंगे। उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर चर्चा करवा लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, ऊर्जा विभाग के बजट के समय इसमें पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिजली की जो गम्भीर समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में है। हमारे यहां जो पुराने बिजलीघर सरकार के बने हुए हैं उसमें एक में एस०एस०ओ० की मौत भी हुई। क्योंकि वहां पर पुरानी मशीनें हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। छपरौली में 132 के०वी०ए० का एक केन्द्र बन रहा था। सरकार ने उसको बन्द कराकर उसका सामान उठाकर अन्यत्र किसी दूसरी जगह पहुंचवा दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, झांसी जनपद में एक गांव है पथरेड़ी और उस गांव में 5 जुलाई को पुलिस की निरंकुशता से जो तबाही हुई है मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के शासन में जो तानाशाही और बर्बरता थी, उसको भी शर्मिन्दा कर देती है। मान्यवर, जब मैं मौके पर गया तो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जानकारी हुई कि एक लोधी जाति के आठ वर्षीय बालक की हत्या वहां के कुछ कुख्यात अपराधियों के द्वारा कर दी गई जिनका बहुत लम्बा आपराधिक इतिहास था और जो वहां के झांसी परिक्षेत्र के डी० आई० जी० हैं उनके निर्देश पर उन हत्यारों को बचाने की पुलिस लगातार साजिश कर रही है। गांव में उनकी सुरक्षा के लिये पुलिस लगा दी गई थी।

जनपद के लोगों ने उन हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । गांव के लोगों ने जब पुलिस की इस कार्यवाही का प्रतिकार किया था तो 5 जुलाई को 12 बजे पुलिस और पी०ए०सी० ने जाकर पूरे गांव पर हमला बोल दिया उस गांव को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया । वहां पर कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिस को लूटा न गया हो । घर की नकदी और उनके आभूषण लूट लिये । उनके घरों में जो अनाज भरा था उसको ट्रकों में भरकर पुलिस के द्वारा ले जाया गया । इतना ही नहीं हुआ वहां के लोगों की पिटाई हुई । वहां की महिलाओं के साथ उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया यहां तक कि कुछ महिलायें अपनी इज्जत बचाने के लिए नदी में कूद गई उनका आज तक अता-पता नहीं है कि जिन्दा हैं या मर गई । दर्जनों नौजवान जिनका आज तक कोई अता-पता नहीं है । मैं समझता हूं कि पुलिस ने उनकी हत्या कर दी है । गोली मार दी है । उस गांव में कोई व्यक्ति नहीं है ।

पूरा गांव तबाह है वीरान है वहां के जो झांसी परिक्षेत्र के डी०आई०जी० है वह पुलिस को पूरा संरक्षण दिए हैं ताकि यह घटना उजागर न हो इसको छिपाने के लिए पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा तैयार किया है और वहां के 11 लोगों को जेल भेज दिया एवं सैकड़ों लोगों को नामजद करके उनकी गिरफ्तारी की साजिश चला रहे हैं । एक गांव में अकेले नहीं पूरे बुन्देलखण्ड में आतंक मचा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा होनी आवश्यक है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस मामले में चर्चा कराई जाए । इस पर आप चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

जो नियम 56 में सूचना दी है इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, 15 दिन से वहां कोई आदमी नहीं है अगर सरकार ध्यान देती तो यह घटना क्यों घटती ? बड़े-बड़े पुलिस के अधिकारी संरक्षण दिए हुए हैं । यहां पर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जाएं ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, पथरेड़ी में जो घटना घटित हुई है इसमें मुझे भी थोड़ी जानकारी है इससे पहले जो बबराला और गीडा की घटनायें हैं उसमें आपने अपनी पीठ से निर्देश दिया था इस मामले में भी सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें । मान्यवर, जब से यह गजब की तथा कथित सरकार आई है जुल्म की इन्तहा हुई है ।

बर्बर पुलिस की ज्यादती, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है और इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है । बार-बार संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गंभीर हैं मुझे तो लगता है कि गंभीर के अर्थ बदल गए हैं । यह संवेदनशील सरकार है आठ वर्ष के बच्चे की हत्या हुई और इसको इतने हल्के ढंग से लिया

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रहा है । पुलिस के कुछ लोग अपराधियों से जुड़े हैं अपराधी उन पर दवाव डाल रहे हैं । वहां की जनता एस० पी० से कहती है उसके विरोध में कहती है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है । जो अपराधी हैं वह इस सरकार से संबंधित हैं । झांसी के डी० आई० जी० इस सरकार के दुलारे और प्यारे हैं ।

सरकार जांच करा लें जिस तरह से डी० आई० जी० झांसी मंडल में कार्य रहे हैं । उनके कार्यकलाप सरकार के लिए कभी न कभी बदनुमा धब्बा हो जायेंगे । जो लूटपाट हुई है जो भय गांव में व्याप्त है उसमें जो अपराधी हैं उनको दंड मिलना चाहिए और जो 35 लोगों को नामजद करके अपराधी कहा जा रहा है उसको रोका जाय और इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच के आप आदेश दें और जो लूट हुई है वह मुआवजे के रूप में दिलाया जाय ।

| समय 4 बजकर 20 मिनट |

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं उन सबकी ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 पर वोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हू । मैं आपके माध्यम से इस समूचे सदन को आग्रह के साथ वताना चाहता हूं जितने भी माननीय सदस्य यहां पर वैठे हैं यह आज जो मैं सवाल उठा रहा हूं यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में करीव एक लाख सफाई कर्मचारी हैं । आज करोड़ों रुपया उनका दस-दस माह, वीस-वीस माह, तीस-तीस माह चालीस-चालीस माह का रुका पड़ा हुआ है ।

आज उनके घरों में फाका पड़ रहे हैं । उनके वच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनका दाखिला नहीं हो पा रहा है आज आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं । यह जो सफाई कर्मचारी है यह पूरे प्रदेश में सवसे निचला, सवसे दलित और कमजोर व्यक्ति है उनका 20-20, 30-30, 40-40 माह का वेतन नहीं मिला है और वह भुखमरी के कगार पर हैं । आजादी के वाद आज तक किसी ने भी उनकी वात को उठाने का प्रयास नहीं किया चाहे सत्ता पक्ष के लोग रहे हों या विपक्ष के लोग रहे हों अगर उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाता तो आज यह समय देखने को न मिलता ।

आज आप देखेंगे कि गांव-गांव, हर नगर में, नगर पंचायत में, नगर परिषद् में हर नगर निगम में कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । पैसा न होने के कारण उनके यहां शादी वारात नहीं हो पाती है । उनके जी० पी० एफ० का पैसा जो कि करोड़ों रुपया है उनके जी० पी० एफ० के खातों में नहीं है । उनकी हालत वहुत खराव है । यह केवल मेरा ही मामला नहीं है सदन में चाहे इधर के लोग हों या उधर के सभी इस मामले से ग्रस्त हैं । सभी जगह ऐसी हालत है । मान्यवर, सारे प्रदेश में सफाई कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं उनके जीने के लिए उनको रोटी नहीं मिल रही है । यह जो वर्तमान में व्यवस्था है वह अंग्रजों के जमाने से खराव व्यवस्था हो गई है । अंग्रेजों के जमाने में कम से कम उनको मेहनत के वदले में दूध नहीं तो मट्ठा तो पिलाते थे ।

श्री अध्यक्ष–

अव आप अपनी वात समाप्त करें ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, सामने जो बसपा–भाजपा के लोग हैं वह इस महत्वपूर्ण मामले को मजाक में लेने का काम कर रहे हैं यह कोई अच्छी सोच नहीं है यह दलितों की सरकार कहने वाले लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं अब लिखा नहीं जाएगा । आपकी सारी बात आ गई ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इस पर भाषण नहीं होते केवल ध्यान आकर्षित किया जाता है लेकिन मैंने एक-दो मिनट में अपनी बात कहने का मौका दे दिया था ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[x x x]

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है, और ऐसा महत्व का सवाल है कि मेरे जिले में दो महीने से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं जिसके परिणामस्वरूप नगर में कूड़े का ढेर लग गया है और जब से बरसात शुरू हुई है पूरा शहर नर्क बन गया है । बहुत बुरी हालत है और वहां संक्रामक रोग फैलने की स्थिति है । जनता भयभीत है कि अगर महामारी फैल गयी तो क्या होगा । दो माह से बिजनौर जिले के सफाई कर्मी विधान सभा के सामने धरने के रूप में आन्दोलन चला रहे हैं लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ी, इन दलितों की ओर ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं है ।

सफाई कर्मचारियों को 20 से 40 महीने तक का वेतन नहीं मिला है जिसके कारण उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बन्द है, बीमार लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है जिससे मौतें भी हुई है । मान्यवर, बहुत ही दुखदायी मंजर है । जो महादलित हैं उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है । भा० ज० पा० के एक सांसद कल से धरने पर बैठे हैं, उनको धरने पर बैठने की क्यों आवश्यकता हुई ? भा० ज० पा० के लोगों को बहुत खुशी होती है कि हमने एक दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाया है ।..

श्री अध्यक्ष–

यह आपकी सूचना से परे बात है । अब आप समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, यह कैसी दलितों की सरकार है जो दलितों में दलित हैं, महादलित हैं, उनका उत्पीड़न यह सरकार कर रही है । आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि यह लोकमहत्व का सवाल है । इस पर ध्यान न दिया गया तो मेरे जिले में महामारी फैल जायेगी । इसलिये मेरा अनुरोध है

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि इन सफाई कर्मियों का जितना बकाया वेतन है उसका भुगतान राजकोष से किया जाये । इसके साथ ही जिनको रिटायर हुये ८-9 वर्ष हो गये हैं उनको प्राविडेन्ट फण्ड का पैसा नहीं मिला है । ...

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । इस संबंध में सारी बातें बाल्मीकि जी ने कह दी हैं ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, यह सरकार सफाई कर्मियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है । अम्बेडकर पार्क पर लाखों, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है । अम्बेडकर के अनुयायियों, जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं उनके लिये आप उनके वेतन का धन जुटाने के लिये तैयार नहीं है । यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है । मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार तुरन्त वायदा करे और उनके बकाये वेतन का भुगतान रोजकोष से कराया जाना सुनिश्चित करे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अगली सूचना सर्वश्री धनी राम वर्मा, शिवपाल सिंह, अशोक बाजपेयी, अवधेश प्रसाद व बकार अहमद शाह की शासन द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत प्रदेश में अरबों रुपयों का व्यय बिना किसी विधिक स्वीकृति के किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अगली सूचना सर्वश्री कौकब हमीद, राजपाल सिंह, दया शंकर वर्मा, समरपाल सिंह व गजेन्द्र सिंह की प्रदेश के गन्ना किसानों का मिल मालिकों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के संबंध में है, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस पर आप चर्चा करवा दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । इसलिये आप कोई दिन निश्चित कर दें । कल इस विषय को ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

हमीद जी जब तक इसमें दिन निश्चित किया जायेगा तब तक तो गन्ना विभाग का बजट ही आ जायेगा । वैसे इसमें नियम 52 में 2 घंटे की चर्चा लग चुकी है । जहां तक इस विषय को कल लेने का है, तो मैं प्रयास करूंगा । आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें देखूंगा । आप चाहें तो लिखकर दे दें ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-7-97 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं : जिसमें–

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में बी० एड० प्रवेश परीक्षा फार्म समय पर न दिये जाने तथा 20 जुलाई, 1997 की परीक्षा स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री सत्य प्रकाश विकल की पहली सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री हुकुम सिंह की दूसरी सूचना तथा प्रदेश में

बढ़ते आई० एस० आई० के प्रभाव को रोकने तथा आगरा जनपद में हुई साम्प्रदायिक घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० राम बाबू हरित की तीसरी सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई ।

चौथी श्री रंगनाथ मिश्र की वाराणसी जनपद की आराजी लाइन्स ब्लाक अन्तर्गत ग्राम सभा मेंहदीगंज की जी० टी० रोड के उत्तर तरफ की ग्राम सभा भूमि पर विदेशी कम्पनी लिम्का व कोकाकोला द्वारा अतिक्रमण किये जाने क संबंध में ।

पांचवी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की मेरठ महानगर के आबू नाले प्रथम व द्वितीय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर कतिपय फैक्टरियों द्वारा कचरा बहाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

छठी श्री लाखी राम जोशी की प्रदेश के उत्तरांचल में उच्चीकृत हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापक के पदों के सृजन एवं छात्रो को प्रवेश दिलाये जाने के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न ।। बजे पुनः बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 4 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ

दिनांक 22 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

संसद टीवी

नत्थी "क"

(देखिये अता०प्र०सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित (डा०) वकार अहमद शाह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का संलग्नक

क्रमांक	विद्यालय का नाम	भुगतान की तिथि	विवरण
1	रा० इ० कालेज, बहराइच	2–5–97	
		2–6–97	
		2–7–97	
2	रा० उ० मा० विद्यालय, रमपुरवा बहराइच	3–5–97	
		4–6–97	
		17–7–97	
3	रा० उ० मा० वि० भग्गड़वा,	3–5–97	
		10–6–97	
		3–7–97	
4	रा० बा० इ० कालेज, बहराइच	2–5–97	
		4–6–97	
		8–7–97	
5	रा० बा० उ० मा० विद्यालय, हुजूरपुर, बहराइच	2–5–97	
		4–6–97	
		12–7–97	
6	रा० बा० उ० मा० वि० नवाबगंज बहराइच	2–5–97	
		जून, 97	धनाभाव के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हो सका है।
		जुलाई, 97	
7	रा० बा० उ० मा० वि० नूरपुर पयागपुर, बहराइच	2–5–97	
		4–6–97	
		12–7–97	
8	रा०क०उ०मा०वि० भिनगा, बहराइच	5–5–97	जुलाई, 97 में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण हो जाने के कारण अभी वेतन वितरण नहीं हो सका है।
		6–6–97	
9	रा० क० उ० मा० वि० कैसरगंज, बहराइच	9–5–97	
		16–6–97	
		4–7–97	
10	रा०क०उ०मा०वि०, गिलौला, बहराइच	4–5–97	धनाभाव के कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका है।
		11–6–97	

नत्थी ''ख''

(देखिये अता०प्र०सं० 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के लिये निर्धारित श्री अम्बिका चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का संलग्नक

क्रमांक	विकास खण्ड	उच्च प्राथमिक विद्यालय			प्राथमिक विद्यालय	
		असहायिक	सहायता प्राप्त	मान्यता विहीन	असहायता प्राप्त	मान्यता विहीन
1	2	3	4	5	6	7
1	हनुमानगंज	13	02	01	09	03
2	टुबहर	07	03	00	08	03
3	बेलहरी	04	01	00	01	02
4	मुरली छपरा	10	02	00	03	01
5	सोहांव	10	03	01	17	05
6	गणवार	11	01	03	13	01
7	चिलकहर	08	01	02	16	01
8	रसड़ा	20	06	02	37	05
9	नगरा	34	08	04	38	11
10	सीयर	16	03	01	21	03
11	नवानगर	23	03	01	16	04
12	पंदह	12	03	00	08	02
13	मनियर	10	02	01	10	02
14	बेरु आरवारी	04	01	00	07	01
15	बांसडीह	11	00	00	05	02
16	रेवती	06	03	01	15	01
17	बैरिया	28	03	01	13	05
18	नगर क्षेत्र	17	01	01	36	01
योग–		244	46	19	273	53

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०सं० 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० सहारनपुर द्वारा जीपों की मरम्मत का विवरण

वर्ष 1992-93

क्र०सं०	दिनांक	एजेन्सी	धनराशि
1	11-5-92	मे० बी मोटर वर्क्स सहारनपुर	2236.99
2	8-5-92	वि०/यां खण्ड के स्टोर द्वारा	970.00
3	21-9-92	—तदैव—	1812.54
4	28-9-92	विभागीय द्वारा	1180.00
5	28-5-92	मे० दी० मोटर वर्करा सहारनपुर	2253.31
6	26-6-92	मे० कुश आटो एजेन्सी सहारनपुर	2985.00
7	21-9-92	मे० दी० मोटर वर्कस, सहारनपुर	2369.97
8		छोटी-छोटी मरम्मत जो हस्त रसीदों द्वारा कराई गई	17415.31
		योग-	31223.00

वि० यां० खण्ड द्वारा कराई गई जीपों की मरम्मत का विवरण

वर्ष 1992-93

क्र०सं०	दिनांक	एजेन्सी	धनराशि
1	24-3-92	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	9834.00
2	1-2-93	—तदैव—	15900.00
3	2-2-93	मे० दी० मोटर वर्कस सहारनपुर	5949.20
4	3-2-93	मे० सन्त मोटर वर्कस सहारनपुर	3044.80
5	21-3-93	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	3885.00
		योग-	38613.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
सहारनपुर

अधिशासी अभियन्ता
अ०वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि०
सहारनपुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० सहारनपुर द्वारा जीपों की मरम्मत का विवरण

वर्ष 1993-94

क्र०सं०	दिनांक	एजेन्सी	धनराशि
1	29-4-93	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	1443.00
2	29-4-93	—तदैव—	2720.00
3	12-11-93	मे० गौड मोटर्स सहारनपुर	2100.00
4	18-7-93	मे० मोटर वर्कस सहारनपुर	7391.55
5	28-7-93	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	1095.00
6	13-8-93	मे० गौड मोटर्स वर्कस सहारनपुर	1065.00
7	06-11-93	—तदैव—	2192.00
8	12-11-93	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	4613.00
9		समय-समय पर हस्त रसीद द्वारा किया गया व्यय	16811.65
		योग-	39431.00

वि० यां० खण्ड लोक निर्माण विभाग सहारनपुर द्वारा कराई गई जीपों की मरम्मत का विवरण

1	12-11-93	मे० दी० मोटर वर्कस सहारनपुर	9954.95
2	15-11-93	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	2001.00
		योग-	11956.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
सहारनपुर

अधिशासी अभियन्ता
अ०वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि०
सहारनपुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० सहारनपुर द्वारा जीपों की मरम्मत का विवरण

वर्ष 1994–95

क्र०सं०	दिनांक	एजेन्सी	धनराशि
1	4–6–94	मे० दी० मोटर वर्कस, सहारनपुर	820.74
2	15–6–94	मे० गौड मोटर्स सहारनपुर	1060.00
3	2–9–94	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	4980.00
4	3–9–94	मे० गौड मोटर्स सहारनपुर	1195.00
5	14–11–94	वि०/यां० खण्ड के स्टोर द्वारा	645.45
6	6–3–95	—तदैव—	1640.00
7	5–6–94	हस्त रसीद द्वारा	470.00
8	छोटी-छोटी मरम्मत पर हस्त रसीद द्वारा किया गया व्यय		5840.73
		योग–	16651.92

वि० यां० खण्ड सहारनपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई गई जीपों की मरम्मत का विवरण

1	26–5–94	मे० दी० मोटर वर्कस सहारनपुर	19937.45
2	17–6–94	मे० सन्त मोटर वर्कस सहारनपुर	3347.30
3	28–6–94	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	3443.00
4	14–11–94	मे० दी० मोटर्स वर्कस सहारनपुर	9475.25
5	19–11–94	मे० सहारनपुर सर्विस स्टेशन सहारनपुर	2475.00
		योग–	38678.00

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
सहारनपुर ।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि०,
सहारनपुर ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
सहारनपुर ।

नत्थी "घ"

(देखिये अता०प्र०सं० 66 का उत्तर आगे पृष्ठ 43 पर)

लखनऊ जनपद में स्थापित 33/11 के० वी० ट्रांसफार्मरों का विवरण

क्र०सं०	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का नाम	स्थापित 33/11 के०वी० ट्रांसफार्मरों की क्षमता	ट्रांसफार्मर आयात की वार्षिक खपत		
			1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5	6
1	एक्ट रोड	1x10 एम०बी०ए०	—	100	150
2	ओ० सी० आर०	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	—	—	—
3	अमीनाबाद	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	50	100	100
4	जवाहर भवन	2x10 एम०बी०ए०	100	150	250
5	गऊघाट	1x5 एम०बी०ए०	—	—	200
6	कूपर रोड	2x5 एम०बी०ए०	—	50	—
7	हनुमान सेतु	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	100	150	—
8	इन्दिरा भवन	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
9	बालाघाट	1x5 एम०बी०ए०	—	—	—
10	विक्टोरिया	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	—	—	120
11	ऐशबाग	2x3 एम०बी०ए०	60	80	70
12	आलमबाग	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	—	—	145
13	राज़ाजीपुरम	2x5 एम०बी०ए०	210	420	1050
14	कैन्ट	1x10 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x5 एम०बी०ए०	—	—	350
15	आशियाना	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
16	आर०डी०एस०ओ०	1x5 एम०बी०ए०	424	219	120
17	रेलवे पावर हाऊस	2x10 एम०बी०ए०	—		630
		1x10 एम०बी०ए०			

1	2	3	4	5	6
18	वैद्य स्टील	1x5 एम०बी०ए०	749	1158	1291
19	अलीगंज	2x10 एम०बी०ए०	—	—	—
20	डालीगंज	2x10 एम०बी०ए०	—	—	—
21	जी०एस०आई अलीगंज	1x3 एम०बी०ए०	—	—	40
22	कपूरथला	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
23	लखनऊ विश्वविद्यालय	2x3 एम०बी०ए०	—	—	—
24	एच०ए०एल०	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
25	इन्दिरानगर-1	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
26	इन्दिरानगर-2	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
27	विभूतिखण्ड	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
28	चिनहट	2x5 एम०बी०ए०	—	—	—
29	गोमतीनगर	2x8 एम०बी०ए०	—	—	—
30	विकास नगर	1x5 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x3 एम०बी०ए०	70	100	100
31	इंजीरियरिंग कालेज	1x5 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x3 एम०बी०ए०	—	80	70
32	बक्शी का तालाब	2x3 एम०बी०ए०	—	50	—
33	इंटौजा	1x5 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x3 एम०बी०ए०	80	70	—
34	माल	1x3 एम०बी०ए०	—	40	—
35	मलिहाबाद	2x3 एम०बी०ए०	—	50	50
36	मेहरू	1x5 एम०बी०ए०	50	60	50
37	उतरेठिया	1x3 एम०बी०ए०	—	—	—
		1x1.5 एम०बी०ए०	50	—	—
38	मोहनलाल गंज	2x3 एम०बी०ए०	70	60	80
39	समेसी	1x1.5 एम०बी०ए०	—	40	40
40	फतेहगंज	2x3 एम०बी०ए०	—	60	40
41	गोसाईगंज	2x3 एम०बी०ए०	—	50	50
42	अमौसी	2x5 एम०बी०ए०	50	70	80